

राज्यवस्था और शासन

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रोशनी कानून के तहत कार्यवाहियों को शून्य घोषित किया

खबर में क्यों है?

- जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि (काबिजदारों को स्वामित्व प्रदान करना) कानून, 2001 अथवा 'रोशनी कानून' के तहत की गई कार्यवाहियों को शून्य घोषित कर दिया।

इस कार्य के पीछे का कारण

- यह कानून जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2018 में समाप्त कर दिया था, को कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया था।
- हालांकि सरकार ने कहा कि यह कानून वांछित उद्देश्यों को हासिल करने में नाकामयाब रहा और इसके कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग की भी खबरें हैं जिसका कारण भ्रष्टाचार के आरोप और जिस उद्देश्य से इसे लागू किया गया था, उसके लाभों को हासिल करने में नाकामयाबी का होना है।

रोशनी कानून क्या है?

- भूमि आधारित कानून, जिसे लोकप्रिय रूप में रोशनी कानून कहा जाता था, को 2001 में फारूख अब्दुल्ला सरकार ने लागू किया था।
- इस कानून का उद्देश्य कब्जेदारों को सार्वजनिक भूमि के स्वामित्व अधिकार प्रदान करना था।
- रिपोर्ट के अनुसार, 15.85 प्रतिशत कब्जे वाली भूमि को स्वामित्व अधिकारों के लिए हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृति दी गई थी।
- यह कानून कब्जेदारों को 20.55 केनाल भूमि (1,2,50 हेक्टेयर) के लगभग मालिकाना हक देने के उद्देश्य से था।
- इसके अतिरिक्त, विधायकों को यह आशा थी कि यह कानून ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करेगा।
- किसान जोकि राज्य की भूमि पर कब्जेदार थे, को भी कृषिय प्रयोग के लिए स्वामित्व अधिकार दिये गए थे।
- आरंभिक रूप से यह कानून 1990 को कट ऑफ तिथि के रूप में मानता है जब राज्य की भूमि पर अतिक्रमण किया गया, इसी के आधार पर स्वामित्व दिया जाता था।
- बाद की सरकारों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आजाद के अंतर्गत पहले 2004 तक समयसीमा में छूट दी और बाद में 2007 तक इसे कर दिया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I- शासन

स्रोत- PIB

नए वेतन संहिता ने यौन उत्पीड़न के मामले का सामना कर रहे लोगों को बोनस देने से रोका

खबर में क्यों है?

- वर्तमान में सरकार उन लोगों के लिए एक नया वेतन संहिता का निर्माण कर रही है जो किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न के मामले में शामिल हैं, वे अपने नियोक्ताओं से बोनस पाने में असफल रह सकते हैं।
- नई वेतन संहिता के उस समय प्रचलित होने की संभावना है जब सरकार नियमों को अधिसूचित कर देगी।



नए वेतन संहिता में यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रावधान

- संहिता कहती है कि कोई कर्मचारी बोनस पाने के अयोग्य हो जाएगा यदि वह संगठन के परिसर में बेईमानी अथवा दंगा करने वाले अथवा हिंसक व्यवहार के लिए, अथवा चोरी, अनियमितता अथवा संगठन की किसी संपत्ति की तोड़फोड़ अथवा यौन उत्पीड़न के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है।

वर्तमान में कानून की क्या स्थिति है?

- वर्तमान कानून कहता है कि केवल वे कारण जिनके आधार पर बोनस को रोका जा सकता है, वे हैं- बेईमानी, हिंसक व्यवहार, चोरी, अनियमितता अथवा तोड़फोड़ करना।

महत्व

- यह कानून कर्मचारियों को अपने आचरण के बारे में ज्यादा सावधान बना देगा और 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (PoSH) के अलावा एक अतिरिक्त निवारक के रूप में कार्य करेगा।

संबंधित सूचना

वेतन की संहिता, 2019 के बारे में

- इसने वेतन, बोनस और संबंधित मामलों से संबंधित चार श्रम कानूनों को संशोधित और मजबूत किया है जिसमें शामिल हैं:
 - वेतन भुगतान का कानून, 1936
 - न्यूनतम वेतन कानून, 1948
 - बोनस का भुगतान कानून, 1965 और
 - समान वेतन कानून, 1976
- यह वेतन, समान वेतन, इसके समय से भुगतान और बोनस से संबंधित सभी जरूरी तत्वों को उपलब्ध कराता है।
- न्यूनतम वेतन में शामिल हैं वेतन की मूल दर, जीवन भत्ते की लागत और छूटों का नकदी मूल्य इत्यादि। और यह कौशलों, कार्य दुरुहता, भौगोलिक स्थिति और अन्य पहलुओं पर इसे निर्धारित करने के लिए विचार करता है।
- केंद्र और राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन को निर्धारित करेंगी।
- समय पर भुगतान और प्राधिकृत कटौतियाँ (₹. 24,000 प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारियों के लिए अभी तक लागू) से संबंधित प्रावधान बिना वेतन सीमा के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिसमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय फ्लोर स्तर का न्यूनतम वेतन केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक पांच वर्षों में इसमें संशोधन किया जाएगा, जबकि राज्य अपने क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करेंगे, जोकि फ्लोर वेतन से नीचे नहीं हो सकते हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), 2013 के बारे में

- यह पीड़ित महिला की परिभाषा का और भी विस्तार करता है जिससे इसमें सभी महिलाएं, बिना आयु और नियोजन दर्जे के लिहाज से शामिल हो सकें, और यह ग्राहकों और घरेलू कामगारों को भी शामिल करता है।
- यह कार्यस्थल का विस्तार पारंपरिक कार्यालयों के आगे करता है जिसे सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के संगठन शामिल हो सकें, यहां तक कि गैर परंपरागत कार्यस्थल (उदाहरण के लिए दूरसंचारण में शामिल लोग) और स्थान जहां कार्य के लिए कर्मचारी आते हैं।
- यह आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन का आदेश देता है जहां 10 से ज्यादा कामगार हों- और यदि ICC का गठन नहीं हुआ है तो कार्यवाही को निर्धारित करता है- साथ ही यह शिकायतों की संख्या की लेखा रिपोर्ट और वर्ष के अंत में क्या कार्यवाही की गई इसकी रिपोर्ट सौंपने की बात कहता है।
- यदि किसी मामले में कामगारों की संख्या 10 से कम है तो, यह आदेश देता है कि स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाए।
- यह नियोक्ताओं के कर्तव्यों की सूचीकरण की बात कहता है, जैसे नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करना और जागरूकता कार्यक्रम जिससे कानून के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित किया जा सके।
- यदि नियोक्ता ICC के गठन में असफल रहता है अथवा किसी अन्य प्रावधान को नहीं मानता है तो उसे रु. 50,000 का अर्थदंड का भुगतान करना होगा।
- यदि उल्लंघन करने वाला बार-बार उल्लंघन कर रहा है तो अर्थदंड दुगुना हो जाएगा।
- दूसरे उल्लंघन की स्थिति में उसका या तो कैंसिल हो सकता है या फिर उसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होगा।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- महिला सशक्तिकरण

स्रोत- द हिंदू

रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB)

खबर में क्यों है?

- आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया आपस में सहयोग करके एक रणनीतिक नीति इकाई जिसे "रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB)" कहा जाता है, का गठन करेंगे जिसे आयुष क्षेत्र की नियोजित और सुव्यवस्थित वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके।



रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB) के बारे में

उद्देश्य

- आयुष क्षेत्र के नियोजित एवं सुव्यवस्थित वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने की

योजना है जिससे यह अपने पूरी संभावना को हासिल कर सके और वृद्धि व निवेश को प्रेरित कर सके।

SPFB द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में शामिल होंगे:

- ज्ञान का सृजन और प्रबंधन,
- रणनीतिक और नीति निर्माता समर्थन,
- **राज्य नीति बेंचमार्किंग:** राज्य नीति बेंचमार्किंग को करना भारत में आयुष क्षेत्र के संबंध में एकसमान दिशा-निर्देशों/विनिमयन को बनाया जा सके,
- **निवेश प्रोत्साहन:** अनुपालन और निवेश मामलों को प्रोत्साहन और सहमतिपत्र, और विभिन्न विभागों, संगठनों और राज्यों के मध्य समन्वय।
- **मामले हल करना:** इन्वेस्ट इंडिया कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य करके मामलों को पूरे राज्यों में और विभिन्न उप-क्षेत्रों के मध्य हल करेगा।

आयुष मंत्रालय की भूमिका

- आयुष मंत्रालय **ब्यूरो को निवेश प्रस्ताव, मामलों और प्रश्नों के प्रतियुत्तर देने में सहायता देगा और दी गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया को वित्त पोषित करेगा।**
- मंत्रालय **ब्यूरो को विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योग संघों, मंत्रालय से संबद्ध निकायों और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करेगा।**

इन्वेस्ट इंडिया के बारे में

- इसकी स्थापना 2009 में उद्योग और आंतरिक वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग के अंतर्गत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में हुआ था।
- यह भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है और भारत में निवेशकों के लिए संदर्भ के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य

स्रोत- PIB

iGOT ई-शिक्षण प्लेटफॉर्म

खबर में क्यों है?

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि **अनूठे रूप से डिजाइन किये गये एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण- iGOT प्लेटफॉर्म कोविड-19 लड़ाकों को स्वचालित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है जिसमें 56 मॉड्यूल, 196 वीडियो और 133 प्रशिक्षण प्रलेख हैं।**



iGOT ई-शिक्षण प्लेटफॉर्म के बारे में

- **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत की है जिसे "एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण" नाम दिया गया है जो DIKSHA प्लेटफॉर्म पर है।**

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT पोर्टल के बारे में

- इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से लड़ रहे अग्रणी कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करता है।
- इसके लक्षित समूह हैं डॉक्टर, नर्स, केंद्रीय एवं राज्य के सरकारी अधिकारी, लोक रक्षा अधिकारी, विभिन्न पुलिस संगठन, नेशनल कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS), भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (BSG) और अन्य स्वयंसेवक।
- इसका जोर महामारी से अच्छी तरह से निपटने के लिए अग्रणी कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण का उन्नयन करना है।

संबंधित सूचना

DIKSHA प्लेटफार्म के बारे में

- इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल थी।
- यह शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए डिजिटल अवसंरचना ज्ञान साझाकारी प्लेटफार्म है।
- यह NCERT और राज्य पाठ्यक्रम से व्याख्या, अभ्यास और आकलन के लिए जुड़ा हुआ है।
- पोर्टल शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की शुरुआत से लेकर सेवानिवृत्त तक पूरे कार्य और उपलब्धियों को रिकॉर्ड करेगा।
- यह शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में भी कार्य करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- शासन, स्रोत- AIR

टेली कानून

खबर में क्यों है?

- टेली कानून ने 30 अक्टूबर 2020 को एक नए मील के पत्थर को छू लिया जिसके अंतर्गत कुल 4 लाख लाभकर्ताओं ने कानूनी सलाह ली है, जिसके लिए CSCs (समान सेवा केंद्र) का सहारा लिया जाता है।



टेली कानून के बारे में

- इस पहल की शुरुआत 20 अप्रैल, 2017 को की गई थी जिसका उद्देश्य समान सेवा केंद्रों के द्वारा गांवों में कानूनी सलाह उपलब्ध कराना है। यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय (MeitY) के साथ सहयोग में कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

टेली कानून का उद्देश्य

- इसके अंतर्गत कानून सहायता सेवाओं को पंचायत स्तर पर समान सेवा केंद्रों (CSC) के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं।
- यह सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जहां लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा वकीलों से कानूनी सलाह ले सकते हैं। यह व्यवस्था समान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है, जो 'टेली कानून' पोर्टल पर है।

अर्ध कानूनी स्वयंसेवक (PLV) की भूमिका

- प्रत्येक समान सेवा केंद्र (CSC) में एक अर्ध कानून स्वयंसेवक भी शामिल होगा, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा।
- ये PLVs आवेदकों को CSC में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के द्वारा वकील से जोड़ेंगे। वे उन्हें कानूनी मामलों को समझने में मदद देंगे और वकीलों द्वारा दी गई सलाह की व्याख्या करेंगे।
- वकीलों के पैनल को प्रत्येक राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आवेदकों को सलाह देंगे।
- यह योजना कुल 115 जिलों में भारत सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में विस्तारित की जाएगी।
- टेली कानून पर एक समर्पित वेबसाइट न्याय विभाग द्वारा व्यवस्थित की जा रही है जिसे CSC ई-प्रशासन से समर्थन के साथ डिजाइन किया गया है और इसे 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है।

न्याय बंधु मोबाइल अनुप्रयोग के बारे में

- यह एक नया मोबाइल अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य कानूनी सेवाओं की जरूरत वाले वादियों को सहायता करना है।
- न्याय बंधु मोबाइल एप मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रावधान को प्रोत्साहित करता है।
- एप का उद्देश्य जरूरतमंद वादियों को वकीलों से साथ जोड़ना है जो अपनी ऐसी सभी के हित वाली सेवाओं को देने के इच्छुक है। वे वकील जो मुफ्त कानूनी सेवाओं को देना चाहते हैं वे एप के साथ अपने को पंजीकृत करा सकते हैं।
- इस एप का उद्देश्य प्रयोगकर्ताओं को अपने मामले को पूर्व पंजीकृत कराने में मदद देना है।

कानूनी सहायता का संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए समाज के गरीब और कमजोर तबके को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और सभी को न्याय दिलाने की बात करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 14 और 21(1) राज्य के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वह कानून के सामने सभी की समानता सुनिश्चित करे और ऐसा कानूनी प्रणाली विकसित करे जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराए।

नोट:

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण कानून, 1987 के तहत किया गया है। इसका कार्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना है और कानून के अंतर्गत कानूनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को बनाना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- शासन, स्रोत- PIB

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

खबर में क्यों है?

- हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका में 59वां प्रत्येक चार वर्ष में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का इतिहास

- 1789 में संविधान के प्रभाव में आने के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में चुना हुआ राष्ट्रपति है।



संयुक्त राज्य राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया

- संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में होता है। चुनाव का दिन नवंबर के पहले सोमवार के बाद वाले प्रथम मंगलवार को पड़ता है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं।
- इसकी बजाय, उन्हें निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसे 'निर्वाचक मंडल' कहते हैं।

राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए संयुक्त राज्य में संवैधानिक जरूरतें

राष्ट्रपति को होना चाहिए:

- संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राकृतिक जन्म वाला नागरिक होना चाहिए
- उसे कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए
- संयुक्त राज्य का 14 वर्षों से निवासी होना चाहिए
- उद्घाटन के दिन से उसे आयु और निवास की जरूरतों को पूरा करना होता है।

नोट: उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति होने की सभी अर्हता पूरी करनी चाहिए।

भारत और संयुक्त राज्य राष्ट्रपति चुनाव

- भारत में राष्ट्रपति देशीकृत नागरिक भी हो सकता है।
- साथ ही, राष्ट्रपति के लिए नामांकित होने वाले उम्मीदवार के लिए 50 निर्वाचकों के प्रस्तावकों और 50 निर्वाचकों की अनुमोदकों के रूप में जरूरत होती है जिससे उसका नाम मतपत्र पर नजर आ सके।
- संयुक्त राज्य में, एक व्यक्ति केवल दो बार के लिए ही राष्ट्रपति हो सकता है लेकिन भारत में इस तरह की कोई रोक नहीं है।

दो दलीय प्रणाली

डेमोक्रेटिक पार्टी

- इसके दो प्रतिनिधियों के समूह होते हैं- डेलीगेट्स और सुपर डेलीगेट्स।
- डेलीगेट्स जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो सम्मेलन के दिन अपने राज्यों के लोकप्रिय मत के अनुसार मत देते हैं।

- सुपर डेलीगेट्स कानून बनाने वाले, गवर्नर, पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रीय दलों के अधिकारी होते हैं जिन्हें किसी भी उम्मीदवार को समर्थन करने की स्वतंत्रता होती है, यह इस पर निर्भर नहीं होता है कि उनके राज्यों ने कैसे मत दिया।

रिपब्लिकन पार्टी

- इसके प्रतिज्ञा और गैर प्रतिज्ञा लिये हुए डेलीगेट्स होते हैं। प्रतिज्ञा लिये हुए डेलीगेट्स सामान्य डेलीगेट्स होते हैं।
- गैर प्रतिज्ञा वाले डेलीगेट्स सुपर डेलीगेट्स की तरह से होते हैं।
- इनमें तीन सर्वोच्च पार्टी अधिकारी शामिल होते हैं जो प्रत्येक राज्य और क्षेत्र से होते हैं और वे दल के सम्मेलन के दिन स्वतंत्र रूप से मत देते हैं।
- यहां याद रखें कि यह पूरी प्रक्रिया प्रत्येक दल के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनने के लिए है।
- आम चुनाव की बजाय, संयुक्त राज्य अमेरिका के मतदाता राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भी डेलीगेट्स को चुन सकते हैं।

चुनाव प्रक्रिया

- संयुक्त राज्य के संविधान के अनुच्छेद 2 ने आरंभिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव की विधि की स्थापना की है, जिसमें निर्वाचक मंडल भी शामिल है।
- यह उन संवैधानिक निर्माताओं के बीच में समझौते का परिणाम था जो चाहते थे कि कांग्रेस राष्ट्रपति का चुनाव करे, और वे जो चाहते कि राष्ट्रीय लोकप्रिय मतदान हो।
- सामान्यतया, मतदाताओं को मतपत्र पर मत देने की जरूरत होती है जहां वे अपने पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं।
- लेकिन यह अप्रत्यक्ष चुनाव है।
- मतदाता प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं।
- इसकी बजाय, वे प्रतिनिधि जिन्हें निर्वाचक कहते हैं, का चुनाव करते हैं, जो सामान्यतया राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति उम्मीदवारों को मत देने की प्रतिज्ञा करते हैं।
- प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों की संख्या कांग्रेस के सदस्यों के संख्या के बराबर होती है जिसके लिए राज्य पात्र हैं।

विनर-ऑल-टेक प्रणाली

- राज्य के कानून विनर-ऑल-टेक प्रणाली को स्थापित करते हैं।
- इसके द्वारा, प्रत्येक राज्य में से कई निर्वाचक को उनके मत प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाता है।
- इसकी बजाय, सबसे ज्यादा मतों के साथ उम्मीदवार को राज्य का प्रत्येक निर्वाचक दे दिया जाता है।
- यह कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां उम्मीदवार जो जीत लायक लोकप्रिय मतों को पाने में असफल रहता है, यदि व बड़े राज्यों में कई निर्वाचकों के साथ जीतता है, उदाहरण के लिए, 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने चुनाव जीता, यद्यपि वे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अल गोर से लोकप्रिय मतों के मामलों में पिछड़ गये थे।

अंतरिक्ष से भी मतदान

- हाल में अंतरिक्षयात्री केट रूबिन्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में मत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दिया।
- यह 23 वर्षों से भी ज्यादा हो चुका है जब संयुक्त राज्य के निवासी अंतरिक्ष से मत दे रहे हैं।

- NASA के डेविड वॉल्फ मत देने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे जब उन्होंने रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर से मत दिया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020

खबर में क्यों है?

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्यस्थता एवं सुलह कानून 1996 को और संशोधित करने के लिए मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को जारी किया है।



संशोधन के मुख्य बिंदु

- अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी हितधारकों को पंच निर्णय को लागू करवाने के लिए बिना शर्त स्थगनादेश को चाहने का अवसर मिले जहां अंतर्निहित मध्यस्थता समझौता अथवा संविदा अथवा पंच निर्णय को देना बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार से प्रेरित है।
- यह अध्यादेश मध्यस्थता और सुलह कानून, 1996 को संशोधित करता है और कानून की 8वीं अनुसूची को समाप्त करता है जो मध्यस्थता की मान्यता के लिए जरूरी अर्हता बताती है।
- अनुच्छेद 36 में कुछ जोड़ा गया है जिसके अनुसार यदि न्यायालय संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है कि मध्यस्थता समझौता अथवा संविदा जोकि निर्णय का आधार है, बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार से प्रेरित अथवा प्रभावित थी, तो वह बिना शर्त के निर्णय पर स्थगनादेश दे देगी जिसे अनुच्छेद 34 के अंतर्गत निर्णय को दी गई चुनौती के निस्तारण को लटका देगी।
- मध्यस्थता और सुलह कानून, 1996 के अनुच्छेद 36, उप-अनुच्छेद (3) में, नियम के बाद, एक धारा डाल दी गई है जो कहती है कि और देने के बाद कि जब न्यायालय संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है; (a) कि मध्यस्थता समझौता अथवा संविदा जोकि निर्णय का आधार है; अथवा (b) निर्णय को देना बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार से प्रेरित अथवा प्रभावित था, वह निर्णय पर स्थगनादेश बिना शर्त के दे देगा जो निर्णय के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत चुनौती के निस्तारण को लटका देगा।
- अध्यादेश कहता है कि प्रावधान पूर्वप्रभाव से अक्टूबर 23, 2015 से प्रभाव में आएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II- अर्थशास्त्र

स्रोत- PIB

बंदी प्रत्यक्षीकरण

खबर में क्यों है?

- हाल में बांबे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद सुना, जिन्हें रायगढ़ पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।



संबंधित सूचना

याचिकाओं के बारे में

- सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के अंतर्गत) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के अंतर्गत) निम्न याचिकाओं को जारी कर सकते हैं
 - a. बंदी प्रत्यक्षीकरण
 - b. परमादेश
 - c. निषेध
 - d. उत्प्रेषण
 - e. अधिकार पृच्छा
- संसद (अनुच्छेद 32 के अंतर्गत) किसी अन्य न्यायालय को इन याचिकाओं को जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है।
- ये याचिकाएं अंग्रेजी कानून से ली गई हैं जहां इन्हें 'विशेषाधिकार याचिका' कहा जाता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में

- यह एक लेटिन शब्द है जिसका सीधा अर्थ है 'आपके पास शरीर है'।
- यह न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति को जारी किया गया आदेश है जिन्हें दूसरे व्यक्ति को बंदी बना रखा है, उसके पास दूसरे के शरीर को उपस्थित किया जाए।
- न्यायालय उस बंदी व्यक्ति को छोड़ देगा यदि गिरफ्तारी को गैरकानूनी पाया जाता है।
- इसलिए, यह याचिका मनमानी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दोनों ही- सार्वजनिक प्राधिकरणों साथ ही व्यक्ति लोगों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह याचिका दूसरी तरफ उस समय नहीं जारी की जाती है जब
 - a) नजरबंदी कानूनन सही होती है।
 - b) जब कार्यवाही विधायिका अथवा न्यायालय की अवमानना के लिए होती है।
 - c) नजरबंदी जब सक्षम न्यायालय द्वारा होता है।
 - d) नजरबंदी जब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होती है।
- ✓ सर्वोच्च न्यायालय का याचिका न्यायाधिकार उच्च न्यायालय से तीन मामले में अलग होता है:
 - i. सर्वोच्च न्यायालय केवल मूलभूत अधिकारों को लागू करवाने के लिए याचिकाएं जारी कर सकती है जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूलभूत अधिकारों को लागू करवाने के लिए याचिकाएं जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी।
 - यह पर अभिव्यक्ति 'किसी अन्य उद्देश्य के लिए' से आशय साधारण कानूनी अधिकार को लागू करवाने से है।

- इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय का याचिका न्यायाधिकार, इस संबंध में, उच्च न्यायालय से संकीर्ण है।
- II. सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध भारत के पूरे क्षेत्र में याचिकाएं जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध अथवा सरकार के विरुद्ध अथवा प्राधिकरण के विरुद्ध केवल अपने क्षेत्रीय न्यायाधिकार में ही याचिकाएं जारी कर सकती है। किसी व्यक्ति को भी न्यायाधिकार के अंतर्गत ही आना चाहिए। केवल यह कार्य क्षेत्रीय न्यायाधिकार के बाहर उसी समय हो सकता है जब किसी कार्य का कारण उसके क्षेत्रीय न्यायाधिकार में आता हो जबकि वह उसका न्यायाधिकार ना हो।
- सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय न्यायाधिकार याचिकाएं जारी करने के उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय से बड़ा है।
- III. अनुच्छेद 32 के तहत कोई उपचार अपने आप में मूलभूत अधिकार है और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने याचिका न्यायाधिकार को लगाने से मना नहीं कर सकता है।
- जहां अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपचार विवेकाधीन है और इसलिए, उच्च न्यायालय अपने याचिका न्यायाधिकार को प्रयोग करने से मना कर सकता है।
- अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति मात्र ही नहीं देता है जैसा कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को अपने सामान्य न्यायाधिकार के रूप में मूलभूत अधिकार अथवा किसी अन्य अधिकार को लागू करवाने के लिए याचिकाएं जारी करने का अधिकार देता है।
- इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मूलभूत अधिकारों के संरक्षक और गारंटर के रूप में गठित किया गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

जहाजरानी मंत्रालय का नया नामकरण बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय होगा

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नया नामकरण बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय किया जा रहा है।

नाम बदलने के पीछे कारण

- अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, जहाजरानी मंत्रालय बंदरगाहों और जलमार्गों के लिए भी जिम्मेदार होता है।



- भारत में, जहाजरानी मंत्रालय बंदरगाहों और जलमार्गों से संबंधित काफी कार्य कर रहा है।
- यह नाम में काफी स्पष्टता देगा; साथ ही कार्य में भी स्पष्टता आएगी।

संबंधित सूचना

जहाजरानी मंत्रालय के बारे में (बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय)

- यह नियमन और नियमों और विनियमनों के प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है। साथ ही यह भारत में बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्गों से संबंधित कानूनों का भी सर्वोच्च निकाय है।
- समुद्री परिवहन देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसरचना है।
- यह देश में जल परिवहन की गति, संरचना और अनुक्रम के विकास का प्रतिनिधित्व करता है।
- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी और बंदरगाह क्षेत्रों को अपने में सम्मिलित करता है जिसमें समुद्री जहाज निर्माण और मरम्मत, बड़े बंदरगाह, राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल हैं।
- मंत्रालय को इन विषयों और उनके क्रियान्वयन पर नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

AIM- सिरियस नवाचार कार्यक्रम 3.0

खबर में क्यों है?

- अटल नवाचार मिशन (AIM) और सिरियस, रूस ने 'AIM-सिरियस नवाचार कार्यक्रम 3.0' की शुरुआत की है जो भारतीय और रूसी विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए 14 दिन का वर्चुअल कार्यक्रम है।

AIM-सिरियस नवाचार कार्यक्रम 3.0 के बारे में

उद्देश्य

- पहला भारतीय-रूसी द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल, AIM-सिरियस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के लिए तकनीकी हलों को विकसित करना है (वेब और मोबाइल आधारित दोनों ही)।
- यह दो सप्ताह का कार्यक्रम है, जो 7-21 नवंबर 2020 तक होगा, इसमें 48 छात्र और 16 शिक्षक और सलाहकार भाग लेंगे।



- इस वर्ष के दल में सिरियस केंद्र के सर्वश्रेष्ठ रूसी छात्र और सर्वश्रेष्ठ भारतीय छात्र और 2019 की ATL मैराथन के सर्वश्रेष्ठ 150 टीमों से ATL इंचार्ज होंगे।
- उद्योग और अकादमिक क्षेत्र से AIM और सिरियस के सलाहकार टीमों के साथ करीब से कार्य करेंगे।

कार्यप्रणाली

- यह 8 वर्चुअल उत्पाद और मोबाइल अनुप्रयोगों को सृजित करेगी जो कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में वैश्विक चुनौतियों को सुलझायेंगे।

- ये कई क्षेत्रों को अपने में शामिल करेंगे जैसे संस्कृति, दूरस्थ शिक्षा, अनुप्रयोग संज्ञानात्मक विज्ञान, स्वास्थ्य, खेलकूद, फिटनेस और खेलकूद प्रशिक्षण, रसायनशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल वित्तीय संपत्तियां।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- शिक्षा

स्रोत- PIB

हुनर हाट

खबरों में क्यों है?

- कोरोना महामारी के कारण लगभग सात महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट फिर से शुरू होगा।
- इस आयोजन की थीम **वोकल फॉर लोकल है**, जहां **माटी (मिट्टी), धातु और मचिया** (लकड़ी और जूट के उत्पाद) से बने स्वदेशी उत्तम उत्पाद प्रमुख आकर्षण होंगे।



हुनर हाट के बारे में

- इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा USTTAD (विकास के लिए कौशल और प्रशिक्षण पारंपरिक कला / शिल्प में उन्नयन करना) योजना के तहत आयोजित किया जाता है।
- USTTAD योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और बनाए रखना है।
- इन हाट का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक-कला विशेषज्ञों को बाजार में पहचान और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इसमें शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है जो पहले से ही परंपरागत पुश्तैनी काम में लगे हुए हैं।
- 'हुनर हाट' कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए "सशक्तिकरण आदान-प्रदान" साबित हुआ है।
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु देश भर में "हुनर हब" स्थापित करने के लिए भी काम कर रहा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- । शासन

स्रोत-PIB

ऑपरेशन ग्रीन्स- सर्वोच्च से कुल योजना

खबर में क्यों?

- हाल में ग्रीन्स ऑपरेशन योजना सर्वोच्च से कुल के अंतर्गत, भारत में किसी स्थान के लिए उत्तर-पूर्व और हिमालयन राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के लिए वायु परिवहन के वासेतु 50 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।

संबंधित सूचना

- ऑपरेशन ग्रीन्स- सर्वोच्च से कुल योजना के लिए अन्य शर्तों में छूट के लिए, पात्र हवाई अड्डों से एयरलाइन के द्वारा परिवहन के लिए, अधिसूचित फलों और सब्जियों के माल 50% भाड़ा सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। मात्रा और मूल्य का इसके ऊपर असर नहीं होगा।
- परिवहन सब्सिडी पहले ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत 12.10.2020 से किसान रेल योजना के लिए विस्तारित की गई थी।
- रेलवे अधिसूचित फलों और सब्जियों पर केवल माल भाड़े का 50% ही लेता है।

पात्र हवाई अड्डे:

- उत्तर-पूर्व से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम (बागडोगरा) और त्रिपुरा, और पहाड़ी क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के सभी हवाई अड्डे।

नोट:

- भारत की पहली किसान पार्सल ट्रेन अथवा किसान ट्रेन 7 अगस्त को शुरू होगी और **महाराष्ट्र के देवलाही और बिहार के दानापुर** के बीच में माल का परिवहन करेगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन


स्रोत- PIB

अरुणाचल का लिंगानुपात सबसे बेहतर, मणिपुर का सबसे खराब

खबर में क्यों है?

- भारत के महापंजीयक द्वारा प्रकाशित "नागरिक पंजीयन प्रणाली पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय" पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात सबसे बेहतर है, जबकि मणिपुर इस मामले में सबसे निचले पायदान पर है।

Among the major States, Kerala (963) had the best sex-ratio at birth (females born per thousand males) while Punjab (896) was the worst



क्या है लिंगानुपात?

- जन्म पर लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है।

मुख्य बातें

- अरुणाचल प्रदेश ने प्रति हजार पुरुषों पर 1,084 महिलाएं रिकॉर्ड की हैं, जिसके बाद नागालैंड (965), केरल (963) और कर्नाटक (957) का स्थान है।

- इस मामले में सबसे खराब स्थिति मणिपुर (757), लक्षद्वीप (839) और दमन एवं दीव (877), पंजाब (896) और गुजरात (897) की है।
- दिल्ली का लिंगानुपात जहां 929 है, वहीं हरियाणा का 914 और जम्मू और कश्मीर का 952 है।
- लिंगानुपात का निर्धारण 30 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सांख्यिकीय के आधार पर जबकि "छह राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बारे में जरूरी सूचना उपलब्ध नहीं है"।
- कुल पंजीकृत जन्मों की संख्या पूर्व वर्ष के 2.21 करोड़ पंजीकृत जन्मों से बढ़कर 2018 में 2.33 करोड़ हो गई।
- जन्मों के पंजीकरण का स्तर 2009 के 81.3% से बढ़कर 2018 में 89.3% हो गया।

जन्म पंजीकरण की निर्धारित समय सीमा

- जन्म अथवा मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा 21 दिन है लेकिन कुछ राज्यों में, एक वर्ष के बाद भी जन्म और मृत्यु के पंजीकरण होते हैं।

संबंधित सूचना

- हाल में, सी. रंगराजन (पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद) का तर्क है कि युवा लोगों तक दोनों ही प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं साथ ही लैंगिक समानता मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए पहुँचने की आवश्यकता है।
- उनके तर्क सैंपल पंजीकरण प्रणाली (SRS), सांख्यिकीय रिपोर्ट (2018) और विश्व जनसंख्या 2020 के राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) पर आधारित हैं।

SRS रिपोर्ट के बारे में

- यह देश में सबसे बड़ा जनांकिकीय सैंपल सर्वेक्षण है जिसमें अन्य संसूचकों के अतिरिक्त राष्ट्रीय रूप से प्रतिनिधि सैंपल के द्वारा लिंगानुपात का प्रत्यक्ष आकलन, प्रजनन दर इत्यादि को उपलब्ध कराया जाता है।
- इसे महापंजीक के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में

- UNFPA का उद्देश्य पूरी दुनिया में प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

सरकार की पहल

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 2015 में पानीपत, हरियाणा से शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंगानुपात का मामला और बच्चियों के सशक्तिकरण से संबंधित मामलों एवं महिलाओं के सातत्य जीवन चक्र को सुलझाना है।

संलग्न मंत्रालय

- यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा मंत्रालय) के मंत्रालयों का त्रि-मंत्रालय स्तर का प्रयास है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I-शासन

स्रोत- द हिंदू

न्यायालय की अवमानना

खबर में क्यों है?

- हाल में महान्यायावादी ने स्टैंड अप कमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आपराधिक अवमानना कार्यवाही को शुरू करने की हामी भर दी। कुणाल कामरा ने कई ट्वीट्स किए थे जिसने स्पष्ट रूप से व्यंग्य और न्यायालय की अवमानना की सीमा को पार किया है।

1971 के न्यायालय की अवमानना का कानून

- 1971 के न्यायालय की अवमानना के कानून के अनुच्छेद 2(C) आपराधिक अवमानना की व्याख्या किसी ऐसे मामले का प्रकाशन अथवा किसी ऐसे कार्य के करने को कहता है जो
 - किसी न्यायालय को स्कैंडलाइज अथवा उसकी शक्ति को नीचे करता है।
 - किसी न्यायिक कार्यवाही के रास्ते में रुकावट पैदा करता है
 - न्याय के प्रशासन में रुकावट पैदा करता है

1971 के न्यायालय की अवमानना के कानून के अनुसार, न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है:

- दीवानी अवमानना: यह किसी फैसले, निर्णय, निर्देश, आदेश, याचिका अथवा न्यायालय की किसी अन्य प्रक्रिया का सुवाचिरत उल्लंघन अथवा न्यायालय को दिए गए वचन का सुविचारित उल्लंघन है।
- आपराधिक अवमानना: यह किसी लेख का प्रकाशन अथवा किसी ऐसे कार्य को करना है जो किसी न्यायालय को स्कैंडलाइज अथवा उसकी शक्ति को गिराने का कार्य करती है, अथवा न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में हस्तक्षेप करता है, अथवा किसी भी तरीके से न्याय के प्रशासन में रुकावट डालता है।

दंड

- 1971 का न्यायालय का अवमानना कानून दोषी को कारावास से दंडित करता है जो छह महीने का हो सकता है अथवा जिसमें रु. 2000 का अर्थदंड लगता है, या दोनों ही लागू हो सकते हैं।

कानून आयोग द्वारा समीक्षा

कानून आयोग ने 2018 में 1971 के न्यायालय की अवमानना कानून की समीक्षा की थी और नोट किया कि:

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अवमानना की शक्ति 1971 के कानून से स्वतंत्र है और उंचे न्यायालयों की अवमानना शक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 से लिया गया है।

अनुच्छेद 129

- सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड का न्यायालय होगा और इस तरह के न्यायालय की सभी शक्तियां उसमें निहित होंगी जिससे वह अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सके।

अनुच्छेद 215

- सभी उच्च न्यायालय रिकॉर्ड के न्यायालय होंगे और उनके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां निहित होंगी जिससे वे अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकेंगे।
- इसलिए, कानून से अपराध को हटाने से अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की बड़े न्यायालय की निहित संवैधानिक शक्ति प्रभावित नहीं होगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- शासन

स्रोत- द हिंदू

सरना आदिवासी

खबर में क्यों है?

- झारखंड सरकार ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया और केंद्र को एक पत्र लिखने के संबंध में एक प्रस्ताव को पारित किया जिससे सरना धर्म को मान्यता दी जा सके और 2021 की जनगणना में इसे अलग संहिता के रूप में शामिल किया जा सके।



सरना धर्म क्या है?

सरना धर्म के मतावलंबी प्रकृति से प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं।

- इस विश्वास का सूक्त वाक्य "जल, जंगल जमीन" है और इसके मतावलंबी पेड़ों और पहाड़ियों से प्रार्थना करते हैं जबकि वे वन क्षेत्र के संरक्षण में विश्वास करते हैं।
- ऐसा विश्वास किया जाता है कि पूरे देश में 50 लाख आदिवासियों ने 2011 की जनगणना में अपने धर्म को सरना बताया था, यद्यपि यह संहिता नहीं थी।

स्वतंत्र संहिता का कारण

- राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 1931 के 38.3 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 26.02 प्रतिशत हो गई है।
- उनकी भाषा और इतिहास का संरक्षण आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण पहलू है।
- 1871 से 1951 के मध्य आदिवासियों की अलग संहिता थी।
- लेकिन, इसे 1961-62 के आसपास बदल दिया गया।
- यह कहा जाता है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वे आदिवासी जो कार्य के लिए अलग राज्यों में जाते थे उन्हें जनगणना में रिकॉर्ड नहीं किया जाता था।
- अन्य राज्यों में, उन्हें आदिवासियों के रूप में नहीं गिना जाता था।
- अलग संहिता उनकी जनसंख्या के रिकॉर्ड को सुनिश्चित करेगी।
- यह पर इसपर भी जोर है कि घटती हुई जनसंख्या ने उनको दिए गए संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित किया है और संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों को दिए गए अधिकारों को कैसे प्रदान किया जाए।
- झारखंड में कुल 32 आदिवासी समूह हैं जिनमें से कुल आठ विशेष रूप से संकटग्रस्त आदिवासी समूह हैं।
- जबकि कई हिंदू धर्म का पालन करते हैं, कुछ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं- यह अलग संहिता की मांग का सबसे बड़ा आधार है -"धार्मिक अस्मिता को बचाना"- जैसा कि विभिन्न आदिवासी संगठन कहते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अनुच्छेद 32

खबर में क्यों है?

- हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह कथन दिया कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की गई याचिकाओं को व्यक्तियों के लिए हतोत्साहित कर रहा है।
- यह अवलोकन उस समय आया जब पत्रकार सिद्दीक कप्पन को छोड़ने से संबंधित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इन्हें एक तथाकथित सामूहिक बालात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस, उत्तर प्रदेश जाते समय तीन अन्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।



अनुच्छेद 32 क्या है?

- यह मूलभूत अधिकारों में से एक है जिसे संविधान में अधिसूचित किया गया है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक पात्र है।
- अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है अथवा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की पुष्टि करता है जिसके लिए उपयुक्त कार्यवाहियों का सहारा लिया जाता है जिससे संविधान के भाग 3 में दिये गए अधिकारों को लागू किया जा सके।
- यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय “ को अधिकार होगा कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी याचिकाओं सहित दिशा-निर्देश अथवा आदेश अथवा याचिकाओं को जारी कर सकता है, इनमें जो भी उपयुक्त हो, जिससे इस भाग में दिये गए किसी अधिकार को लागू कराया जा सके ”।
- इस अनुच्छेद द्वारा गारंटी किए गए अधिकार को इस संविधान द्वारा दिये गए तरीके के अतिरिक्त स्थगित नहीं किया जा सकता है।
- इस अनुच्छेद को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है जिसमें अन्य मूलभूत अधिकार भी शामिल हैं जो हैं समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति एवं बोलने की आजादी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता।
- केवल उसी स्थिति में जब इनमें से किसी भी मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।

क्या मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय जाया जा सकता है?

- मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन होने अथवा लागू करवाने के लिए पांच प्रकार की याचिकाओं के द्वारा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है:
 - बंदी प्रत्यक्षीकरण (गैरकानूनी नजरबंदी और गलत गिरफ्तारी के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित)
 - परमादेश- वैधानिक कर्तव्य निर्वहन के लिए सरकारी अधिकारियों, सरकारों, न्यायालयों को निर्देश देना।

- अधिकार पृच्छा- यह दिखाना कि कैसे किस अधिकार से एक व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय पर काबिज है।
 - निषेध- न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को उस कार्यवाही के लिए रोकने जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है; और
 - उत्प्रेषण- न्यायिक, अर्ध न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा दिये गए आदेश की पुर्नजांच करना।
 - दीवानी एवं फौजदारी मामलों में, पीड़ित व्यक्ति के लिए जो पहला उपचार परीक्षण न्यायालय का उपलब्ध है, जिसके बाद उच्च न्यायालय में फिर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
 - जब मामला मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का होता है, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जाया जा सकता है अथवा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है।
 - हालांकि अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 की तरह से मूलभूत अधिकार नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के याचिका न्यायाधिकार क्षेत्र में अंतर**
- उच्च न्यायालय न केवल मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका जारी कर सकते हैं बल्कि अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी ऐसा कर सकते हैं।
 - लेकिन, उच्चतम न्यायालय केवल मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए ही याचिका जारी कर सकता है।
 - इसलिए, उच्चतम न्यायालय का याचिका न्यायाधिकार क्षेत्र इस संबंध में उच्च न्यायालय से संकीर्ण है।
 - उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्यायाधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत है क्योंकि यह भारत के संपूर्ण क्षेत्र में याचिका जारी कर सकता है।
 - लेकिन, उच्च न्यायालय केवल अपने राज्य के क्षेत्रीय न्यायाधिकार क्षेत्र में याचिकाएं जारी कर सकते हैं।
 - उच्चतम न्यायालय अपने याचिका न्यायाधिकार क्षेत्र के प्रयोग से इंकार नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह मूलभूत अधिकार है।
 - हालांकि, उच्च न्यायालयों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे उपचार के रूप में ये याचिकाएं जारी करें क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत यह स्वैच्छिक है।

भारतीय संविधान में याचिकाओं का महत्व

- यह देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
- इससे कार्यपालिका की मनमानी शक्तियों पर रोक लगती है।
- इससे उत्प्रेषण की याचिकाओं के द्वारा न्यायपालिका में किसी गलती को रोकने और सही करने में मदद मिलती है।
- यहां राज्य द्वारा शक्ति अथवा प्राधिकरण का प्रयोग करते समय संतुलित पहिये की तरह से मदद देता है।
- यह राज्य अथवा अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उठाए गए किसी प्रशासनिक कदम की न्यायिक समीक्षा में मदद देता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारीकरण (PM-FME योजना)

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारीकरण (PM-FME योजना) के क्षमता निर्माण घटक का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है।

PM-FME योजना के क्षमता निर्माण घटक के बारे में

- PM-FME योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण को ऑनलाइन तरीके, कक्षा के व्याख्यान और प्रदर्शन एवं स्व गति वाले ऑनलाइन सीखने वाली सामग्री के द्वारा दिया जाएगा।
- NIFTEM और IIFPT राज्य स्तर के तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी में चुने हुए उद्यमों/समूहों/क्लस्टरों को प्रशिक्षण और शोध समर्थन प्रदान कर रहे हैं।



संबंधित सूचना

PM-FME योजना के बारे में

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (PM-FME) योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है।
- यह योजना एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण को अपनाती है जिससे इनपुट को प्राप्त करने के संदर्भ में स्केल के लाभ को हासिल किया जा सके, सामान्य सेवाओं व उत्पादों के विपणन को हासिल किया जा सके।
- यह योजना पूंजी निवेश के लिए 35% ऋण से जुड़े अनुदान के साथ पूरी वैल्यू श्रृंखला के लिए FPOs/SHGs/ उत्पादक सहकारी संघों को समर्थन देगी।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के गैर संगठित क्षेत्र में वर्तमान व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिद्वन्द्विता का उन्नयन करना है।
- इसका एक अन्य उद्देश्य क्षेत्र के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना और किसान उत्पादक संगठनों, स्व सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी संघों साथ ही पूरी वैल्यू श्रृंखला को समर्थन प्रदान करना है।
- इस योजना की कल्पना 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के काल में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता देने की है।

योजना के उद्देश्य हैं:

- (i) उद्योग आधार और FSSAI स्वच्छता मानकों एवं GST के पंजीकरण के साथ उन्नयन और औपचारीकरण के लिए पूंजी निवेश का समर्थन।

उद्देश्य की मुख्य बातें हैं:

- (i) उद्योग आधार और FSSAI स्वच्छता मानकों एवं GST के पंजीकरण के साथ उन्नयन और औपचारीकरण के लिए पूंजी निवेश का समर्थन।
- (ii) कौशल प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा पर तकनीकी ज्ञान देकर, मानक एवं स्वच्छता और गुणवत्ता सुधार के द्वारा क्षमता निर्माण
- (iii) DPR की तैयारी, बैंक ऋण प्राप्त करने और उन्नयन के समर्थन के लिए हैंड होल्डिंग।
- (iv) पूंजी निवेश, सामान्य अवसंरचना और ब्रांडिंग और विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्व सहायता समूहों (SHGs), उत्पादक सहकारी संघों को समर्थन।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

ODOP भारत का डिजीटल मानचित्र

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने GIS आधारित एक जिला एक उत्पाद (ODOP) भारत का डिजीटल मानचित्र जारी किया है।



ODOP भारत का डिजीटल मानचित्र के बारे में

- GIS ODOP भारत का डिजीटल मानचित्र राज्यों के सभी ODOP उत्पादों का विवरण प्रस्तुत करता है और हितधारकों को प्रोत्साहित करता है।
- डिजीटल मानचित्र में आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महत्वाकांक्षी जिलों के बारे में संसूचक भी हैं।
- ODOP भारत का डिजीटल मानचित्र अपनी वैल्यू श्रृंखला के विकास के लिए हितधारकों को लगातार प्रयास करने में सक्षम बनाएगा।

संबंधित सूचना

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम के बारे में

- उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय और विशेषीकृत उत्पादों और हस्तशिल्पों को प्रोत्साहित करना है।
- योजना का उद्देश्य उत्पाद विशेषीकृत पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों का उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विस्तार करना है।
- केंद्र सरकार जल्दी ही 'एक जिला एक उत्पाद' कार्यक्रम को शुरू करेगी जो कि देश के प्रत्येक जिले के लिए होगा जिससे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में उनके विशेष उत्पादों का फैलाव हो सके।

उद्देश्य

- स्थानीय हस्तशिल्पों का संरक्षण और विकास एवं पारंपरिक कला को प्रोत्साहन।

- आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि जो रोजगार के लिए निष्क्रमण को कम करेगा।
- उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करना और स्थानीय कौशल का विकास।
- पैकेजिंग, ब्रांडिंग के द्वारा कलात्मक तरीके से स्थानीय उत्पादों का रूपांतरण।
- आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन के मामलों को सुलझाना।
- राज्य स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद ODOP कार्यक्रम के विचार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर ले जाना।

ODOP के अंतर्गत वित्तीय सहायता

ODOP कार्यक्रम निम्नलिखित मुख्य योजनाओं के रूप में सहायता प्रदान करती है:

- **समान सुविधा केंद्र (CFC) योजना-** इस योजना के अंतर्गत, किसी CFC की परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता को राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
- **विपणन विकास सहायता योजना-** इस योजना के अंतर्गत, ODOP कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में दिखाने और उनके उत्पादों की बिक्री के लिए भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **वित्त सहायता योजना (मार्जिन राशि योजना)-** इस योजना के अंतर्गत, परियोजना लागत का निश्चित मार्जिन परियोजना को लगाने के लिए सब्सिडी के रूप में आवेदकों को भुगतान किया जाएगा।
- **कौशल विकास योजना-** इस योजना के अंतर्गत, कुशल दस्तकार RPL (पूर्व शिक्षण के आधार पर मान्यता) के द्वारा प्रशिक्षित किये जाएंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

केंद्र ने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती की शुरुआत की

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्री ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती की शुरुआत की है।



सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के बारे में

- इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति सेप्टिक टैंक या सीवर में न उतरे, जबतक सार्वजनिक स्वच्छता के हित में अत्यंत आवश्यक ना हो।
- पूरे देश के 243 शहरों के प्रतिनिधियों ने 30 अप्रैल 2021 तक सभी सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों के स्वच्छता प्रचालनों के मशीनीकरण की शपथ ली है।
- यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के स्वप्न के आधार पर ही है, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के केंद्र में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान को रखा है।

- भागीदारी करने वाले शहरों का वास्तविक भूमि पर आकलन को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मई 2021 में किया जाएगा और इसके परिणामों की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी।
- शहरों को तीन उप-श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा- 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले, 3-10 लाख वाले और 3 लाख जनसंख्या वाले, जिसमें रु. 52 करोड़ की कुल पुरस्कार राशि होगी जिसे सभी श्रेणियों में जीतने वाले शहरों को दिया जाएगा।

संबंधित सूचना

विश्व शौचालय दिवस

- यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो 19 नवंबर को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

उद्देश्य

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) नं. 6 अर्थात सभी के लिए स्वच्छता हासिल करने और बिना उपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को कम करने और पुनर्चक्रीकरण और सुरक्षित पुनर्प्रयोग के लिए।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के बारे में

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी जिसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य शहरी भारत को खुल में शौच से मुक्त करना है और देश के 4041 वैधानिक नगरों में नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन को हासिल करना है।

मिशन में निम्नलिखित घटक हैं:

- परिवार वाले शौचालय, जिसमें अस्वच्छता वाली लैट्रीनों को पोर्-फ्लश लैट्रीनों में परिवर्तित करना शामिल है
- सामुदायिक शौचालय
- सार्वजनिक शौचालय
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) और सार्वजनिक जागरूकता
- क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय खर्च (A&QE)

नोट:

- हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास के लिए कानून (2013) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों ने खतरे वाली सफाई का निषेध किया है अर्थात सेप्टिक टैंक अथवा सीवर में बिना सुरक्षात्मक उपकरणों के और बिना प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन किये हुए प्रवेश करना।
- इसके बावजूद, सेप्टिक टैंक और सीवरों की स्वच्छता में लगे हुए लोगों के मध्य मानव मौतों के लगातार प्रसंग जिनमें से अधिकांश लोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समुदायों से हैं, चिंता का विषय हैं।
- रिपोर्टों के अनुसार, हाथ से मैला ढोने की वजह से भारत में अभी भी प्रतिवर्ष 100 से ज्यादा मौतें होती हैं।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

खनिजों, ऊर्जा, समुद्री विविधता की खोज के लिए भारत शुरू करेगा 'गहरा समुद्र अभियान'

खबर में क्यों है?

- भारत जल्दी ही एक महत्वाकांक्षी 'गहरा महासागर अभियान' की शुरुआत करेगा जिसकी परिकल्पना भूमिगत जलीय दुनिया के खनिजों, ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज करने की है, यह वह हिस्सा है जो आज भी अनजान है।



गहरे समुद्र अभियान के बारे में

- इस अभियान का उद्देश्य भारत के वृहद विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्विपीय जल सीमा को खोजने के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
- यह अभियान विभिन्न गहरे महासागरीय पहलों के लिए तकनीक विकसित करने को शामिल करेगा।
- इस अभियान का एक मुख्य पहलू मानव पनडुब्बियों का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन करना है।
- अन्य पहलू गहरे समुद्र खनन और जरूरी तकनीकों के विकास की संभावनाओं को खोजना है।

शामिल संस्थान

- बहु- विषयी कार्य को MoES द्वारा चलाया जाएगा और अन्य सरकारी विभागों जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, बायोतकनीक विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) इस अभियान में हितधारक होंगे।

संबंधित सूचना

- सितंबर 2016 में, भारत ने हिंद महासागर में बहु धात्विक सल्फाइड्स (PMS) की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) के साथ एक पंद्रह वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।
- 15 वर्षीय अनुबंध ने हिंद महासागर में आवंटित स्थान पर बहु धात्विक सल्फाइड्स की खोज के लिए भारत के विशेष अधिकारों का औपचारिकरण किया था।
- ISA ने पहले हिंद महासागर में केंद्रीय भारतीय रिज (CIR) और दक्षिणपश्चिम भारतीय रिज (SWIR) के साथ में 15 वर्षीय PMS खोज योजना के साथ भारत के लिए 10,000 वर्ग किमी. की स्वीकृति दी थी।

बहु धात्विक सल्फाइड्स (PMS) के बारे में

- बहु धात्विक सल्फाइड्स (PMS) में लोहा, तांबा, जिंक, चांदी, स्वर्ण, प्लेटिनम चर मात्राओं में पाई जाती है। ये ये महासागरीय भूपर्पटी के गहरे आंतरिक से गर्म मैग्मा के निकलने से उत्पन्न गर्म तरल पदार्थों का अवक्षेप है। यह खनिज वाली चिमनियाँ से निकलता है।
- महासागरीय रिजों में PMS ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर दीर्घावधि के लिए व्यवसायिक साथ ही रणनीतिक मूल्यों के लिए आकर्षित किया है।



अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के बारे में

- यह एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना समुद्री कानून (UNCLOS) और समुद्र के नियम (1994 का समझौता) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भाग 11 के क्रियान्वयन से संबंधित 1994 के समझौते पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी।
- ISA एक संगठन है जिसके द्वारा UNCLOS की देश पार्टियां संपूर्ण मानव जाति के लाभ के लिए क्षेत्र में सभी खनिज संसाधन से संबंधित गतिविधियों का संगठन और नियंत्रण करती हैं।
- ISA को हानिपूर्ण प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अनुदेश है जो कि गहरे समुद्र से संबंधित गतिविधियों की वजह से पैदा हो सकती हैं।

मुख्यालय

- ISA जिसका मुख्यालय किंग्सटन, जमैका में है, 16 नवंबर 1994 को अस्तित्व में आया, जब UNCLOS लागू हुआ।

- ISA जून 1996 में एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में संचालित होना शुरू हुआ, जब इसने किंग्सटन, जमैका में परिसरों और सुविधाओं को अपने कब्जे में लिया जिसका प्रयोग पहले समुद्र पर कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र किंग्सटन कार्यालय द्वारा किया जाता था।

सदस्य

- 1 मई 2020 तक, ISA के 168 सदस्य थे, जिसमें 167 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- भारत भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण का सदस्य है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)

खबर में क्यों है?

- NABARD ने अभी तक सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) से ₹. 1754.60 करोड़ ब्याज आर्थिक समर्थन का वादा करने वाले ऋण की कुल राशि को जारी किया है।



सूक्ष्म सिंचाई कोष के बारे में

- ₹. 5000 करोड़ की राशि के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष को NABARD के साथ स्थापित किया गया है जो 2019-20 से प्रचालित है।
- कोष का उद्देश्य राज्यों को ब्याज आर्थिक समर्थन का वादा करने वाले ऋण को सूक्ष्म सिंचाई के आच्छादन के प्रसार को ग्रहण करने में प्रोत्साहित करना है। इसके लिए विशेष और नवाचार वाली परियोजनाओं को चलाया जाएगा और साथ ही PMKSY- प्रति बूंद ज्यादा फसल के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के बाहर सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को स्थापित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

संबंधित सूचना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) प्रति बूंद ज्यादा फसल के बारे में

योजना की पृष्ठभूमि

- इस योजना को जनवरी 2006 में कृषि एवं सहकारी विभाग, कृषि मंत्रालय ने शुरू किया था। यह सूक्ष्म सिंचाई (CSS) पर केंद्र प्रायोजित योजना है।
- जून 2010 में, इसका उन्नयन करके इसे सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय अभियान (NMMI) बना दिया गया, जो वर्ष 2013-14 तक जारी रही।
- भारत सरकार सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्र प्रायोजित योजना को क्रियान्वित करती रही है।
- 1 अप्रैल 2014 से, NMMI को सतत कृषि पर राष्ट्रीय अभियान (NMSA) के अंतर्गत शामिल कर लिया है और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 'खेत पर जल प्रबंधन' (OFWM) के रूप में क्रियान्वित किया गया।

- OFWM के सूक्ष्म सिंचाई घटक को 1 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- यह केंद्र प्रायोजित योजना (मुख्य योजना) है जिसे 2015 में शुरू किया गया।
- इसे चल रही योजनाओं का विलय करके निर्मित किया गया:
 - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय।
 - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
 - खेत पर जल प्रबंधन (OFWM)- कृषि एवं सहयोग (DAC) विभाग।

इसके उद्देश्य हैं:

- खेत के स्तर पर सिंचाई में निवेशों का संमिलन,
- निश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेतीयोग्य भूमि का प्रसार (हर खेत को पानी),
- खेत पर जल में सुधार, जल की बरबादी को कम करने के लिए सही तरीके से प्रयोग करना,
- सटीक सिंचाई के अपनाने का उन्नयन और अन्य जल बचाओ तकनीकों का विकास (प्रति बूंद ज्यादा फसल),
- जलवाही परत को भरना और सटीक सिंचाई प्रणाली में अर्ध शहरी कृषि और ज्यादा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उपचारित म्युनिसिपल आधारित जल के पुनर्प्रयोग की संभावना को खोज कर सतत जल संरक्षण प्रथाओं की शुरुआत करना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB


नई आयु के शासन (UMANG) के लिए एकीकृत मोबाइल अनुप्रयोग

खबर में क्यों है?

- UMANG के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर, केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री ने विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में UMANG के अंतरराष्ट्रीय संस्करण को उतारा है। यह एप चुने हुए देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाईटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और न्यूजीलैंड के लिए है।

लाभ

- यह भारत के अंतरराष्ट्रीय छात्रों, अनिवासी भारतीयों और विदेश में भारतीय पर्यटकों को मदद देगा जिससे वे किसी भी समय भारत सरकार की सेवाओं को हासिल कर सकेंगे।



- यह भारत को विश्व में ले जाने में भी मदद करेगा जिसके लिए 'भारतीय संस्कृति' सेवाएं UMANG पर उपलब्ध हैं और भारत आने के लिए विदेशी पर्यटकों के मध्य दिलचस्पी पैदा करेगा।

संबंधित सूचना

UMANG एप के बारे में

- UMANG मोबाइल एप (यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गर्वर्नेंस) भारत सरकार का एक ही में सबकुछ एकल बहु भाषी, बहु सेवा मोबाइल एप है जो विभिन्न भारत सरकार के विभागों और राज्य सरकारों की उच्च प्रभाव सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराता है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय (MeitY) की डिजिटल इंडिया पहल है जिसे 2017 में शुरू किया गया था।

विशेषताएं

- यह आधार और डिजीलॉकर जैसे लोकप्रिय ग्राहक केंद्रित सेवाओं के साथ निर्बाध एकीकरण उपलब्ध कराता है।
- यह एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है जहां कोई व्यक्ति बहु सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक अनुप्रयोग को इनस्टॉल कर सकता है।
- इसे बहु चैनलों जैसे मोबाइल अनुप्रयोग, वेब और एसएमएस पर देखा जा सकता है जिन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट और डेस्कटॉप के द्वारा देखा जा सकता है।
- इसका एक रिच मल्टीमीडिया इंटरफेस है जिसका मुख्य जोर उपयोगिता को अधिकतम करने और प्रयोग करने के अनुभव को बेहतर बनाने पर है।

अनुप्रयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं

- यह एक एकीकृत अनुप्रयोग है जिसका प्रयोग संपूर्ण भारत में ई-शासन सेवाओं जैसे आयकर फाइल करने, कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (EPFO) सेवाओं, आधार, पेंशन, ई-पाठशाला, ई-भूमि आलेख, फसल बीमा इत्यादि के लिए किया जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

भारत के लिए SDG मानचित्र

खबर में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) निवेशक मानचित्र की शुरुआत की है।

'भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र'

- इसका उद्देश्य निवेश संभावना क्षेत्रों (IOAs) की ओर निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा पूंजी को निर्देशित करने में मदद देने का है। यह भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित सतत विकास जरूरतों में योगदान दे सकते हैं।
- इस मानचित्र ने 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के आरपार 18 IOAs और 8 व्हाइट स्पेसेज की पहचान की है जिसमें शामिल हैं
 - शिक्षा
 - स्वास्थ्य सेवा
 - कृषि एवं सहायक सेवाएं
 - वित्तीय सेवाएं
 - पुनर्नवीकृत ऊर्जा विकल्प और सतत पर्यावरण।

महत्वपूर्ण निवेश संभावनाओं वाले क्षेत्रों में शामिल हैं

- K12' के लिए ऑनलाइन संपूरक शिक्षा (शिक्षा),

- तकनीकी सक्षम दूरस्थ देखभाल सेवाएं (स्वास्थ्य देखभाल)
- बाजारों तक किसानों की आसान पहुँच के लिए सेवा इनपुट/आउटपुट जरूरतों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (कृषि)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और निम्न आय समूहों तक ऋणों की पहुँच विशेष रूप से आय उत्पन्न उद्देश्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा (वित्तीय सेवाएं)।

संबंधित सूचना

इन्वेस्ट इंडिया

- इसकी स्थापना 2009 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन के विभाग के अंतर्गत एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में हुई थी।
- यह भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुगमता एजेंसी है और भारत में निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

UNDP

- यह संयुक्त राष्ट्र वैश्विक विकास नेटवर्क है।
- यह विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान उपलब्ध कराता है, जिसका मुख्य जोर अल्प विकसित देशों को सहायता देने में होता है।

UNDP के 2018-19 के भारत के देश कार्यक्रम में तीन प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र हैं:

- समावेशी वृद्धि
- पर्यावरण और ऊर्जा
- देशों की प्रणालियों और संस्थाओं को मजबूत करना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

सहकार प्रज्ञा

खबरों में क्यों?

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रशिक्षण कार्यक्रम 'सहकार प्रज्ञा' का उद्घाटन किया।

सहकार प्रज्ञा

- भारत की सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) का एक हिस्सा है।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहकार प्रज्ञा के 45 नये प्रशिक्षण माइयूल लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी के साथ मिलकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- यह पूरे देश में 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के द्वारा NCDC की प्रशिक्षण क्षमता के उन्नयन को परिलक्षित करती है।

सहकार प्रज्ञा की आवश्यकता

- आज भारत के पास लगभग 290 मिलियन सदस्यों के साथ 8.5 लाख सहकारी समितियों से ज्यादा का विशाल नेटवर्क है।
- भारत में लगभग 94% किसान कम से कम एक सहकारी समिति के सदस्य हैं।
- सहकारी समितियां कृषि और सहायक क्षेत्रों में जोखिमों को न्यूनतम करके किसानों को मजबूती प्रदान करती हैं।
- सहकारी समितियों का आत्मनिर्भर भारत में प्रमुख भूमिका है।

संबंधित सूचना

सहकार कूपट्यूब NCDC चैनल

- केंद्रीय निकाय ने हाल में सहकार कूपट्यूब NCDC चैनल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन में युवाओं को शामिल करना है।
- यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की एक नई पहल है।
- यह एक राष्ट्र एक बाजार की ओर पहल है जिसका उद्देश्य भारत को विश्व की खाद्य फैक्ट्री बनाना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- नीतियां और हस्तक्षेप; ई-शासन

स्रोत- द हिंदू

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’

खबरों में क्यों है?

- हाल में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की वकालत की, उन्होंने कहा कि यह देश की जरूरत है क्योंकि कुछ ही महीनों में बार-बार चुनाव होने से विकास कार्यों में बाधा आती है।
- देश में सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची होनी चाहिए।

एक साथ चुनाव क्या हैं?

- वर्तमान में, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए चुनाव अलग-अलग होते हैं- इसका अर्थ है जब भी सरकार के पांच वर्ष पूरे होते हैं अथवा जब भी इसे विभिन्न कारणों से भंग कर दिया जाता है।
- यह राज्य विधायिकाओं और लोकसभा दोनों पर ही लागू है।
- लेकिन ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विचार ऐसी प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां सभी राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे।
- यह भारतीय चुनाव के चक्र की पुनर्संरचना इस तरह से करेगा कि राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ हों।

क्या है इसकी पृष्ठभूमि?

- भारत में, लोकसभा (निम्न सदन) और विधानसभाओं (राज्य विधानसभाएं) के एक साथ चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे।
- इसके बाद लेकिन, इस सारिणी को बनाए नहीं रखा जा सका और अभी भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं।
- अंतिम लोकसभा चुनाव 2019 में सम्पन्न हुए थे।
- 2017 में 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, 2018 में 13 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 2019 में 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 2020 में एक राज्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विधानसभा चुनाव हुआ और 2021 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
- एक साथ चुनाव करवाने का विचार 1983 में चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।
- 1999 में कानून आयोग की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया।

लाभ

- एकसाथ चुनाव से अलग चुनाव में होने वाले भारी-भरकम खर्च में कटौती हो जाएगी।
- इस प्रणाली से शासक दल को सदैव चुनाव की मुद्रा में होने के शासन पर केंद्रित होने में मदद मिलेगी।
- एक साथ चुनाव मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा कानून आयोग का मानना है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को चुनौतियां

- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के काल को समतुल्य बनाने की जरूरत है जिससे दिये हुए समय के अंदर इन दोनों का चुनाव हो सके।
- राज्य विधानसभाओं का लोकसभा के साथ चुनाव का समय समतुल्य बनाने के लिए, सुविधानुसार राज्य विधानसभाओं का काल घटाया या बढ़ाया जा सकता है और ऐसा करने के लिए, निम्नलिखित में संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी:
 - **अनुच्छेद 83:** यह कहता है कि लोकसभा की अवधि उसकी पहली बैठक की तिथि से पांच वर्षों की होगी।
 - **अनुच्छेद 85:** यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - **अनुच्छेद 172:** यह कहता है कि विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक से पांच वर्षों की होगी।
 - **अनुच्छेद 174:** यह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - **अनुच्छेद 356:** यह केंद्र को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।
 - **जन प्रतिनिधत्व कानून** साथ ही संबंधित संसदीय प्रक्रिया को भी संशोधित करने की जरूरत होगी।
- मुख्य मुद्दा भारत में संसदीय प्रकार की सरकार का होना है जिसकी वजह से इसके क्रियान्वयन में बाधा है, जिसके द्वारा सरकार निम्न सदन के प्रति जवाबदेह है (लोकसभा अथवा विधानसभा)।
- 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर राजनीतिक दलों को मनाना काफी मुश्किल है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मासिक धर्म उत्पाद (मुफ्त प्रावधान) (स्काटलैंड) विधेयक

खबरों में क्यों है?

- स्कॉटिश संसद ने एक ऐतिहासिक विधान पारित किया है जिसका शीर्षक है "मासिक धर्म उत्पाद (मुफ्त प्रावधान) (स्काटलैंड) विधेयक" जिसने सेनेटरी पैड्स और टैम्पून्स जैसे मासिक धर्म से जुड़े हुए उत्पादों को जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में देने का प्रावधान किया है।
- यह स्कॉटलैंड को सेनेटरी उत्पादों को मुफ्त में देने वाला दुनिया का पहला देश बना देगा।

मासिक धर्म (मुफ्त प्रावधान) (स्काटलैंड) विधेयक

- इस विधेयक को सांसद मोनिस लेनॉन ने पटल पर अप्रैल 2019 में रखा था जिसका उद्देश्य 'मासिक धर्म गरीबी' से निपटना था, यह जब होता है जब कुछ लोग मासिक धर्म उत्पादों को खरीदने में अक्षम होते हैं।
- इसका केंद्रीय उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़े हुए मौन और कलंक को समाप्त करना है और साथ ही यह लैंगिक बाधाओं को भी हटाना चाहता है।
- इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिनको मासिक धर्म होता है उन्हें मासिक धर्म उत्पादों को मुफ्त में मिलने में आसानी हो।

संबंधित सूचना

'मासिक धर्म गरीबी क्या है'?

- इस विधान के पीछे मुख्य विचार यह है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से महिलाओं और उभयलिंगी लोगों को सेनेटरी उत्पाद मिलने में मुश्किल होती है।

- इसमें शामिल हैं बेघर होना, बलपूर्वक, नियंत्रित और हिंसक संबंध और स्वास्थ्य समस्याएं जैसे एंड्रोमीट्रीओसिस।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

जल जीवन अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नवाचार तकनीक को शामिल करना

खबर में क्यों है?

- हाल में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग में बहु विषयी तकनीकी समिति ने पांच तकनीकों की संस्तुति की है जिसमें से विशेष रूप से तीन तकनीक पेयजल और दो तकनीक स्वच्छता के लिए हैं।



पांच तकनीक जिनकी संस्तुति की गई है, वे हैं:

जानाजल वाटर ऑन व्हील

- यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर आधारित विद्युत वाहन है जोकि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर आधारित है जिससे परिवारों के दरवाजे पर सुरक्षित जल का वितरण करना संभव हो जाएगा।

प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर

- यह गैर विद्युत आधारित ऑनलाइन क्लोरीनेटर है जिससे बैक्टीरिया के प्रदूषण को हटाने के लिए जल विसंक्रमीकरण किया जाता है।

ग्रंडफॉस एक्यूप्योर

- यह सौर ऊर्जा आधारित जल शोधन संयंत्र है जोकि अतिसूक्ष्म निस्स्यंदन पर आधारित है।

जोहकासाउ तकनीक

- यह अंतर्निहित पैकेज्ड ब्लैक (सीवर) और ग्रेवाटर (रसोई और नहाने का जल) शोधन प्रणाली है जिसमें उन्नत अवायवीय और वायवीय विन्यास है जिसे भूमिगत संस्थापित किया जा सकता है।

FBTec®

- यह स्थल पर लगाई गई विकेंद्रीकृत सीवर शोधन प्रणाली है जो कि निश्चित फिल्टर मीडिया का प्रयोग करती है।

लाभ

- समिति की संस्तुति राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को मदद देगी जिससे वे इन तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं जोकि उनकी जरूरत और उपयुक्तता पर निर्भर करेगी।
- इन तकनीकों का मूल्यांकन तकनीकी समिति द्वारा विचार और संस्तुति के पूर्व विभिन्न स्तरों पर किया गया था।

संबंधित सूचना

जल जीवन अभियान

- जल जीवन अभियान की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) की पुनर्संरचना और सम्मिलित करने के बाद हुई जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील परिवार नल कनेक्शन (FHTC) 2024 तक उपलब्ध कराएगा अर्थात् हर घर नल से जल (HGNSJ)।

उद्देश्य

- यह 2024 तक सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को नल के द्वारा जल की आपूर्ति (हर घर जल) उपलब्ध कराएगी
- इसका उद्देश्य 2024 तक कार्यशील परिवार नल कनेक्शन (FHTC) के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 55 लीटर जल आपूर्ति करने की है।
- जल जीवन अभियान को 2020 के बजट में रु. 3.6 लाख करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी।

मुख्य जोर वाले क्षेत्र

- यह अभियान जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर स्थानीय स्तर पर जोर देता है।
- जरूरी तत्वों के रूप में स्रोत सततता उपाय जैसे वर्षा जल संचय, भूमिगत जल रिचार्ज और पारिवारिक अवशिष्ट जल के प्रबंधन को स्थानीय अवसंरचना के सृजन के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ संमिलन में किया जाएगा।
- जल जीवन अभियान विभिन्न जल संरक्षण प्रयासों जैसे प्वाइंट रिचार्ज, छोटे सिंचाई टैंकों की गाद निकालने, कृषि के लिए गंदे जल के प्रयोग और स्रोत सततता पर आधारित है।
- यह अभियान जल के लिए समुदाय के दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें शामिल हैं सघन सूचना, अभियान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में शिक्षा और संचार।
- भारत के संविधान के 73वें संशोधन ने पेयजल के विषय को 11वीं अनुसूची में डाल दिया है।

वित्त पोषण की तरीके:

- वित्त पोषण की साझेदारी होगी निम्न के मध्य में
 - a. केंद्र और राज्य के बीच में 90:10
 - b. हिमालय और उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए 50:50
 - c. अन्य राज्यों के लिए, और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 100%
- जल जीवन अभियान का संमिलन अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारी की योजनाओं से हो जाएगा जिससे पूरे देश में सतत जल आपूर्ति प्रबंधन के उद्देश्यों को हासिल कर लिया जाएगा।

संस्थागत व्यवस्था:

- a. केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन अभियान (NJJM)
- b. राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता अभियान (SWSM)
- c. जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता अभियान (DWSM)
- d. गांव स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता समिति (VWSC)

ग्राम्य कार्य योजना (VAP):

- प्रत्येक ग्राम एक ग्राम्य कार्य योजना (VAP) तैयार करेगा जिसके तीन घटक होंगे:
 - i. जल स्रोत एवं उसका रखरखाव
 - ii. जल आपूर्ति
 - iii. गंदा जल (घरेलू अपशिष्ट जल) प्रबंधन।

अभियान की जरूरत और महत्व:

- भारत में दुनिया की 16% आबादी निवास करती है, लेकिन यहां केवल 4% ही ताजाजल स्रोत हैं।
- पीने योग्य पेयजल को प्रदान करने के सामने बड़ी चुनौती घटते हुए भूमिगत स्तर, जरूरत से ज्यादा शोषण और खराब होती जल गुणवत्ता, मौसम परिवर्तन इत्यादि की हैं।
- देश में जल संरक्षण की तुरंत जरूरत है क्योंकि भूमिगत जल के स्तर की मात्रा घट रही है।
- जल जीवन अभियान स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान देगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप

स्रोत- द हिंदू


इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलेजेंस

खबर में क्यों है?

- हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने सूचित किया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ सहयोग में Evin-इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलेजेंस नेटवर्क का प्रयोग कर रही है जिससे प्राथमिक लाभकर्ताओं और वैक्सीन वितरण नेटवर्क की पहचान की जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलेजेंस नेटवर्क के बारे में

- Evin एक नवाचार वाला तकनीकी हल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में प्रतिरक्षण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना है।
- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान (NHM) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।



- Evin का उद्देश्य पूरे देश में सभी कोल्ड चेन बिंदुओं पर टीके भंडारों और प्रवाहों और भंडारण तापमानों पर वास्तविक समय सूचना को उपलब्ध कराना है।
- इस वलिष्ठ प्रणाली का प्रयोग जरूरी कस्टमाइजेशन के साथ कोविड महामारी के समय किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जरूरी टीकाकरण सेवाओं की सततता को सुनिश्चित करना और टीके से बचाव वाले रोगों के विरुद्ध बच्चों और गर्भवती मांओं की रक्षा करना है।
- Evin में स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक है, एक मजबूत सूचना तकनीक अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन है जिससे भंडार और टीके के भंडारित तापमान जिसे पूरे देश में कई स्थानों पर रखा गया है, की वास्तविक समय निगरानी की जा सके।
- यह स्वदेशी तौर पर विकसित तकनीक है जो टीके के भंडार को डिजीटाइज करता है और स्मार्टफोन अनुप्रयोग के द्वारा कोल्ड चेन के तापमान की निगरानी करता है।

महत्व

- Evin केंद्र सरकार के सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सभी कोल्ड चेन बिंदुओं पर टीके के भंडारों और प्रवाहों और भंडारण तापमानों पर वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराता है।

कौन सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में टीके की शुरुआत का दिशा-निर्देशन करेगा?

- केंद्र ने कोविड 19 टीके को लगाने के लिए तैयारियों की शुरुआत कर दी है और कोविड 19 (NEGVAC) के लिए टीके को लगाने पर बने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन कर दिया है। यह उच्चतम समूह होगा जो टीका लगाने के लिए रणनीतियों का दिशा-निर्देशन करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा प्रदान किया

खबर में क्यों है?

- हाल में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा प्रदान कर दिया।
- यह कदम उस समय उठाया गया जब सऊदी अरब ने अपने देश के नक्शे से गिलगित-बाल्तिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से हटा दिया।
- यह पाकिस्तान का पांचवां प्रांत बन जाएगा।
- वर्तमान में, पाकिस्तान में चार प्रांत हैं-बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवां, पंजाब और सिंध।



भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बता दिया है कि जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की संपूर्ण केंद्र शासित क्षेत्र, जिसमें तथाकथित गिलगित बाल्तिस्तान का क्षेत्र भी शामिल है, भारत के अविभाज्य हिस्से हैं क्योंकि 1947 में भारत में जम्मू और कश्मीर का कानूनी, संपूर्ण और न समाप्त होने वाला विलय हुआ था।
- गिलगित बाल्तिस्तान को सीमित स्वायत्ता मिली हुई है जिसे 2009 के गिलगित बाल्तिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश के द्वारा शासित किया जाता है।
- यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी हिस्सा है।

संबंधित सूचना

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- यह चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) की फ्लैगशिप परियोजना है।
- पाकिस्तान और चीन के बीच में द्विपक्षीय परियोजना का उद्देश्य राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना है। इसमें ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य अवसंरचना विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- यह उत्तरी पाकिस्तान में खुनजेराब दर्रे के द्वारा बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक चीन (जिनजियांग) के पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा।

- भारत ने CPEC को लेकर चीन से अपना विरोध जताया था क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के द्वारा होकर जा रहा है।



गिलगित बाल्तिस्तान के बारे में

- वर्तमान में कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र का हिस्सा है, जो उत्तरी भारतीय महाद्वीप में स्थित है।
- यह काराकोरम ऋंखला में एक संकरी घाटी में गिलगित नदी पर स्थित है जो हुंजा नदी के साथ संगम बनाती है और सिंधु नदी के साथ इसका संगम आगे बढ़ने पर है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- PIB

संयुक्त राष्ट्र ने नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया

खबर में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र आमसभा की पहली समिति ने दो प्रस्ताव अपनाए हैं जिन्हें भारत ने प्रायोजित किया था- 'नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के निषेध पर सम्मेलन' और 'नाभिकीय हथियार क्लस्टर के अंतर्गत नाभिकीय खतरे को कम करना'।
- यह प्रस्ताव भारत के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं।



पृष्ठभूमि

नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के निषेध पर सम्मेलन

- 'नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के निषेध पर सम्मेलन' जिसे भारत ने आमसभा में 1982 में रखा था, ने जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन के लिए निवेदन किया है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बातचीत की शुरुआत करना है जिसमें किसी भी परिस्थिति में नाभिकीय हथियारों के प्रयोग की धमकी के प्रयोग का निषेध करने की बात होनी चाहिए।

नाभिकीय खतरे को घटाने के बारे में

- "नाभिकीय खतरे को घटाने" पर प्रस्ताव जिसको 1998 से रखा जा रहा है, विश्व का ध्यान नाभिकीय हथियारों के अनजाने में अथवा आकस्मिक प्रयोग के खतरे की ओर खींचा है। यह नाभिकीय सिद्धांतों की समीक्षा की जरूरत को रेखांकित करता है।
- यह ठोस कदम उठाने की बात करता है जिससे ऐसे खतरों को कम किया जा सके, जिसमें नाभिकीय हथियारों गैर चौकसी और गैर लक्ष्य शामिल हैं।

संबंधित सूचना

संयुक्त राष्ट्र आमसभा प्रथम समिति के बारे में

- इसे निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति भी कहते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र आमसभा की छह मुख्य समितियों में से एक है।
- यह निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से निपटेगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- सुरक्षा/अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)

खबर में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) भारत के साथ काफी करीब से कार्य करके राष्ट्रीय नीति प्राथमिकताओं और विकास रणनीतियों के साथ समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहा है।
- नई दिल्ली में UNIDO का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास के UNIDO के आदेश को प्रोत्साहित करने का केंद्र बिंदु है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

- यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है जो गरीबी को कम करने, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय सततता के लिए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1966 में स्थापित किया गया था।



सदस्य

- 1 अप्रैल 2019 तक UNIDO के 170 देश सदस्य थे।

अधिदेश

- UNIDO के अधिदेश को SDG-9 में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, जो लचीली अवसंरचना को निर्मित करने, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने और नवाचार का पोषण करने का आह्वान करता है।
- ISID की प्रासंगिकता, लेकिन कम या ज्यादा मात्रा में सभी SDG पर लागू होती है।
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) का मिशन, जिसे 2013 में UNIDO सामान्य सम्मेलन के पंद्रहवें सत्र में लीमा घोषणा के रूप में अपनाया गया था।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास (ISID) को तीव्र और प्रोत्साहित करना है।
- इसका मुख्यालय विएना, ऑस्ट्रिया में है।
- इसी के अनुसार संगठन के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु की संरचना की गई है, जिसे विस्तृत रूप से संगठन के मध्यम अवधि कार्यक्रम ढांचे 2018-2021 में दिया गया है, इसकी चार रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं:
 - a. साझा समृद्धता का निर्माण करना
 - b. आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता को आगे बढ़ाना
 - c. पर्यावरण की सुरक्षा करना
 - d. ज्ञान और संस्थानों को मजबूत करना

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- AIR

सिचुआन-तिब्बत रेलवे परियोजना


खबर में क्यों है?

- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल में अधिकारियों को सिचुआन-तिब्बत रेलवे परियोजना के निर्माण को तेज करने का निर्देश दिया है। यह परियोजना देश के दक्षिण-उत्तर सिचुआन प्रांत को तिब्बत में लिंझी से जोड़ती है जो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा से लगा हुआ है।

सिचुआन-तिब्बत रेलवे परियोजना के बारे में

- सिचुआन-तिब्बत रेलवे किंघाई-तिब्बत रेलवे परियोजना के बाद तिब्बत में दूसरी रेलवे लाइन होगी।
- यह किंघाई-तिब्बत पठार के दक्षिण-पूर्व के द्वारा जाएगी, जोकि दुनिया के सबसे ज्यादा भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।
- सिचुआन-तिब्बत रेलवे के शुरुआत सिचुआन प्रांत की राजधानी, चेंगदू से होती है और यह यान से यात्रा करते हुए कामदो के द्वारा तिब्बत में प्रवेश करती है, जिससे चेंगदू से ल्हासा के बीच की यात्रा 48 घंटे से घटकर 13 घंटे की हो जाती है।
- सिचुआन-तिब्बत रेलवे परियोजना सीमा क्षेत्रों में स्थिरता की सुरक्षा करने में मुख्य भूमिका अदा करेगी।
- इसे निन्गची भी कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है।
- लिंझी में एक हवाई अड्डा भी है जो हिमालय क्षेत्र में चीन द्वारा बनाये गए पांच हवाई अड्डों में से एक है।

Sichuan-Tibet Railway



भारत-चीन सीमा विवाद

- भारत-चीन सीमा विवाद 3,488 किमी. लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को कवर करता है, जो दोनों देशों के बीच में वास्तविक सीमा है।
- चीन अरुणाचल प्रदेश पर दक्षिण तिब्बत के भाग के रूप में दावा करता है जिसे भारत पूरी तरह से खारिज करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर परामर्शदात्री समिति

खबर में क्यों है?

- भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा हाल में संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों (ACABQ) की परामर्शदात्री समिति के लिए निर्वाचित हुईं, जो आमसभा का एक सहायक अंग है।
- एशिया-प्रशांत देशों के समूह में, मिस. मैत्रा, जो संयुक्त राष्ट्र के स्थाई मिशन में भारत की प्रथम सचिव हैं, को 126 मत प्राप्त हुए।



प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर परामर्शदात्री समिति के बारे में

- यह आमसभा का सहायक अंग है, जिसके 16 सदस्य शामिल हैं जिसे उनकी व्यक्तिगत क्षमता में सभा द्वारा नियुक्त किया जाता है।

चुनाव

- इन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, जोकि मोटे तौर पर भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।
- सदस्य व्यक्तिगत क्षमता में सेवा देते हैं ना कि सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के तौर पर।

- समिति प्रतिवर्ष तीन सत्रों का आयोजन करती है जिसमें प्रतिवर्ष कुल बैठक समय नौ और दस महीनों के बीच में होता है।

कार्य

- परामर्शदात्री समिति के कार्य और जिम्मेदारियां, साथ ही इसकी संरचना, का संचालन 13 फरवरी 1946 के 14(1), 14 दिसंबर 1977 के 32/103 और सभा के विधियों के कानून के नियम 155 से 157 के सभा प्रस्तावों के प्रावधानों के द्वारा होता है।

परामर्शदात्री समिति के प्रमुख कार्य हैं:

- a) आमसभा को महासचिव द्वारा सौंपे गए बजट पर रिपोर्ट और जांच करना।
- b) किसी प्रशासनिक और बजटीय मामला जो इसको दिया जाए, के संबंध में आमसभा को सलाह देना।
- c) आमसभा की ओर से विशेषीकृत एजेंसियों के प्रशासनिक बजटों और ऐसी एजेंसियों के साथ वित्तीय व्यवस्था के प्रस्तावों की जांच करना; और
- d) संयुक्त राष्ट्र और विशेषीकृत एजेंसियों के खातों की लेखा परीक्षक रिपोर्टों पर विचार करना और आमसभा को रिपोर्ट करना।
- e) समिति के कार्य के कार्यक्रम का निर्धारण आमसभा और अन्य विधायिका निकायों की जरूरतों के अनुसार होता है, जिन्हें समिति रिपोर्ट सौंपती है।

विषय- सामान्य अध्ययन II-अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- AIR

जो बाईडेन होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति

खबर में क्यों है?

- डेमोक्रेट जो बाईडेन 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के विजेता घोषित किये गए हैं, जिसके लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है, जिससे वे संयुक्त राज्य के 46वें राष्ट्रपति बन गये हैं।



खबरों में और भी

- कमला हैरिस ने भी अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली है जिससे वे संयुक्त राज्य अमेरिका की उप-राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बन गई हैं।
- कमला हैरिस को ही संयुक्त राज्य सीनेट का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त है जो भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी मूल की पहली महिला हैं।
- निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधि जिन्हें लोकप्रिय मतों के द्वारा चुना गया है, वे अगले महीने की 14 तारीख को नये राष्ट्रपति को आधिकारिक रूप से चुनने के ले अपने मत डालेंगे।
- नये राष्ट्रपति इसलिए अगले वर्ष उद्घाटन समारोह के बाद 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन-प्रश्नपत्र II-अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नया शांति समझौता

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नया शांति समझौता संपन्न कराया है , इन दोनों देशों के बीच दक्षिण काकेशस में नागोर्नो-कराबाख के विवादित क्षेत्र में पिछले छह सप्ताह से अधिक समय से सैन्य संघर्ष चल रहा था।



नए शांति समझौते के प्रावधान

- नए शांति समझौते के अनुसार, दोनों पक्षों को अपनी वर्तमान स्थिति को वस्तुतः बनाए रखना होगा, जो कि अजरबैजान के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़त होगी क्योंकि इसने हालिया संघर्ष के दौरान अपनी खोए हुए क्षेत्र के 15 से 20 प्रतिशत भाग पर कब्जा कर लिया है।
- इस समझौते के तहत, सभी सैन्य अभियानों को समाप्त कर दिया गया है , रूसी शांति सैनिकों को नागोर्नो-करबाख में संपर्क की रेखा और लाचिन गलियारे पर तैनात किया जाएगा जो क्षेत्र को आर्मेनिया से जोड़ता है।
- लगभग 2,000 सैन्य बलों के साथ रूसी शांति सेना को क्षेत्र में पांच वर्षों की अवधि के लिए तैनात किया जाएगा।
- शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में लौट जाएंगे और दोनों पक्ष युद्ध और संस्थाओं के कैदियों का भी आदान-प्रदान करेंगे।
- गौरतलब है कि नाखचिवन से अजरबैजान तक एक नए गलियारे को खोला जाएगा, जो रूस के नियंत्रण में रहेगा।
- इस संघर्ष में रूस की भूमिका कुछ हद तक अपारदर्शी रही है क्योंकि यह दोनों देशों को सैन्य सामग्री की आपूर्ति करता है और इसका आर्मेनिया के साथ सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन नाम से एक सैन्य संधि भी है।

संबंधित जानकारी

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में

- इस पर आर्मेनिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान द्वारा 15 मई, 1992 को उजबेकिस्तान में सामूहिक सुरक्षा संधि या ताशकंद समझौता या ताशकंद संधि के नाम से हस्ताक्षर किया गया था।
- आर्मेनिया CSTO का एक संस्थापक सदस्य देश है।
- 1993 में, अज़रबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया भी संधि में शामिल हो गए।
- यह संधि 20 अप्रैल 1994 को पांच साल की अवधि के लिए अस्तित्व में आयी।

- छह सदस्य-देशों (अज़रबैजान, जॉर्जिया और उजबेकिस्तान को छोड़कर) ने 1999 में एक और पांच सालों की अवधि के लिए संधि को नवीनीकृत करने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
- CSTO के नवीनतम संस्करण को 7 अक्टूबर, 2002 को स्थापित किया गया है, जब कुछ सदस्य देशों (अज़रबैजान, जॉर्जिया, और उजबेकिस्तान) ने सैन्य संधि से बाहर निकलने का निर्णय लिया।
- CSTO को 2 दिसम्बर 2004 को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था।
- इसका मुख्यालय मास्को, रूस में है।

CSTO का उद्देश्य

- CSTO का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच सैन्य-राजनीतिक सहयोग, विदेश नीति समन्वय और सहयोग तंत्र स्थापित करके राष्ट्रीय और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है।

सदस्य राष्ट्र

- CSTO के वर्तमान सदस्य हैं - आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान।
- अफगानिस्तान और सर्बिया को CSTO में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत-PIB

20वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

समाचार में क्यों?

- शंघाई सहयोग संगठन परिषद (SCO) देशों के प्रमुखों का 20वां शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

SCO

- यह एक स्थाई अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में कजाखस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी।

सदस्य

- चीन, भारत, कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के स्थाई सदस्य बनें।
- पर्यवेक्षक देश: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया
- शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक कार्यकारी भाषा चीनी और रूसी है।
- SCO सचिवालय जो बीजिंग में है, SCO का मुख्य कार्यकारी निकाय है।
- SCO में सर्वोच्च निर्णय निर्माता निकासय राज्यप्रमुखों की परिषद है। यह वर्ष में एक बार मिलती है और संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णयों और दिशा-निर्देशों को अपनाती है।

लक्ष्य

- सदस्य देशों के मध्य आपसी विश्वास और पड़ोसीपन को मजबूत करना;
- राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, शोध, तकनीक, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरणीय संरक्षण में प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना।

क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक संरचना

- यह SCO का स्थाई अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ सदस्य देशों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक संरचना (RATS), ताशकंद, उज्बेकिस्तान में मुख्यालय है।

- सभी SCO सदस्य, चीन, भारत और पाकिस्तान को छोड़कर, यूरोशियाई आर्थिक समुदाय के भी सदस्य हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

RCEP से बाहर आने के बावजूद भारत, ASEAN करेंगे व्यापार में प्रसार

खबर में क्यों है?

- भारत और ASEAN देश अपने बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए तरीकों की खोज करेंगे जबकि भारत 15- देशों वाले क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझीदारी (RCEP) समझौते से बाहर निकल चुका है।
- RCEP मुक्त व्यापार समझौता, जिससे भारत एक वर्ष पूर्व बाहर आ चुका है, पर 15 नवंबर को हस्ताक्षर होने की आशा है, जो कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और 10 ASEAN देशों के मध्य हस्ताक्षरित होगा।
- लेकिन, उनके एक उपबंध छोड़ने की आशा है जिससे भारत बाद में इसमें शामिल हो सकता है।

भारत और RCEP

- 2019 में, भारत ने 16 देशों वाले क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझीदारी (RCEP) व्यापार समझौते से बाहर होने का फैसला लिया था।
- इस बारे में भारत का कहना था कि वह उस समय तक RCEP का हिस्सा नहीं बनेगा जबतक महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझ नहीं जाते हैं।

RCEP से भारत के बाहर होने के कारण

- गैरबराबरी का व्यापार संतुलन
- चीनी वस्तुओं की डंपिंग
- ऑटो ट्रिगर तंत्र को न मानना
- घरेलू उद्योग का संरक्षण
- मूल के नियमों पर सहमति की कमी

RCEP से भारत के निकलन की परिणाम

- RCEP से बाहर होने पर, भारत अपने यहां चीनी माल की डंपिंग को रोक सकता है। लेकिन, सुई से लेकर टरबाइन तक, चीनी वस्तुएं पूरे भारत के बाजार में हैं।
- RCEP से दूर रहने पर भारत घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से संरक्षण मिल जाएगा।
- RCEP चीन के समर्थन वाला व्यापार समझौता है, इसे बिना भारत के हस्ताक्षर करने पर चीन की आर्थिक शक्ति में ही वृद्धि होगी।
- यह भारत के पड़ोस को प्रभावित करेगा क्योंकि चीन वैसे भी अपने प्रभाव से इस क्षेत्र को प्रभावित करता है।
- भारत विनिर्माण केंद्र बनने की सोच रहा है। लेकिन, RCEP से बाहर होने पर इन देशों के साथ व्यापार की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जो कुल मिलाकर वैश्विक व्यापार का लगभग एक तिहाई है।
- यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को भी प्रभावित कर सकता है।

क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझीदारी (RCEP) के बारे में

- यह एक व्यापार समझौता है जो 16 देशों के मध्य होना था।
- इसमें दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के 10 सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) हैं।

- छह देश जिनके साथ इस समूह का मुक्त व्यापार समझौता है (FTAs), वे हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड।
- RCEP को सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक समझौता माना जा रहा है।
- इसमें शामिल देशों की जनसंख्या कुल विश्व की आधी है, वे कुल विश्व के निर्यात में एक-चौथाई का योगदान देते हैं और उनका सकल घरेलू उत्पाद कुल विश्व का 30% है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020

खबर में क्यों है?

- हाल में भारत के विदेश मंत्री ने भारत का 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में प्रतिनिधित्व किया।

15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 के बारे में तथ्य

- इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री एच. ई. न्गुयेन जुआन फुक ने की थी।



- शिखर सम्मेलन ने EAS प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के तरीकों पर और इसकी 15वीं सालगिरह पर कैसे इसे उभरती हुई चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए इस पर चर्चा की गई एवं हनोई घोषणा को अपनाया गया।
- शिखर सम्मेलन में, महत्वपूर्ण पूर्व घोषणाओं की एक बार फिर से पुष्टि नए हनोई घोषणा 2020 के द्वारा की गई जैसे
 - क्वालालम्पुर घोषणा (2005)
 - हनोई घोषणा (2010)
 - बाली घोषणा (2011)
 - क्वालालम्पुर घोषणा (2015)
- हनोई घोषणा ने ASEAN केंद्रित क्षेत्रीय आर्किटेक्चर पर जोर दिया।
- शिखर सम्मेलन ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को भी ज्यादा प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में सक्षम बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
- इसने नॉम पेन्ह घोषणा (2018-2022) जो पूर्वी एशिया विकास पहल पर जोर देती है को आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही की मनीला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

संबंधित सूचना

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में

- इसकी स्थापना 2005 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक मुख्य मंच के रूप में हुई थी जो सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामलों से निपटता है।
- यह 18 भागीदारी वाले देशों का एक क्षेत्रीय समूह है- 10 ASEAN देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम), ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है।

महत्व

- EAS के सदस्य कुल मिलाकर विश्व की 54% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक जीडीपी का 58% है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

पारस्परिक पहुँच समझौता (RAA)

खबर में क्यों है?

- जापानी प्रधानमंत्री योशीहिडे सुगा और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरीसन ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसे पारस्परिक पहुँच समझौता (RAA) भी कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रशांत द्वीपीय देशों व दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है।



पारस्परिक पहुँच समझौता (RAA) के बारे में

- यह समझौता क्वाड गठबंधन जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत शामिल हैं, की टोक्यो में बैठक के कई सप्ताह के बाद हुआ।
- यह समझौता जापानी और आस्ट्रेलियाई सेनाओं को अनुमति देता है कि वे एक दूसरे के देश में जा सकें और प्रशिक्षण एवं संयुक्त ऑपरेशन कर सकें।
- दोनों पक्ष एक ढांचे की जरूरत पर भी सहमत हो गए जो आवश्यकता पड़ने पर आस्ट्रेलियाई सेनाओं को जापानी सेनाओं द्वारा सुरक्षा की अनुमति देगा।

महत्व

- यह संधि इन देशों के सुरक्षा संबंधों को मजबूत करेगी और उनके रक्षा बलों के मध्य सहयोग को सुगम बनाएगी।

विषय- सामान्य अध्ययन II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- AIR

भारत- लक्जमबर्ग शिखर सम्मेलन

खबर में क्यों है?

- भारत के प्रधानमंत्री और लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2020 को पहली भारत-लक्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।



भारत-लक्जमबर्ग शिखर सम्मेलन के बारे में

- लक्जमबर्ग यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है।
- इस संदर्भ में, दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों को और मजबूत करने पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया जिसमें भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौतों और निवेश समझौतों पर आगे की ओर बढ़ना शामिल है।
- नेताओं ने 17वें आर्थिक आयोग की ओर आशा से देखा है जो कि भारत और बेल्जियम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ के मध्य है जिससे आर्थिक और व्यापार संबंधों की समीक्षा की जा सके।

शिखर सम्मेलन के दौरान तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

- इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (India INX) और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के मध्य समझौता जापन
 - यह वित्तीय सेवा उद्योग, प्रतिभूतियों में देशों के बीच में व्यवस्थित बाजारों को बनाए रखना, ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) और स्थानीय बाजार में हरित वित्त में सहयोग उपलब्ध कराता है।
- भारतीय स्टेट बैंक और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के मध्य समझौता जापन
 - यह वित्तीय सेवा उद्योग, प्रतिभूतियों में देशों के बीच में व्यवस्थित बाजारों को बनाए रखना, ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) और स्थानीय बाजार में हरित वित्त में सहयोग उपलब्ध कराता है।
- इन्वेस्ट इंडिया और लक्जमबर्ग इन्वेस्टमेंट के मध्य समझौता जापन
 - भारतीय और लक्जमबर्ग की कंपनियों के बीच में आपसी व्यवसाय सहयोग का समर्थन और विकास, जिसमें इनबाउंड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि भारतीय और लक्जमबर्ग के निवेशकों से आ रहा है या फिर प्रस्तावित है, को प्रोत्साहन देना और सुगम बनाना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- PIB

ब्रेटन युद्ध अपराध रिपोर्ट

खबर में क्यों है?

- ऑस्ट्रेलियाई सेना ने 13 'ब्रेटन युद्ध अपराध रिपोर्ट' के साथ संबंध में कदम उठाते हुए 13 सैनिकों को हटा दिया है। इस रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि कई अफगानी नागरिकों और बंदियों को गैरकानूनी तरीके से मारा गया।



ब्रेटन युद्ध अपराध रिपोर्ट के बारे में

- अफगानिस्तान पर जांच रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल पॉल ब्रेटन के नेतृत्व में जारी की गई जिसे सामान्य रूप से ब्रेटन रिपोर्ट कहा गया है।
- यह रिपोर्ट 2005 से 2016 के मध्य अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) द्वारा किये युद्ध अपराधों पर है।

रिपोर्ट के परिणाम

- रिपोर्ट ने 25 सैनिकों की पहचान की है जोकि अफगानी नागरिकों की हत्या में या तो प्रत्येक रूप से अथवा सहायक के रूप में शामिल थे।
- इनमें से कुछ अपराधी अभी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल में कार्यरत थे।
- यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि गैरकानूनी हत्या के 23 मामले "हत्या के युद्ध अपराध" वाले मामले हैं।
- रिपोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई विशेष बल के सदस्यों द्वारा (अथवा उनके आदेश पर) नागरिकों और बंदियों की 39 हत्याओं के प्रमाण प्राप्त किये हैं, जिन्हें बाद में ADF कर्मियों द्वारा दबा दिया गया।
- रिपोर्ट द्वारा चर्चा की गई गैरकानूनी हत्याएं 2009 में शुरू हुई थी, जिसमें से अधिकांश 2012 और 2013 में हुईं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

भारत ने OIC के कश्मीर के जिक्र को खारिज किया

खबर में क्यों है?

- हाल में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा अपनी कश्मीर नीति की आलोचना को मजबूती से खारिज कर दिया।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बारे में

- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन है जिसके 57 देश सदस्य हैं।
- इसकी स्थापना एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद हुआ था जोकि 25 सितंबर, 1969 को रबात, मोरोक्को में सम्पन्न हुआ था।

- इसका मुख्यालय जेद्दाह, सऊदी अरब में है।



महत्व

- यह मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज है।
- यह मुस्लिम दुनिया के हितों की सुरक्षा और संरक्षण करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न लोगों के मध्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को प्रोत्साहन देना है।

भारत और OIC

- भारत इस्लामिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है।
- लेकिन, भारत को 2009 में विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जोकि इस्लामिक सहयोग संगठन की 50वीं वर्षगांठ थी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास

इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के वास्ते इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों के लिए एक्सीलरेटर

खबर में क्यों है?

- हाल में केरल ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टेट आफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों के लिए एक्सीलरेटर (ACE) की शुरुआत की है।



इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों के लिए एक्सीलरेटर के बारे में

- यह राज्य अपनी तरह की पहली पहल है।
- यह केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) और एडवांस्ड कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) की संयुक्त पहल है।

उद्देश्य

- देश की इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों में अपने आप को अग्रणी एक्सीलरेटर के रूप में विकसित करना।
- इस उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक विषयों में उच्च तकनीकी स्टार्टअप्स के विकास को पोषण करना भी है।

संबंधित सूचना

C-DAC के बारे में

- यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसका गठन 1987 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय के प्रचालन नियंत्रण के अंतर्गत किया गया था।
- यह मूल रूप से सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक क्षेत्रों में शोध और विकास (R&D) का कार्य करती है।
- C-DAC स्टार्टअप्स को एक विशेष काल के लिए परामर्श देगी। इसके लिए वह नई सुविधा के भौतिक और बौद्धिक अवसंरचना तक पहुँच उपलब्ध कराएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रोजगार, स्रोत- दि हिंदू

भारत-संयुक्त अरब अमीरात निवेश पर उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबल

खबर में क्यों है?

- भारत-संयुक्त अरब अमीरात की आठवीं उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबल की निवेश पर बैठक की मेजबानी भारत ने कोविड-19 महामारी की वजह से वर्चुअल प्रारूप में की।



संयुक्त कार्यबल के बारे में

- संयुक्त कार्यबल की स्थापना 2012 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में लगातार बढ़ रहे मजबूत आर्थिक संबंधों को और भी ज्यादा गहरे करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर किया गया था।
- इस तंत्र ने ज्यादा महत्व ग्रहण कर लिया है क्योंकि दोनों देश जनवरी 2017 में हस्ताक्षरित समग्र रणनीतिक साझीदारी समझौते को मजबूत कर रहे हैं।
- कार्यबल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में शानदार वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने का है, इसके लिए दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच में व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटने के महत्व को दुहराया।
- दोनों पक्षों ने वर्तमान संयुक्त अरब अमीरात विशेष डेस्क (UAE Plus) और फास्ट ट्रैक तंत्र जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी जिससे निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके और भारत में संयुक्त अरब अमीरात के निवेशकों द्वारा अनुभव की गई किसी भी चुनौती को सुलझाया जा सके।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- निवेश

स्रोत- PIB

अन्य सेवा प्रदाता (OSP)

खबर में क्यों है?

- दूरसंचार विभाग ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सर्विसेज (ITes) में अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियमों में ढील दी है।



अन्य सेवा प्रदाताओं (OSP) के बारे में

- OSPs अथवा अन्य सेवा प्रदाता वे कंपनी अथवा फर्म हैं जो द्वितीयक अथवा तृतीयक सेवाएं जैसे टेलीमार्केटिंग, टेलीबैंकिंग अथवा टेलीमेडिसिन क्रमशः बैंकों अथवा अस्पताल शृंखलाओं और विभिन्न कंपनियों को उपलब्ध कराती हैं।

- 1999 की नई दूरसंचार नीति ने सुझाव दिया था कि सभी OSPs अपने को पंजीकृत कराए जिससे सरकार उनके संसाधनों के प्रयोग पर निगाह रख सके लेकिन अब नए नियमों से पंजीकरण की जरूरत OSPs के लिए समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ ऐसे BPOs जो केवल आंकड़ों में कार्य कर रहे हैं, को पूरी तरह से OSPs की श्रेणी से बाहर निकाल लिया गया है।
- सरकार द्वारा OSP कर्मचारियों को विस्तारित अथवा दूरस्थ एजेंटों के रूप में मान्यता देने के बाद, ऐसी सेवा प्रदान कर रही कंपनियों को अब दूरसंचार विभाग (DoT) को उन सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी देने के अतिरिक्त बोझ को नहीं उठाना होगा जो ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
- पंजीकरण मानदंडों की समाप्ति का यह भी अर्थ है कि ऐसे लाइसेंसों का अब पुनर्नवीनीकरण नहीं होगा और इसलिए भारत में विदेशी कंपनियों को अन्य सेवा प्रदान करने वाली इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तार के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।
- एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो आंकड़े आधारित OSPs को पूरी तरह से BPOs के क्षेत्र से बाहर कर देता है, का अर्थ है ऐसी फर्म किसी अन्य सेवा फर्म की तरह से कार्य कर सकती हैं जिसके लिए उन्हें कड़े और बोझिल दिशा-निर्देशों जैसे स्थान पर एजेंट की उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-अर्थव्यवस्था

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

15वां वित्त आयोग

खबर में क्यों है?

- पंद्रहवां वित्त आयोग (XVFC) जिसके अध्यक्ष एन. के. सिंह हैं, ने अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।



- संदर्भ की शर्तों (ToR) के अनुसार, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक पांच वर्ष की अवधि 2021-2022 से लेकर 2025-26 के लिए अपनी अनुशंसाओं को देने का आदेश था।
- पिछले वर्ष, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसाएं थीं, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत करके 30 जनवरी 2020 को संसद के पटल पर रख दिया था।
- यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उस समय उपलब्ध होगी जब इसे केंद्र सरकार द्वारा संसद के पटल पर व्याख्यात्मक जापन/कार्यवाही रिपोर्ट के साथ पेश कर दिया जाएगा। इसमें रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाएं होंगी।

संदर्भ की शर्तों के बारे में

- संदर्भ की शर्तों में आयोग को अपनी अनुशंसाओं को कई अनूठे और विस्तृत मामलों में देने के लिए कहा गया था।

- क्षैतिज और लंबवत हस्तांतरण के अतिरिक्त, स्थानीय शासन अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान, आयोग को ऊर्जा क्षेत्र, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में राज्यों के लिए प्रोत्साहनों से जुड़े प्रदर्शन को जांचने और संस्तुति देने के लिए कहा गया था।
- आयोग को यह जांचने के लिए भी कहा गया था कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए अलग तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है और यदि हां तो इस तरह के तंत्र को किस तरह से प्रचालित किया जा सकता है।

चार संस्करणों में उपलब्ध

यह रिपोर्ट चार संस्करणों में व्यवस्थित की गई है।

- पूर्व की ही भांति संस्करण I और II, में मुख्य रिपोर्ट समाहित है और साथ के पूरक अंश।
- संस्करण III केंद्र सरकार को समर्पित है और गहराई में जाकर मुख्य विभागों की जांच करता है जिसके लिए वह मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे के रोडमैप का ध्यान रखता है।
- संस्करण IV पूरी तरह से राज्यों को समर्पित है।

क्या है वित्त आयोग?

- वित्त आयोग एक संवैधानिक अनुदेशित निकाय है जो राजकोषीय संघवाद का केंद्र बिंदु है।
- इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना है, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना, राज्यों के मध्य इन करों के वितरण का निर्धारण करना है।

15वें वित्त आयोग के बारे में

- 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को योजना आयोग की समाप्ति और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू करने के परिप्रेक्ष्य में किया गया था (योजनागत और गैर-योजनागत खर्च के बीच में भेद के लिए भी), जिसने संघीय राजकोषीय संबंधों की पुनर्व्याख्या की है।
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मि. एन. के. सिंह हैं।

15वें वित्त आयोग को दो रिपोर्ट सौंपने की आवश्यकता थी

- पहली रिपोर्ट, जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संस्तुतियों के लिए थी, उसे संसद में रखा गया।
- अंतिम रिपोर्ट जो 2021-26 की अवधि के लिए थी, को अक्टूबर 30, 2020 तक सौंपा जाएगा।

वित्त आयोग की संस्तुतियां

- केंद्र के करों में राज्यों की साझेदारी को 2015-20 की अवधि के 42% से घटाकर 2020-21 की अवधि के लिए 41% करने की संस्तुति दी गई है।
- 1% की कटौती को जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के नये बने केंद्र शासित क्षेत्रों को केंद्रीय सरकार से संसाधन देने के लिए किया गया है।

हस्तांतरण के लिए मानदंड:

- आय दूरी- 45%
- जनसंख्या (2011)-15%
- क्षेत्र-15%
- वन एवं पारस्थितिकीय-10%
- जनांकिकीय प्रदर्शन-12.5%
- कर प्रयास-2.5%

कर दूरी के बारे में

- आय दूरी राज्य के आय की सबसे ज्यादा आय वाले राज्य की आय से दूरी है।

- राज्य की आय को 2015-16 और 2017-18 की बीच में तीन वर्षों की अवधि के दौरान औसत प्रतिव्यक्ति GSDP के रूप में परिगणित करते हैं।
- निम्न प्रतिव्यक्ति आय के साथ वाले राज्यों को राज्यों के मध्य समानता बनाए रखने के लिए ज्यादा धन दिया जाएगा।

जनांकिकीय प्रदर्शन

- जनांकिकीय प्रदर्शन मानदंडों को अपनी जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों के प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए लागू किया गया है।
- इसकी गणना प्रत्येक राज्य के कुल प्रजनन अनुपात के व्युत्क्रम का प्रयोग करके की जाएगी, इसके लिए 1971 के जनसंख्या आंकड़े का प्रयोग किया जाएगा।

कर प्रयास

- कर प्रयास का प्रयोग उच्च कर संग्रहण की क्षमता के साथ राज्यों को पुरस्कृत करने में किया जाता है।
- इसे औसत प्रतिव्यक्ति के अनुपात के रूप में परिगणित करते हैं। यह 2014-15 और 2016-17 के बीच के तीन वर्षों की अवधि के दौरान औसत प्रतिव्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद और कर राजस्व होता है।
- आयोग ने वस्तु और सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के साथ कुछ चुनौतियों को भी रेखांकित है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-अर्थव्यवस्था

स्रोत-द हिंदू

देश के पूंजी वस्तु क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा अंतर-मंत्रीय पैनल की स्थापना

समाचार में क्यों?

- सरकार ने भारत के पूंजी वस्तु क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 22-सदस्यीय अंतर-मंत्रीय समिति का गठन किया है। यह समिति हस्तक्षेप करेगी जिससे 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और साथ ही 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाले विनिर्माण क्षेत्र का भी विकास होगा।

अध्यक्ष

- अंतर-मंत्रीय समिति सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

शासनादेश

- समिति पूंजी वस्तु क्षेत्र से संबंधित मामलों को देखेगी, जिसमें तकनीक विकास, मातृ तकनीक विकास, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं, परीक्षण, कौशल प्रशिक्षण, वैश्विक मानक, पारस्परिक मुद्दे और वैश्विक रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए सीमा शुल्क और दुनिया में विनिर्माण का केंद्र बनना शामिल हैं।
- यह पैनल भारी उद्योग विभाग को सहायता देगा जिससे वह क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के लिए सर्वांगीण दृष्टि ले सके।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थव्यवस्था

स्रोत- दि हिंदू

जी20 ऋण सेवा स्थगन पहल

खबर में क्यों?

- हाल में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने पहली BRICS वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गर्वनरों (FMCBG) की बैठक में भाग लिया। यह बैठक रूसी अध्यक्षता में हुई।

- वित्त मंत्री ने कहा कि G20 जिसके सभी BRICS देश सदस्य हैं, ने कई महत्वपूर्ण पहलें जैसे कि जी20 ऋण सेवा स्थगन पहल और कोविड-20 के प्रतियुत्तर में जी20 कार्य योजना को पूरा किया है।

जी20 ऋण सेवा स्थगन पहल

- इसे अप्रैल 2020 में जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के बाद शुरू किया गया था।
- यह उन देशों के लिए समयबद्ध ऋण पुनर्वापसी के स्थगन की पहल है जो इसके लिए निवेदन करें (मूल और ब्याज दोनों ही)।

पात्र देश

- यह पहल 76 देशों पर लागू होती है जोकि विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय विकास समिति से सहायता पाने के लिए पात्र हैं, और वे सभी देश जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अल्प विकसित देशों का तमगा दे रखा है।
- पात्र देशों को किसी ऋण सेवा पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के लिए वर्तमान होना जरूरी है, इसलिए जिन देशों पर इन संस्थानों के बकाया बाकी हैं वे इसमें भागीदारी नहीं कर सकते हैं।

भागीदारी के लिए मानदंड

- जी20 ने एक समान टर्म शीट जारी की है जिसमें मुख्य विशेषताएं और शर्तें लिखी हैं जिससे ऋण राहत के लिए पात्र हुआ जा सकता है, ये निम्न हैं:

पहल तक पहुँच उन देशों तक ही सीमित है जो:

- जिन्होंने ऋणदाताओं से ऋण सेवा स्थगन के लिए औपचारिक निवेदन किया है, और
- लाभान्वित हो रहे हैं, अथवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से निवेदन किया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीयन जिसमें आपातकालीन सुविधाएं शामिल हैं (RFI/RCF)।

अवधि एवं क्रियान्वयन

- यह पहल 1 मई 2020 से लागू होती है जब तक वर्ष न समाप्त हो जाए, विस्तार उसी अवस्था में दिया जाएगा जब पात्र देशों की व्यक्तिगत तरलता जरूरतों की आवश्यकता होगी।
- पहल या तो संशोधित कार्यक्रम अथवा ऋण के पुनर्वित्तीयन के द्वारा हासिल की जाएगी जो कि अन्य वित्तीयन समझौते के तहत चिंताओं को फिर से पैदा कर सकती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थव्यवस्था

स्रोत-PIB+ व्हाइटकेस.कॉम

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0

खबर में क्यों है?

- वित्त मंत्री ने रु. 1.19 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था के लिए नए राहत और प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है, जिसमें कोविड-19 महामारी के मध्य अपनी नौकरियां गंवाने वाले औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के पुनर्रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक रिपोर्ट

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा यह कहने के बाद कि देश 2020-21 के प्रथम मध्याह्न में तकनीकी मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है, के एक बाद कुछ उपायों की घोषणा की गई जिसमें शामिल है किसानों को खाद सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए रु. 65,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन।
- RBI की नवीनतम मासिक रिपोर्ट ने भविष्यवाणी की है कि जल्दी ही अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पर्याप्त वृद्धि की ओर बढ़ जाएगी, और तीसरी तिमाही में ही मजबूत वृद्धि होने की संभावना है जिससे हम सकारात्मक भूमि पर आ सकते हैं।

- पहले यह आशा थी कि आर्थिक वृद्धि की चौथे तिमाही में वापसी होगी, लेकिन अब RBI महसूस करता है कि यह तीसरी तिमाही में संभव है।

Booster dose | A look at the fresh stimulus steps announced by the Finance Minister

JOBS
Jobs
A new **Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana** mooted to spur job creation

- Govt. to foot **two years' EPF dues** (24% of wages) for new employees hired between Oct. 1, 2020 and June 30, 2021
- People earning less than **₹15,000 per month** who lost jobs between March 1 and Sept. 30 to be covered if re-employed
- Firms with more than 50 employees must hire at least **5 more** to be covered

Additional ₹10,000 crore announced for the PM Garib Kalyan Rozgar Yojana which could be used for MGNREGS or PM Gram Sadak Yojana

Saliered taxpayers
Some income tax relief for purchase of residential units of value up to **₹2 crore**

- Permissible differential under Income Tax Act between circle rate and agreement value to be raised from **10% to 20%** for primary sale of new units till June 30, 2021

demand for 25 lakh MT of steel and 131 lakh MT of cement

- Free up infrastructure contractors' capital by reducing performance security charges, and scrapping earnest money deposits for bidding on government projects
- **₹6,000 crore** equity infusion in debt platform of National Infrastructure Investment Fund, which will be used to raise **₹1.1 lakh crore** for infra projects by 2025
- **₹10,200 crore** additional funding for capital and industrial expenditure

Farmers
Govt. to provide **₹65,000 crore** as fertilizer subsidy to ensure adequate availability in view of the expected rise in sown area

Infrastructure
₹18,000 crore allocated to PM Awas Yojana to build urban housing, over the **₹8,000 crore** allotted in the Budget

- Govt. expects this would create **78 lakh new jobs** and drive

Stressed sectors
Emergency Credit Line Guarantee Scheme extended till March 31, 2021

- New scheme to provide credit to firms in the healthcare sector and 26 other sectors identified as 'stressed'

If you take all the packages and the RBI measures announced so far, a total of **₹29,87,641 crore** has been given so far as stimulus. A total of **15% of GDP**. The Central government on its own has provided **9% of GDP** as stimulus



NIRMALA SITHARAMAN

मनरेगा बढ़ावा

- ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा खर्च को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त रु. 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- प्रभावी रूप से, एक वर्ष में मनरेगा के लिए कुल आवंटन लगभग रु. 1.1 लाख करोड़ है।
- औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, एक नई आत्मनिर्भर रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी नए कर्मचारियों के दो वर्षों के लिए पूरे कर्मचारी भविष्य निधि के योगदान का भुगतान सरकार करेगी। यह योजना 1,000 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों पर लागू होती होगी और नए कर्मचारियों को 1 अक्टूबर, 2020 और जून 30, 2021 के बीच में नौकरी में रखा गया हो।
- नए कर्मचारी की परिभाषा को लोचदार रखा गया है जिससे उसमें उन सभी को शामिल किया जा सके जो पहले EPF नेट में रहे हो लेकिन बाद में मार्च 1 और सितम्बर 30, 2020 के बीच में जिनकी नौकरी चली गई हो।

EPF योगदान

- ऐसी फर्में जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज्यादा है, केंद्र आधे EPF योगदान (वेतन के 24%) का वहन करेगा, जबकि छोटी फर्मों के लिए, वह पूरे EPF योगदान का वहन करेगा।
- इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, EPFO के साथ पंजीकृत फर्मों जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, को पांच नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा, जबकि वे फर्में जहां 50 से कम कर्मचारी हैं, को कम से कम दो कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा।
- यह लाभ पात्र नए कर्मचारियों के आधार सीडेड EPF खाते में सीधे पहुँच जाएगा।
- यह लगभग 99.1% संस्थानों को आच्छादित करेगा और इस लाभ द्वारा औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत नौकरी कर रहे लगभग 65% लोग लाभान्वित होंगे।

- शहरी आवास और नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए, बजट में आवंटित किए गए ₹. 8,000 करोड़ के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹. 18,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

घर खरीदने वालों के लिए उपहार

- सरकार डेवलपर्स और घर खरीदने वालों के लिए आयकर राहत दे रही है क्योंकि रिएल इस्टेट क्षेत्र में काफी फेहरिस्त बाकी है।
- इस समय, सर्किल दर और समझौते के मूल्य के बीच में अंतर पर आपको 10% की राहत मिलती है।
- सरकार ने जून 30, 2021 तक अंतर को 10% से 20% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन यह केवल ₹. 2 करोड़ के मूल्य तक के आवासीय इकाईयों की प्राथमिक बिक्री पर ही लागू होगा।
- वे फेहरिस्त की काफी निकासी की आशा कर रहे हैं और लोग कम भुगतान कर पाने में सक्षम होंगे क्योंकि अंतर के अंतराल को घटाया जाएगा।
- इस बारे में आयकर कानून के अनुच्छेद 43CA में संशोधन किया जाएगा।

तनाव वाले क्षेत्र

- जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पहले घोषित की गई ₹. 3 लाख करोड़ की आपातकालीन ऋणरेखा गारंटी योजना को मार्च 31, 2021 तक बढ़ा दिया गया है, वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है तनाव वाले क्षेत्रों के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी एक ऋण गारंटी योजना है।
- के. वी. कामथ समिति द्वारा तनाव वाले क्षेत्रों में पहचानी गई 26 वस्तुएं, साथ ही फरवरी 29, 2020 तक ₹. 50 करोड़ से लेकर ₹. 500 करोड़ तक के बचे हुए ऋण के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, अब पांच वर्षों के काल के लिए अतिरिक्त 20% ऋण को प्राप्त कर सकते हैं, जिसपर मूल पुनर्भुगतान पर एक वर्ष का कर स्थगन प्राप्त होगा।
- कामथ समिति के अनुसार, तनाव वाले क्षेत्रों में आटो घटक, निर्माण, रत्न व आभूषण, होटल और रेस्त्रां, लोहा एवं इस्पात, रिएल इस्टेट और वस्त्र शामिल हैं।

40,000 फर्मों को सहायता

- यह योजना 40,000 फर्मों तक को सहायता प्रदान कर सकती है लेकिन यदि कुल राशि इस योजना के तहत ₹. 3 लाख करोड़ रहती है तो यह एक तनाव भरा कारक होगा।
- बयाना धन जमा जरूरत जो कि निविदा के लिए जरूरी है, को भी निविदा सुरक्षा घोषणा से एक वर्ष के लिए विस्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के लिए निविदा के लिए ज्यादा जगह प्रदान करेगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- अर्थव्यवस्था

स्रोत- द हिंदू

nOPV2 टीका: WHO के अंतर्गत आपातकालीन प्रयोग के लिए अधिसूचित होने वाला पहला टीका


खबर में क्यों है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने nOPV2 टीके आपातकालीन प्रयोग के लिए अधिसूचित किया है जिससे अफ्रीकी और पूर्वी भूमध्यसागर के कई देशों में टीके से व्युत्पन्न पोलियो स्ट्रेन के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए इसका आपातकालीन प्रयोग किया जा सके।
- आपातकालीन प्रयोग अधिसूचना अथवा EUL, अपने प्रकार की टीके के लिए पहली बार है और कोविड-19 टीकों की संभावित अधिसूचना के लिए रास्ता प्रशस्त करती है।



आपातकालीन प्रयोग अधिसूचना प्रक्रिया

- इस प्रक्रिया को 2014-2016 में पश्चिमी अफ्रीकी इबोला प्रकोप के दौरान शुरू किया गया था, जब बहु इबोला निदानों को आपातकालीन प्रयोग अधिसूचना प्राप्त हुई थी।
- EUL प्रक्रिया सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान जैसे पोलियो और कोविड, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे स्वास्थ्य उत्पादों की उपयुक्तता का आकलन करती है।
- इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए इन औषधियों, टीकों और निदानों को जल्दी से उपलब्ध कराया जा सके।



- आकलन मूल रूप से लाभ के विरुद्ध आपातकालीन स्थिति द्वारा पेश किये जा रहे खतरे को मापता है जोकि साक्ष्य के मजबूत आकलन पर आधारित उत्पाद के प्रयोग से प्राप्त होंगे।
- nOPV2 किसी टीके के लिए ऐसी प्रथम अधिसूचना है।

nOPV2 टीके के बारे में

- इसे उत्पादन इंडोनेशिया की बायो फार्मा द्वारा किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य अफ्रीकी और पूर्वी भूमध्यसागर के कई देशों में टीके से व्युत्पन्न पोलियो वायरस को रोकना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

आनंद- आत्मनिर्भर एजेंट्स नया व्यवसायिक डिजीटल एप

खबर में क्यों है?

- भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक डिजीटल अनुप्रयोग-ANANDA की शुरुआत की है।
- आनंद के बारे में
- ANANDA का पूर्ण नाम आत्म निर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजीटल एप्लीकेशन है।



लाभ

- ANANDA भौतिक रूप से बिना कस्टमर को मिले हुए ही पॉलिसी को किसी अभिकर्ता द्वारा पूरा कराने में सक्षम है।
- यह प्रस्ताव समाप्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद देगा जोकि पूरी तरह से कागजविहीन और पूरी तरह से डिजीटल है।
- नए व्यवसाय के पूरे होने की प्रक्रिया को भौतिक प्रारूप को डिजीटल रूप में परिवर्तित करके की गई है।
- इस अनुप्रयोग ने निगम के सभी मध्यवर्तियों के बीच में जबर्दस्त प्रतियुत्तर पैदा किया है।

संबंधित सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में

- यह पूर्णतया केंद्र सरकार के स्वामित्व में है और इसे 1956 के जीवन बीमा निगम अधिनियम के द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- LIC की प्रत्येक पॉलिसी की सरकार गारंटी लेती है।
- भारत में जीवन बीमा क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा बाजार सहभागिता है।
- LIC के पॉलिसीधारक के पास एक संप्रभु गारंटी होती है (अधिनियम के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत) जो बीमित राशि और घोषित किये गए बोनस पर होती है।
- LIC निवेश का बड़ा हिस्सा प्रतिभूतियों, बांड बाजार और सरकार के वर्चस्व वाले इंड्यूमेंट में लगा हुआ है।
- LIC अब IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी की धारक है इस तरह से यह किसी बैंक के स्वामित्व वाली भारत की पहली बीमा कंपनी है।
- LIC भारतीय प्रतिभूति बाजार में सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है।
- सरकार ने कई बार LIC का प्रयोग बाजारों के स्थिरीकरण में किया है उदाहरण के लिए, 2021 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (ONGC) को बेचने का प्रस्ताव LIC बेलआउट का शास्त्रीय उदाहरण है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थव्यवस्था, स्रोत- द हिंदू

चीन का नकारात्मक यील्ड बांड

खबर में क्यों है?

- पिछले सप्ताह, चीन ने नकारात्मक यील्ड बांड को पहली बार बेचा जिससे पूरे यूरोप में इसकी उंची मांग देखी गई।



नकारात्मक यील्ड बांड क्या हैं?

- ये ऋण लिखत हैं जो निवेशक को बांड के खरीदे गये मूल्य से नीचे परिपक्वता राशि देने का वादा करते हैं।
- इन्हें सामान्य रूप से केंद्रीय बैंक अथवा सरकारों द्वारा जारी किया जाता है और निवेशक उधार लेने वालों को ब्याज का भुगतान करते हैं जिससे वे धन अपने पास रख सकें।

निवेशक उन्हें क्यों खरीदते हैं?

- नकारात्मक यील्ड बांड तनाव व अनिश्चितता के वक्त निवेश को आकर्षित करते हैं क्योंकि निवेशक ऐसे समय अपनी पूंजी को ज्यादा क्षय से बचाने का प्रयास करते हैं।
- ऐसे वक्त में जब दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रही है और पूरे यूरोप के विकसित बाजारों में ब्याज दर काफी कम हैं, निवेशक अपेक्षित रूप से बेहतर यील्ड वाले ऋण लिखतों की ओर देख रहे हैं जिससे उनके हित सुरक्षित रह सकें।

इसकी इतनी ज्यादा मांग क्या है?

- यह तथ्य कि 10 वर्षीय और 15 वर्षीय बांड धनात्मक वापसी दे रहे हैं, एक बड़ा आकर्षण ऐसे समय में है जब यूरोप में ब्याज दर काफी ज्यादा गिर गई है।
- शून्य के विरुद्ध- चीन द्वारा जारी किये गए 5 वर्षीय बांड पर 0.15% की यील्ड सुरक्षित यूरोपीय बांडों द्वारा दी जा रही यील्ड से काफी ज्यादा है, जोकि मात्र -0.5% और -0.75% के मध्य है।
- साथ ही, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2020-21 में अपने सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन का सामना कर रही हैं।
- चीन एक ऐसा देश है जो इस चुनौतीपूर्ण समय में धनात्मक वृद्धि हासिल करने को तैयार है और 2020 के तीसरी तिमाही में उसका सकल घरेलू उत्पाद 4.9% रहा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अटल संकाय विकास कार्यक्रम (FDPs)

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 46 ऑनलाइन AICTE प्रशिक्षण एवं सीखने (ATAL) अकादमी संकाय विकास कार्यक्रमों (FDPs) का

उद्घाटन किया है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से तकनीक के उभरते हुए क्षेत्रों में संबंधित है।



अटल संकाय विकास कार्यक्रम (FDPs) के बारे में

- FDPs को 22 भारतीय राज्यों में आयोजित किया जाएगा।
- ऑनलाइन FDPs को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) एक अनुसार आयोजित किया जाएगा।
- ATAL अकादमी का मुख्य उद्देश्य देश में गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है और विभिन्न उभरते हुए क्षेत्र में प्रशिक्षण के द्वारा अनुसंधान और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इन ATAL FDPs को IITs, IIITs, NITs CU और अनुसंधान प्रयोगशालाएं आयोजित कर रही हैं।
- ये कार्यक्रम भारतीय छात्रों को नये तकनीकी विकासों के साथ घुलने मिलने में मदद देगा और इसे कैरियर बनाने में मदद देगा।

नोट:

- ATAL अकादमी को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।
- लंदन स्थित संगठन ने FDPs को विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है जिसके अंतर्गत 100 से ज्यादा उरभते हुए क्षेत्रों में 1000 ऑनलाइन FDPs एक लाख संकाय सदस्यों को लाभ पहुँचायेंगे जिसमें IITs, NITs IIITs शामिल हैं।
- इस वर्ष ऑनलाइन FDP कार्यक्रम की लागत रु. 10 करोड़ होगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- शासन

स्रोत- PIB

स्वच्छता कोष

खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र ने हाल में स्वच्छता कोष की शुरुआत की है जिससे स्वच्छता सेवाओं की कमी से होने वाले रोगों का सबसे ज्यादा भार ढोने वाले देशों को तेजी से पैसा दिया जा सके।

स्वच्छता कोष

- इसका उद्देश्य ऐसे देशों को तेजी से धन देने का है जहां स्वच्छता सेवाओं की कमी की वजह से रोगों का सबसे ज्यादा बोझ है और उनमें इससे निपटने की सबसे कम क्षमता है।
- इसका इन देशों के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान \$2 अरब से ज्यादा धन इकठ्ठा करने का उद्देश्य भी है।
- परियोजना सेवाओं के लिए इस कोष का क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र और उनके साझेदारों को तकनीकी सलाह और परियोजना क्रियान्वयन की क्षमता उपलब्ध कराता है।

कोष के उद्देश्य हैं:

- परिवार की स्वच्छता का विस्तार
- मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करना
- विद्यालयों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्वच्छता उपलब्ध कराना
- नवाचार स्वच्छता हलों को समर्थन देना

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- महिला सशक्तिकरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

बड़े कार्पोरेट को निजी बैंकों के स्वामित्व की अनुमति मिलनी चाहिए: RBI

खबर में क्यों है?

- RBI के आंतरिक कार्यकारी समूह (IWG) का गठन "भारतीय निजी क्षेत्र बैंकों के लिए स्वामित्व सीमा दिशा-निर्देशों और कार्पोरेट संरचना की समीक्षा" के लिए किया गया था और हाल में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया संस्तुति जिसने बड़े कार्पोरेट घरानों और औद्योगिक घरानों को निजी बैंकों के प्रमोटर होने की अनुमति दे दी है, ने काफी चिंता पैदा की है।



पृष्ठभूमि

- किसी देश की बैंकिंग प्रणाली सतत आर्थिक वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
- स्वतंत्रता के बाद से भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी परिवर्तित हो चुकी है जब बैंकों का स्वामित्व निजी हाथों में था, जिसके फलस्वरूप कुछ व्यापारिक परिवारों के हाथों में भारी मात्रा में संसाधन केंद्रित थे। बैंक ऋणों के वृहद प्रसार को हासिल करने के लिए, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रवाह की बड़ी मात्रा को निर्देशित करने के लिए और इसे आर्थिक विकास का प्रभावी उपकरण बनाने के लिए सरकार ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया (14 बैंक) और एक बार फिर से 1980 में (6 बैंक)।
- 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण के साथ, अर्थव्यवस्था के ऋण जरूरतों में वृद्धि हुई, और निजी बैंक फिर से वापस परिदृश्य में आए।

IWG के गठन की जरूरत

खराब आच्छादन

- लेकिन, तीन दशकों की तीव्र वृद्धि के बावजूद, भारत में बैंकों की कुल बैलेंस शीट सकल घरेलू उत्पाद के 70% से भी कम है (चीन के 175% की तुलना में काफी कम)।

निजी क्षेत्र को अपर्याप्त ऋण

- निजी क्षेत्र को घरेलू बैंक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के मात्र 50% ही हैं जबकि चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं में यह 150 प्रतिशत तक है।

- अन्य शब्दों में, भारत की बैंकिंग प्रणाली बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ऋण मांगों को पूरा करने के लिए संघर्षरत है।
- केवल एक भारतीय बैंक है जो वैश्विक रूप से 100 बैंकों में शामिल है।
- इसके आगे, भारतीय बैंक सबसे कम लागत सामर्थ्य वाली बैंकों में शामिल हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री ने हाल में एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसके द्वारा उभयलिंगी लोग ऑनलाइन तरीके से लैंगिक पहचान प्रमाणपत्र का आवेदन कर सकते हैं।



ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के बारे में

- उभयलिंगी लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सितंबर 20, 2020 को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 की अधिसूचना जारी होने के दो महीने के भीतर विकसित कर लिया गया।

लाभ

- यह पोर्टल समुदाय के सदस्यों को आगे आने और अपनी "स्वयं की धारणा की पहचान" के अनुसार उभयलिंगी प्रमाणपत्र और पहचान पत्र हासिल करने में मदद देता है जो कि उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) कानून, 2019 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
- यह पोर्टल उभयलिंगी व्यक्तियों को अपने लिंग की घोषणा करने वाले शपथपत्र को अपलोड करने की अनुमति देगा, जो बाद में उनकी पहचान प्रमाणपत्रों का आधार बनेगा जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किया जाएगा।
- यह किसी उभयलिंगी व्यक्ति को प्रमाणपत्र और पहचान पत्र के लिए देश में कहीं से भी आवेदन करने में सक्षम बनाता है, इसके लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
- यह पोर्टल उन्हें अपनी शिकायतें पंजीकृत कराने और समुदाय के लिए डेटाबेस को तैयार करने में सक्षम बनाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- मुद्दे और न्याय

स्रोत- द हिंदू

गरिमा गृह

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री ने 'गरिमा गृह: उभयलिंगी लोगों के लिए आश्रयगृह' का ई-उद्घाटन किया।



गरिमा गृह योजना के बारे में

- यह एक पायलट परियोजना योजना है और इसके सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
- 'उभयलिंगी लोगों के लिए आश्रयगृह' योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने उभयलिंगी लोगों के लिए आश्रयगृह स्थापित करने का फैसला लिया है जिन्हें अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है अथवा अपने परिवार द्वारा छोड़ दिये गए हैं।
- गुजरात के वडोदरा में ऐसे पहले गृह का उद्घाटन किया गया है।
- अगले वर्ष 31 मार्च तक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर और मणिपुर में भी ऐसे ही गृह होंगे जिन्हें 25 व्यक्तियों की क्षमता के साथ "गरिमा गृह" कहा जाएगा।
- इन्हें उभयलिंगी समुदाय के नेतृत्व वाले संगठनों द्वारा चलाया जाएगा।
- ये आश्रयस्थल समुदाय के सदस्यों को जीवनयापन अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मुद्दे और न्याय

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIIF's) का ऋण प्लेटफॉर्म

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIIF's) के ऋण प्लेटफॉर्म में रु. 6,000 करोड़ की इक्विटी को डालने की स्वीकृति दी है।
- इस कदम से अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए 2025 तक रु. 1.10 लाख करोड़ की इक्विटी इकठ्ठा करने में मदद मिलेगी।
- NIIF में इक्विटी के रूप में रु. 6,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव पूर्व में इस महीने में घोषित किये गए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का हिस्सा है।



संबंधित सूचना

राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष के बारे में

- NIIF रणनीतिक अवसर कोष ने एक ऋण प्लेटफॉर्म की स्थापना की है जिसमें NBFC अवसंरचना ऋण कोष और एक NBFC अवसंरचना वित्त कंपनी शामिल हैं।
- NIIF अपने रणनीतिक अवसर कोष ('NIIF SOF') दोनों ही कंपनियों में बहुसंख्यक स्थिति में है और पूरे प्लेटफॉर्म में रु. 1,899 करोड़ का निवेश किया है।
- रणनीतिक अवसर कोष (SOF कोष) जिसके द्वारा NIIF निवेश किया गया है, दोनों कंपनियों को समर्थन देना जारी रखेगा, साथ ही अन्य उपयुक्त निवेश अवसरों में निवेश करना भी अनिवार्य है।

लाभ

- NIIF घरेलू और वैश्विक पेंशन फंडों और संप्रभु धन कोषों से इक्विटी निवेशों के प्रयोग के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।
- यह अवसंरचना से संबंधित गतिविधियों में निवेश के लिए काफी संप्रभु कोष को आकर्षित करेगा।
- ऋण प्लेटफॉर्म के द्वारा यह काफी धन इकट्ठा करेगा और 2025 तक इसे रु. 1.1 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) तक अवसंरचना निवेश उपलब्ध कराना होगा।

विषय- सामान्य अध्ययन III- अवसंरचना

स्रोत- लाइवमिंट

[गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020](#)

खबर में क्यों है?

- उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में जबर्दस्ती अंतर-धर्म परिवर्तन - तथाकथित "लव जेहाद" के विरुद्ध प्रारूप अध्यादेश को जारी कर दिया है, इस कानून के पीछे और क्रियान्वयन पर कई डर व्यक्त किये जा रहे हैं।
- यह नया कानून प्रतिवादी पर यह जिम्मेदारी डालेगा कि वह साबित करे कि धर्म परिवर्तन विवाह के लिए नहीं था।

प्रस्तावित कानून के बारे में

- गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020, संस्तुति करता है कि कानून का उल्लंघन करके गलत व्याख्या, बलपूर्वक, गलत प्रभाव डालकर, जबर्दस्ती, प्रलोभन अथवा किसी धोखाधड़ी के तरीके से कराए गए परिवर्तन के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 से 5 वर्षों तक की सजा और कम से कम रु. 15,000 का अर्थदंड लगाया जाएगा।



अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए विशेष कानून

- ऐसे मामलों में जहां किसी नाबालिग का धर्म परिवर्तन किया गया है, ऐसी महिला जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की है, तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 से 10 वर्षों तक की सजा और कम से कम रु. 25,000 का अर्थदंड लगाया जाएगा।

- धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस अवधि पूर्व के प्रारूप के 1 महीने से बढ़ाकर 2 महीने कर दी गई है।

पृष्ठभूमि

- यह अध्यादेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस वक्तव्य के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि साथी को चुनने का अधिकार अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहना नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
- उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पूर्व की न्यायालय के निर्णय कि 'विवाह के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं हैं', कानून के लिए ठीक नहीं है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मुद्दे और न्याय


स्रोत- द हिंदू

विज्ञानं और तकनीकि

वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोनावायरस प्रतिकृति तंत्र के 3डी आणविक नक्शे का निर्माण किया

खबर में क्यों है?

- हाल में पहली बार, वैज्ञानिकों ने एक 3डी नक्शे को तैयार किया है जिसने कोरोनावायरस SARS-CoV-2 किण्वक के अणुओं में प्रत्येक परमाणु की स्थिति को अनावृत्त किया है, जिसे मुख्य प्रोटीज भी कहा जाता है जो अपनी प्रतिकृति को उस समय हासिल करता है जब वह मानव कोशिका को संक्रमित करता है।



SARS-CoV-2 किण्वक के बारे में

- SARS-CoV-2 किण्वक प्रोटीनों की लंबी ऋखला को व्यक्त करती है।
- जब ये ऋखलाएं टूटती हैं और छोटे हिस्सों में बंट जाती हैं तो इससे वायरस में पुनर्जनन की क्षमता पैदा होती है।
- इस कार्य को मुख्य प्रोटीज द्वारा किया जाता है।
- इसकी संरचना दो समान प्रोटीन अणुओं की बनी होती है जोकि हाइड्रोजन बंधों से बंधे होते हैं।
- यदि ऐसी औषधि विकसित कर ली जाए जो प्रोटीज गतिविधि को रोके, यह वायरस को प्रतिकृति बनाने से रोकेगी और शरीर में अन्य कोशिकाओं में फैलने से रोकेगी।
- शोधार्थियों ने एक तकनीक जिसे न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है, का प्रयोग किया।
- अमीनो अम्ल वाले स्थल जहां प्रोटीन ऋखलाएं कट जाती हैं, इन परीक्षणों ने दर्शाया कि यह एक विद्युतीय आवेशित प्रतिक्रियात्मक अवस्था होती है- यह विश्राम अथवा अक्रिय अवस्था नहीं है, यह पूर्व की धारणाओं के विपरीत है।

शोध का महत्व

- यह पहली बार है कि किसी ने कोरोनावायरस प्रोटीन के न्यूट्रॉन संरचना को प्राप्त किया है।
- शोधार्थियों का कहना है कि यह भी पहली बार है कि न्यूट्रॉन का प्रयोग करके किसी ने प्रोटीज किण्वक के वर्ग को देखा है।
- इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि प्रोटीन ऋखलाएं ऐसे स्थल पर काटी जाती हैं जोकि विद्युतीय आवेशित प्रतिक्रियात्मक अवस्था में हैं, ना कि अक्रिय अवस्था में, यह एक आश्चर्यजनक खोज थी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

क्षुद्रग्रह 16 साइकी

खबर में क्यों है?

- हाल में एक अध्ययन में पाया गया कि क्षुद्रग्रह 16 साइकी, जोकि मंगल और बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाता है, पूरी तरह से धातुओं का बना हो सकता है और इसकी अनुमानित कीमत \$10,000 क्वैड्रिलियन हो सकती है- जोकि धरती की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है।
- क्षुद्रग्रह की सटीक संरचना और उत्पत्ति को 2022 में ही जाना जा सकेगा जबकि NASA पास से इसका अध्ययन करने के लिए मानवरहित अंतरिक्षयान को इस पर भेजेगा।



क्षुद्रग्रह 16 साइकी क्या है?

- यह पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किमी. दूर स्थित है।
- यह हमारे सौरमंडल में क्षुद्रग्रह पट्टिका में सबसे विशाल वस्तु है।
- इसकी खोज सबसे पहले इतालवी खगोलविद् अन्नीबेल दि गेसपेरिस द्वारा मार्च 17, 1853 को की गई थी और इसका नामकरण आत्मा, साइकी की प्राचीन ग्रीक देवी के नाम पर किया गया था।
- अधिकांश क्षुद्रग्रह के विपरीत जोकि चट्टानों अथवा बर्फ के बने होते हैं, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि साइकी एक घना और अधिकांशतः धात्विक वस्तु है जिसे माना जाता है कि पूर्व ग्रह का क्रोड है जिसका निर्माण असफल रहा था।

क्या वास्तव में क्षुद्रग्रह \$10,000 क्वैड्रिलियन मूल्य का है?

- NASA के वैज्ञानिकों का विश्वास है कि क्षुद्रग्रह पूरी तरह से आयरन, निकिल और कई अन्य विरल पदार्थों जैसे स्वर्ण, प्लैटिनम, कोबाल्ट, इरीडियम और रेहेनियम से निर्मित है।
- कल्पना के रूप में, यदि इसे पृथ्वी पर लाया जाए तो, NASA मिशन के मुख्य वैज्ञानिक लिंगी इल्किंस टैन्टन ने गणना की है कि केवल आइरन ही \$10,000 क्वैड्रिलियन मूल्य का होगा।

नासा के साइकी मिशन के बारे में

- NASA की साइकी को अध्ययन करने के लिए फ्लोरिडा के केप केनेवेरल एयर फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट को प्रक्षेपित करने की योजना है।
- मानवरहित अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह जनवरी 2026 में पहुँचेगा।
- अभियान का पहला उद्देश्य धात्विक क्षुद्रग्रह के चित्रों को पाना है, इसके बाद अंतरिक्षयान इसका अध्ययन और नक्शांकन दूरी से करेगा।
- अभियान का अन्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या वास्तव में यह क्षुद्रग्रह किसी पूर्व ग्रह का क्रोड है अथवा यह गैर गले हुए पदार्थ से बना हुआ है।
- अभियान को पूर्व में 2023 में प्रक्षेपित करने की योजना थी लेकिन बाद में इसे 2022 में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- द हिंदू

कोरोनावायरस में D614G उत्परिवर्तन

खबर में क्यों है?


- एक अध्ययन के अनुसार, एक विशेष उत्परिवर्तन जिसे D614G कहते हैं, वैश्विक कोविड-19 महामारी में एक प्रमुख रूपांतर बन गया है।

उत्परिवर्तन क्या है?

- उत्परिवर्तन एक प्रक्रिया है जब वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपनी अनुकृतियों को बनाने की कोशिश करता है और इस अनुकृति बनाने की प्रक्रिया में गलती करता है।

THE MUTATION THAT LOOSENS THE SPIKE PROTEIN

Spike proteins on SARS-CoV-2 bind to receptors on human cells, helping the virus to enter. A spike protein is made up of three smaller peptides in 'open' or 'closed' orientations; when more are open, it's easier for the protein to bind. The D614G mutation — the result of a single-letter change to the viral RNA code — seems to relax connections between peptides. This makes open conformations more likely and might increase the chance of infection.



D614G उत्परिवर्तन के बारे में

- D614G उत्परिवर्तन के अंतर्गत, वायरस ने एस्पार्टिक अम्ल (D) को विस्थापित कर दिया। यह ग्लिसरीन (G) के साथ अमीनो अम्ल की 614वीं स्थिति में हुआ।
- वायरस के उत्परिवर्तित रूप को सबसे पहले चीन में पहचाना गया था और बाद में यूरोप में।
- D614G उत्परिवर्तन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में स्थित है।
- यह प्रोटीन की उप-इकाई S1 में उपस्थित है और उप-इकाई S2 के पास है।
- D614 उत्परिवर्तन जोकि वायरस के क्लेड A2 के लिए महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन है, भारत में मौजूद है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

क्रॉनिक ट्रॉमेटिक इन्सेफेलोपैथी (CTE)

खबर में क्यों है?

- हाल में यह रिपोर्ट की गई कि इंग्लैंड विश्व कप विजेता बॉबी चार्लटन, जिन्हें इंग्लैंड का महानतम खिलाड़ी माना जाता है, को मनोभ्रंश हो गया है जिससे प्रश्न उत्पन्न है कि फुटबाल में हैडर मारने से क्या मनोभ्रंश होता है?



क्रॉनिक ट्रॉमेटिक इन्सेफेलोपैथी के बारे में

- यह एक रोग है जो मस्तिष्क को लगातार सिर में चोट लगने की वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है और यह स्मृति लोप, अवसाद और मनोभ्रंश से जुड़ा है।
- पूर्व के मुक्केबाजों को अक्सर यह रोग होता रहा है, लेकिन, कई अन्य संपर्क खेलों जैसे पेशेवर कुश्ती, मिश्रित मार्शल आर्ट, आइस हॉकी, रग्बी, बेसबाल में CTE के कई उदाहरण रहे हैं।

फुटबाल अब इस अध्ययनों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा?

- नवंबर 2015 में, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश बन गया जिसने चोटों को घटाने के लिए 11 वर्ष के नीचे के बच्चों को हैडर करने पर रोक लगा दी है।
- इस कदम से चोटों में कमी आई है, क्योंकि हैडिंग करने की अनुमति नहीं थी और बॉल को हवा में नहीं उछाला गया, जिससे सिरों के लड़ने, अथवा कोहनियों के टकराने की घटनाओं में काफी कमी आई।
- इस वर्ष फरवरी में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने भी 12 वर्ष की आयु से कम बच्चों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बाल को सिर से मारने पर रोक लगा दी।

नोट:

- प्रसिद्ध भारतीय स्ट्राइकर पीके बनर्जी को भी इस वर्ष मरने के पूर्व मनोभ्रंश हुआ था।
- हालांकि सभी आयु वर्गों में मैच अथवा प्रशिक्षण के दौरान बॉल को सिर से मारने पर रोक नहीं है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अग्नि पहचान और शमन प्रणाली (FDSS)

खबर में क्यों है?

- रक्षा शोध और विकास संगठन (DRDO) ने बसों में अग्नि शमन प्रणाली का विकास किया है जिसे "अग्नि पहचान और शमन प्रणाली (FDSS)" भी कहा जाता है जो 30 सेकेंडों के अंदर आग की पहचान करके उसे मिनटों में बुझा सकती है।

अग्नि पहचान और शमन प्रणाली (FDSS) के बारे में

- यह यात्री कम्पार्टमेंट में आग की पहचान 30 सेकेंड से कम समय में कर सकती है और फिर 60 सेकेंड में उसे बुझा सकती है। इस तरह से काफी हद तक जीवन और सम्पत्ति पर जोखिम को घटा सकती है।



- यात्री कम्पार्टमेंट के लिए FDSS में शामिल हैं, 80 ली. क्षमता का जल टैंक, एक 6.8 किग्रा. का नाइट्रोजन सिलेंडर जिसपर 200 बार तक दबाव लगा हुआ है जो बस में एक उपयुक्त स्थान पर स्थापित है और यात्री कम्पार्टमेंट के अंदर एटॉमाइजर की 16 संख्याएं ट्यूबिंग के साथ लगी होती हैं।
- इंजन के लिए FDSS में एयरोसोल जेनरेटर लगा होता है जिसके द्वारा प्रणाली सक्रिय होने के 5 सेकेंड के अंदर अग्नि शमन को हासिल किया जा सकता है।

लाभ

- यह डिफेंस स्पिन ऑफ तकनीक है जो यात्री बसों में अग्नि की घटनाओं के हल को उपलब्ध कराती है।
- यह अग्नि के खतरे को भी खत्म करने में भी मदद देती है जो सभी वाहनों में होती है। सबसे ज्यादा चिंता विशेष प्रकार के वाहनों में होती है विशेष रूप से स्कूल बसों और लंबी दूरी यात्रा के स्लीपर कोचों में।

नोट:

- इस वर्ष अगस्त में, कर्नाटक में बस में आग की घटना में कम से कम पांच लोग मारे गये थे जबकि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक अन्य समान बस की आग में 20 अन्य लोग मारे गये थे।

विषय-सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- PIB

पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह (EOS)-01

खबर में क्यों है?

- हाल में भारत लगभग एक वर्ष में अपना पहला अंतरिक्ष मिशन भेजेगा जिसके द्वारा विदेशों से नौ उपग्रहों के साथ EOS-01 का प्रक्षेपण किया जाएगा।
- नौ विदेशी उपग्रहों में जो मिशन के साथ जा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से चार और लक्जमबर्ग से चार उपग्रह होंगे, जबकि एक उपग्रह लिथुआनिया से तकनीक प्रदर्शित करने वाला है।



पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह (EOS)-01 के बारे में

- यह रडार इमेजिंग उपग्रह (RISAT) है जो पिछले वर्ष प्रक्षेपित किये गए RISAT-2B और RISAT-2BR1 के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
- इसका पहले नाम RISAT-2BR2 नाम था, और ऐसा माना जाता था कि यह तीन अंतरिक्षयानों के झुंड का तीसरा अंतरिक्षयान है जिसका उद्देश्य उच्च पृथक्करण के चित्रों के लिए 24 घंटे सभी मौसमों में सेवा उपलब्ध कराना है।
- EOS-01 का प्रयोग कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन समर्थन में किया जाएगा।
- यह ISRO के पोलर सेटेलाइट लांच व्हेकिल का 51वां मिशन होगा।

पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रहों का प्रयोग इसलिए किया जाता है:

- भूमि और वन का नक्शांकन और निगरानी
- जल एवं खनिजों अथवा मछलियों जैसे संसाधनों का नक्शांकन
- मौसम पर्यवेक्षण
- मृदा का आकलन
- भू-स्थानिक आकृति नक्शांकन

PSLV के बारे में

- भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (PSLV) तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण वाहन है।
- PSLV पहला प्रक्षेपण वाहन है जो द्रव चरणों से लैस है।
- PSLV की पहली सफलतापूर्वक प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में हुई थी।

- PSLV का प्रयोग दो सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में किया गया है।
 - a. चंद्रयान-1 2008 में
 - b. 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट

संबंधित सूचना

List of Earth Observation Satellites

	Launch Date	Launch Mass	Launch Vehicle	Orbit Type	Application
RISAT-2BR1	Dec 11, 2019	628 Kg	PSLV-C48/RISAT-2BR1	LEO	Disaster Management System, Earth Observation
Cartosat-3	Nov 27, 2019		PSLV-C47 / Cartosat-3 Mission	SSPO	Earth Observation
RISAT-2B	May 22, 2019	615 Kg	PSLV-C46 Mission	LEO	Disaster Management System, Earth Observation
HysIS	Nov 29, 2018		PSLV-C43 / HysIS Mission	SSPO	Earth Observation
Cartosat-2 Series Satellite	Jan 12, 2018	710 Kg	PSLV-C40/Cartosat-2 Series Satellite Mission	SSPO	Earth Observation
Cartosat-2 Series Satellite	Jun 23, 2017	712 kg	PSLV-C38 / Cartosat-2 Series Satellite	SSPO	Earth Observation
Cartosat -2 Series Satellite	Feb 15, 2017	714 kg	PSLV-C37 / Cartosat -2 Series Satellite	SSPO	Earth Observation
RESOURCESAT-2A	Dec 07, 2016	1235 kg	PSLV-C36 / RESOURCESAT-2A	SSPO	Earth Observation
SCATSAT-1	Sep 26, 2016	371 kg	PSLV-C35 / SCATSAT-1	SSPO	Climate & Environment
INSAT-3DR	Sep 08, 2016	2211 kg	GSLV-F05 / INSAT-3DR	GSO	Climate & Environment, Disaster Management System

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय खगोलविदों ने थर्टी मीटर टेलीस्कोप परियोजना पर नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ सहयोग दिया खबरों में क्यों है?

- हाल ही में 2020 के भौतिकी के नोबेल विजेता प्रो एंड्रिया घेज़ ने हवाई में मौनाकिया में स्थापित किए जा रहे थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना के बैक-एंड उपकरणों और संभावित विज्ञान संभावनाओं के डिजाइन पर भारतीय खगोलविदों के साथ मिलकर काम किया था।
- यह ब्रह्मांड की समझ और उसमें मौजूद गूढ़ताओं को समझने में मदद करेगा।

थर्टी मीटर टेलीस्कोप परियोजना के बारे में

- थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना कैलटेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है।
- भारत से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (DST) और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने इसमें भाग लिया था।

- “थर्टी मीटर” का आशय 30-मीटर व्यास के दर्पण से है, जिसमें 492 कांच के टुकड़े एक साथ जुड़े होते हैं।



अनुप्रयोग

- इसके प्रमुख उपयोगों में से एक बाह्यग्रहों का अध्ययन होगा, जिनमें से कई ग्रहों की पिछले कुछ वर्षों में खोज हुई है, और उनके उनके वायुमंडल में जल वाष्प या मीथेन - जीवन के साक्ष्य के बारे में पता लगाना शामिल है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत-PIB

चौथी भारतीय मोबाइल कांग्रेस, 2020

खबरों में क्यों है?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2020 के चौथे संस्करण की घोषणा की।
- IMC 2020 का विषय है: समावेशी नवाचार - स्मार्ट आई सिक्वोर आई सस्टेनेबल है।



भारतीय मोबाइल कांग्रेस के बारे में

- यह दूरसंचार विभाग (DoT) और भारतीय सेलुलर ऑपरेटर संगठन (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य

- IMC 2020 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत (मेक इन इंडिया - स्थानीय विनिर्माण और और 'मेक फॉर वर्ल्ड') को प्रोत्साहन देने पर होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, सतत भारत - सनातन भारत (ऑप्टिकल फाइबर के साथ लगभग 6 लाख गांवों को डिजिटल रूप से जोड़ने) को प्रेरित करने, समग्र भारत - सक्षम भारत (उद्यमशीलता और नवीनता) को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करना और सहयोगी नियामकी और नीतिगत ढांचे को आगे बढ़ाना है।

संबंधित जानकारी

सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में

- इसे 1995 में एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था ।
- COAI की सोच, भारत को मोबाइल संचार सुविधाओं, उत्पादों और सेवाओं के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है और ब्रॉडबैंड सहित 100 प्रतिशत के राष्ट्रीय टेली घनत्व को प्राप्त करना है।
- यह संगठन आधुनिक संचार की उन्नत बनाने और भारत के लोगों को अभिनवी और किफायती मोबाइल संचार सेवाओं के लाभ पहुँचाने की दिशा में भी समर्पित है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत-PIB

स्पेस एक्स NASA का क्रू-1 मिशन

खबर में क्यों है?

- स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान ने 14 नवंबर को NASA के केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से उड़ान भरी जिसके द्वारा चार अंतरिक्षयात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर छह महीने लंबे मिशन के लिए पहुँचाया जाएगा।



क्या है क्रू-1 मिशन?

- यह मिशन NASA के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य इसकी लागत के संदर्भ में अंतरिक्ष तक पहुँच को आसान बनाना है, जिससे माल और क्रू को ISS तक आसानी से ले जाया जा सके और वहां से लाया जा सके, जिससे ज्यादा वैज्ञानिक शोध किया जा सके।
- क्रू-1 मिशन एर्जेसी के अंतरिक्षयात्री माइकेल हॉपकिंस, विक्टर ग्लोवर और शेनॉन वॉकर और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एर्जेसी (JAXA) मिशन के विशेषज्ञ सोची नोगुची के साथ केनेडी स्पेस सेंटर के लांच कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरेगा।
- ISS में, यह अंतरिक्षयात्री एक्सपीडीशन 64 के सदस्यों से मिलेंगे, यह अंतरिक्ष स्टेशन के सदस्य वर्तमान में ISS में ही हैं।
- महत्वपूर्ण है कि क्रू-1 स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान की पहली प्रचालन उड़ान है। जो ISS तक फैल्कन रॉकेट को ले जाएगी, यह 2020-21 के दौरान तय तीन उड़ानों में से पहली उड़ान है।

क्रू-1 मिशन का उद्देश्य

- मिशन का लक्ष्य एक्सपीडीशन 1 की तरह ही है जिसकी उड़ान 20 वर्ष पूर्व हुई थी।

- ISS पर, कू-1 की टीम एक्सपीडीशन 64 के सदस्यों से मिलेगी और माइक्रोग्रेवैटी अध्ययन करेगी एवं नए विज्ञान हार्डवेयर व परीक्षाओं को करेगी जोकि उन्हें कू ड्रैगन अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में ले जाएगा।
- कू ड्रैगन पर किए गए परीक्षण एक छात्र द्वारा डिजाइन परीक्षण है जिसका शीर्षक “जीन्स इन स्पेस-7” है जिसका उद्देश्य यह जानना है कि कैसे अंतरिक्ष यात्रा मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
- कुछ शोध जो कि टीम अपने साथ ले जा रही है वे हैं भोजन शरीर क्रिया विज्ञान की जांच के लिए सामग्री, जोकि प्रतिरक्षा कार्य और पेट में सूक्ष्म बायोम पर भोजन सुधार के प्रभाव का अध्ययन करेंगे और कैसे ये सुधार अंतरिक्षयात्रियों को अंतरिक्षयात्रा से तदात्म्य बैठाने में सहायता करते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

पिसर उत्प्रेरक प्रणालियाँ

खबर में क्यों है?

- हाल में IIT गुवाहाटी के एक शोध दल ने क्षमतावान ‘पिसर’ उत्प्रेरक प्रणालियों को बनाया है जो बायोमास अवशिष्ट को मूल्यवान रसायन में परिवर्तित कर देती है।



लाभ

- इन ‘पिसर उत्प्रेरक’ की छोटी मात्रा बार-बार औद्योगिक अवशिष्ट की बड़ी मात्रा को परिवर्तित करते हैं जैसे ग्लिसरॉल को लैक्टिक अम्ल और हाइड्रोजन में।
- ये उत्प्रेरक क्षमतावान तरीके से बायोएथनॉल जो कि निम्न ऊर्जा घनत्व वाला ईंधन है, को उच्च ऊर्जा घनत्व वाले ब्यूटनॉल में।
- मूल्यवान मध्यवर्तियों के परिवर्तन जैसे ग्लिसरॉल और एथनॉल, जो कि बायोमास के प्रसंस्करण के दौरान उत्पादित होते हैं, को औद्योगिक रूप से उपयोगी रसायनों में करने से पूरी दुनिया में इसके बारे में रुचि पैदा हुई है।


विषय- सामान्य अध्ययन- प्रश्नपत्र- III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- AIR

mRNA टीका


खबर में क्यों है?

- हाल में मोडर्ना ने संयुक्त राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के साथ विकसित किये गए अपने टीके के मानव परीक्षण के परिणामों की घोषणा की। परीक्षणों ने टीके को 94.5 प्रतिशत प्रभावी पाया है।
- मोडर्ना और फाइजर टीके समान प्रकार की तकनीक का प्रयोग करती हैं जो RNA अथवा mRNA मैसेंजर पर आधारित हैं।



ये कैसे कार्य करता है?

- mRNA पर आधारित कोरोना टीका, जब एक बार शरीर में डाला जाता है, तो वह स्पाइक प्रोटीन की अनुकृतियों को बनाने का आदेश शरीर की कोशिकाओं को देता है।
- अपने आप में यह वायरस से लड़ाई के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है।



- ये एंटीबॉडी रक्त में रहेंगी और वास्तविक वायरस से लड़ाई करेगी जब वह मानव शरीर को संक्रमित करता है।

- इस मामले में mRNA को कोड किया जाता है कि वह कोशिकाओं से कहे कि वह कोरोनावायरस SARS-CoV-2 की स्पाइक प्रोटीन की प्रतिकृति बनाए, जिससे कोविड-19 होता है।
- यह स्पाइक प्रोटीन है- जो कोरोनावायरस की सतह पर स्पाइक के रूप में दिखाई देती है- जो संक्रमण की प्रक्रिया का आरंभ करती है; यह वायरस को कोशिकाओं में घुसने की अनुमति देता है जिसके बाद वह अपनी प्रतिकृति तैयार करता है।

नोटः अन्य प्रकार के टीके में शामिल हैं नॉन रेप्लीकेटिंग वायरल वेक्टर कैटेगरी, इसका एक उदाहरण ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया टीका है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस


हर्ड इम्युनिटी

खबर में क्यों है?

- किसी भारतीय शहर के लिए अपने प्रकार के पहले मामले में, पूणे में किये गए एक नये अध्ययन ने खुलासा किया है कि लगभग 85 प्रतिशत लोग जिन्हें पूर्व के सर्वेक्षण में कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया था, ने सुरक्षात्मक एंटीबॉडी विकसित कर ली है।
- प्रभावी रूप से उन्होंने रोग से हर्ड इम्युनिटी हासिल कर ली है।

The journey to herd immunity

1. A novel pathogen is introduced to a community. Because it's new, no one has immunity and it begins to spread.
2. Those who recover and those who receive a vaccine (if there is one) develop immunity, at least for a period of time. With the coronavirus, it's not known how long. So far, there is no proven vaccine.
3. Herd immunity takes hold when the pathogen can't find new hosts and stops spreading. That happens once a sufficient portion of the community is immune. For this virus, estimates range from 55% to 82%.



क्या है हर्ड इम्युनिटी?

- यह किसी महामारी की वह अवस्था है जब एक जनसंख्या समूह के कुछ सदस्य संक्रमण से संरक्षण हासिल कर लेते हैं।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके चारों के बहुसंख्यक लोग जिनमें पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, चाहे वह टीकाकरण की वजह से हो अथवा वे पहले संक्रमित हो चुके हों।
- एक बार जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात संक्रमित हो चुकता है, और इस तरह से प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है, महामारी धीमी पड़ने लगती है और अंतोगत्वा समाप्त हो जाती है।

संबंधित सूचना

सीरम वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में

- सीरम वैज्ञानिक सर्वेक्षण का उद्देश्य यह जानना है कि किसी वायरस/बैक्टीरियम के विरुद्ध जिस व्यक्ति का परीक्षण किया गया है उसने एंटीबॉडी तो विकसित नहीं कर ली है।
- एंटीबॉडीज वे प्रोटीन होती है जिन्हें बाहरी जीवों जैसे वायरस जो कि शरीर में घुसने का प्रयास करते हैं, से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित किये जाते हैं।

- ये संक्रमण के उत्पन्न होने के बाद ही पैदा होते हैं इसलिए वे वायरस या बैक्टीरिया पर आक्रमण के लिए विशेष रूप से होते हैं।
- एंटीबायोज की उपस्थिति, इसलिए एक सूचना है कि वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमण पहले ही चुका है।
- बाद में शरीर को संक्रमित करने के प्रयास इन एंटीबायोज द्वारा बेकार कर दिये जाते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

परम सिद्धि

खबर में क्यों है?

- हाल में, परम सिद्धि ने दुनिया में 500 सबसे ज्यादा शक्तिशाली गैर-वितरित कम्प्यूटर प्रणालियों में 63 वैश्विक रैंकिंग हासिल कर ली।



परम सिद्धि के बारे में

- परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाला कम्प्यूटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (HPC-AI) सुपरकम्प्यूटर है।
- इसे NVIDIA DGX Super POD रिफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग पर निर्मित किया गया है जिसके साथ C-DAC का स्वदेशी रूप से विकसित HPC-AI इंजन भी लगा है।
- यह उच्च प्रदर्शन वाला कम्प्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (HPC-AI) सुपरकम्प्यूटर है जिसे राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन (NSM) के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (C-DAC) इकाई में लगाया गया है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली एडवांस्ड मैटेरियल, कम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री एवं एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में पैकेज के अनुप्रयोग विकास को मजबूत करेगी। इसके अतिरिक्त प्लेटफार्म पर मिशन के अंतर्गत कई पैकेज विकसित किये जा रहे हैं जिससे ड्रग डिजाइन और निरोधात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, बाढ़ भविष्यवाणी पैकेज जो बाढ़ के संकट वाले मेट्रो शहरों के लिए हैं, के लिए कार्य होगा।

संबंधित सूचना

मिहिर

- इसे नोएडा में राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम भविष्यवाणी केंद्र में स्थापित किया गया है।
- इसे सूची के नवंबर संस्करण में 146वां स्थान दिया गया था।

प्रत्युष सुपरकम्प्यूटर


- यह एक सुपरकम्प्यूटर है जिसका प्रयोग पूणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है।
- यह 4.0 पेटा फ्लॉप्स (PF) का उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटर है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO स्वीकृति हासिल करना वाला भारत चौथा देश बना

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नौपरिवहन है जिसे विश्वव्यापी रेडियो नौपरिवहन प्रणाली (WWRNS) के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने मान्यता दी है।
- अन्य तीन देश जिनके अपनी नौपरिवहन प्रणालियां हैं और जिन्हें IMO ने मान्यता दे रखी है, वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन।



भारतीय क्षेत्रीय नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली के बारे में

- भारतीय क्षेत्रीय नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) की डिजाइन हिंद महासागर जल में समुद्री जहाजों के नौपरिवहन में सहायता देने के लिए सटीक स्थिति की सूचना सेवा देने के लिए तैयार की गई है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाले ग्लोबल पोजीशन सिस्टम (GPS) अथवा रूस के ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम (GLONASS) की तरह ही है।
- इसके प्रयोग से व्यापारिक जहाज IRNSS के प्रयोग में सक्षम हो जाएंगे जिससे वे GPS और GLONASS के समान ही 50° N अक्षांश, 55°E देशांतर, 5°S अक्षांश और 110° S देशांतर (भारतीय सीमा से लगभग 1500 किमी.) द्वारा आच्छादित क्षेत्र में महासागरीय जल में समुद्री जहाजों के नौपरिवहन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

संबंधित सूचना

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है जिसके ऊपर जहाजरानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी और समुद्री जहाजों द्वारा फैलाये जा रहे समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी है।
- इसकी स्थापना एक संधि के द्वारा की गई थी जिसे 17 मार्च 1948 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अपनाया गया था और इसकी पहली बैठक जनवरी 1959 में पहली बार हुई।
- इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (UN-SDGs) का समर्थन करता है जोकि जल के अंदर की जिंदगी है और सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग और संरक्षण से संबंधित है।
- इसकी मुख्य भूमिका जहाजरानी उद्योग के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करना है जोकि न्यायपूर्ण और प्रभावी हो, जिससे सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया हो और सार्वभौमिक रूप से क्रियान्वित किया जाए।
- IMO अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- IMO की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है।



सदस्य देश

- इसके वर्तमान में 174 सदस्य और 3 सहयोगी सदस्य हैं।
- IMO के तीन सहयोगी सदस्य फारो आइलैंड, हांगकांग और मकाओ हैं।

भारत और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन

- भारत 1959 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ।
- IMO ने वर्तमान में भारत को 10 देशों की सूची में शामिल कर रखा है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय समुद्र पर चलने वाले व्यापार में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है।
- हाल में, भारत ने समुद्री जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरणीय उपयुक्त पुनर्चक्रीकरण पर हांगकांग अंतरराष्ट्रीय संधि पर भी हस्ताक्षर किये हैं, जिससे भारत में समुद्री जहाज पुनर्चक्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

[चांग ए-5 चंद्र अभियान](#)

खबर में क्यों है?

- चीन का चांग ए-5 पिछले चार दशकों में पहला चंद्र अभियान बन जाएगा जो पूर्व के गैर खोजे गए क्षेत्र से चंद्रमा के पत्थरों के सैंपल लाएगा।

चांग ए-5 अभियान क्या है?

- चांग ए-5 अनुसंधान चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) का चंद्र सैंपल वापसी अभियान है जिसे चीन में हैनान द्वीप पर वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से 24 नवंबर को प्रक्षेपित करने की तैयारी है।
- इस मिशन में एक लूनर ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक एसेंट प्रोब शामिल है जो चंद्रमा के सैंपल को कक्षा में वापस लाएंगे और उन्हें पृथ्वी भेजेंगे।
- इस अनुसंधान का नामकरण चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर किया गया है जिन्हें पारंपरिक रूप से सफेद या नटखट खरगोश के साथ दिखाया जाता है।
- चांग ए-5 में एक रोबोटिक भुजा, एक कोरिंग ड्रिल, एक सैंपलर चैम्बर शामिल है, साथ ही इसमें एक कैमरा, पेनेट्रेटिंग रडार और एक स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा हुआ है।



A Long March-5 rocket carrying the Chang'e 5 lunar mission lifts off at the Wenchang Space Launch Center in Wenchang in southern China's Hainan Province, early Tuesday, Nov. 24, 2020. (AP Photo: Mark Schiefelbein)

- यह अंतरिक्षयान 15 दिसंबर के आसपास धरती वापस लौटेगा।

चंद्रमा के सैंपलों का महत्व

- चंद्रमा से पत्थरों के पहले सैंपल अपोलो 11 अभियान के द्वारा इकठ्ठा किये गए थे।
- 1984 के एक प्रलेख के अनुसार, NASA ने ध्यान दिया कि चंद्रमा से प्राप्त सैंपल चंद्रमा विज्ञान और खगोलशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं
 - a. चंद्रमा की आयु
 - b. चंद्रमा का निर्माण
 - c. पृथ्वी से समानताएं एवं अंतर
 - d. चंद्रमा की भूगर्भीय विशेषताएं एवं इतिहास
 - e. चंद्रमा सौरमंडल के बारे में भी वैज्ञानिकों को सूचना दे सकता है।

पूर्व के अभियान

- 2019 की शुरुआत में, चीन के चांग ए-4 अनुसंधान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के धुर पक्ष के चित्र संप्रेषित किये थे, जिसे उसका काला पक्ष भी कहा जाता है।
- 1970 में, सोवियत संघ के लूना 16 अनुसंधान लगभग 101 ग्राम के वजन वाले सैंपल के साथ वापस लौटा था, जिसे चंद्रमा के मेयर फेकनडिटेटिस क्षेत्र से इकठ्ठा किया गया था।
- इसके बाद आया लूना 16 अनुसंधान जो अपोलोनियस उच्चभूमियों के क्षेत्र से 55 ग्राम से ज्यादा मिट्टी पृथ्वी पर लाया।
- इन दोनों अनुसंधानों ने चंद्रमा की सतह से कुछ 10 सेमी. नीचे मिट्टी के सैंपल इकठ्ठा किये थे।
- 1976 में, लूना 24 ने चंद्रमा की मिट्टी में 2 मीटर गहरे से 170 ग्राम से ज्यादा वजन के सैंपल को इकठ्ठा किया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

ISRO का शुक्रयान अभियान

खबर में क्यों है?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 20 अंतरिक्ष आधारित परीक्षण प्रस्तावों की सूची छांटी है जिसमें अपने प्रस्तावित शुक्र आर्बिटर अभियान 'शुक्रयान' के लिए फ्रांस भी शामिल है। यह अभियान इस ग्रह का चार वर्षों तक अध्ययन करेगा।
- ये 20 पेलोड (वैज्ञानिक उपकरण) प्रस्ताव, जिसमें रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी से सहयोगात्मक योगदान शामिल है, वर्तमान में समीक्षा के अंतर्गत हैं।



शुक्रयान अभियान के बारे में

- यह शुक्र के चार वर्ष के अध्ययन के लिए अभियान है।
- इस अभियान के 2024 अथवा 2026 तक प्रक्षेपित करने की योजना है जिसे GSLV MkII रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा।
- प्रस्तावित उपग्रह की पेलोड क्षमता 2500 किग्रा. होगी।
- यह ध्यान देने की बात है कि अनुकूलतम प्रक्षेपण अवसर (जब शुक्र पृथ्वी के निकटतम होगा) प्रत्येक 19 महीने में एक बार आता है।

अभियान के वैज्ञानिक उद्देश्य

- सतह प्रक्रियाओं और छिछले उपस्तर स्तरीभूत वर्गों की स्थिति की जांच।
- शुक्र के आयनमंडल से सौर पवनों की अनोन्य क्रिया।
- वायुमंडल की संरचना, संयोजन और गत्यात्मकता का अध्ययन।

शुक्र के अध्ययन का महत्व

- शुक्र की व्याख्या अक्सर धरती की जुड़वां बहन के रूप में किया जाता है क्योंकि इसके आकार, द्रव्यमान, घनत्व, भारी संयोजन और गुरुत्व में समानताएं हैं।
- ऐसा विश्वास किया जाता है कि दोनों ग्रह समान उत्पत्ति साझा करते हैं, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व संघनित तारे बनाने वाले बादलों से एक समय ही इनका निर्माण हुआ था।
- शुक्र, पृथ्वी की तुलना में सूर्य के 30 प्रतिशत ज्यादा नजदीक है जिसकी वजह से इसका ऊंचा सौर प्रवाह है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग

खबर में क्यों है?

- हाथरस सामूहिक बलात्कार के अभियुक्तों का गांधीनगर आधारित फॉरेसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) में मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी।



मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग के बारे में

- इसे मस्तिष्क विद्युतीय दोलन हस्ताक्षर रूपरेखण (BEOSP) भी कहा जाता है।
- यह पूछताछ की स्नायु मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें अभियुक्त के अपराध में भागीदारी की जांच उसके मस्तिष्क के प्रतियुत्तर का अध्ययन करके जानी जाती है।
- BEOSP परीक्षण एक प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहा जाता है, जिसे मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया

- इस परीक्षण के अंतर्गत अभियुक्त की रजामंदी सबसे पहले लेते हैं, और फिर उन्हें दर्जनों इलेक्ट्रोड लगी हुई टोपी पहनाई जाती है।
- अभियुक्त को फिर अपराध से संबंधित दृश्य दिखाये जाते हैं या ऑडियो क्लिप चलाई जाती हैं जिससे यह जांचा जाता है कि क्या उनके मस्तिष्क में स्नायु पैदा हो रहे हैं जिनसे तब मस्तिष्क तरंगें पैदा होती हैं।
- तब परीक्षण के परिणामों का अपराध में अभियुक्त के शामिल होने को निर्धारित करने के लिए अध्ययन किया जाता है।

संबंधित सूचना

क्या इन परीक्षणों को साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है?

- इस प्रकार के साक्ष्य अकेले नहीं कार्य करते हैं।
- 2010 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में एक निर्णय दिया जिसमें खंडपीठ ने कहा कि नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और मस्तिष्क नक्शांकन परीक्षण बिना इजाजत के किसी व्यक्ति पर नहीं किये जा सकते हैं और इसके परीक्षण परिणामों को एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- लेकिन, परीक्षणों के दौरान यदि कोई सूचना अथवा सामग्री खोजी जाती है, तो उसे साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है, ऐसा खंडपीठ ने कहा।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

नॉकटील्यूका सिंटीलेंस

खबर में क्यों है?

- नॉकटील्यूका सिंटीलेंस के फूल, जिन्हें सामान्य तौर पर “समुद्र की चमक” कहा जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर दिखाई दे रहे हैं।



नॉकटील्यूका सिंटीलेंस के बारे में

- इन्हें सामान्य तौर पर समुद्र की चमक कहा जाता है जोकि डाइनोफ्लेजीलेट की मुक्त जीने वाली, समुद्र में रहने वाली प्रजाति है। यह जैवसंदीप्ति का प्रदर्शन करती है जब इसे परेशान किया जाता है।
- नॉकटील्यूका सिंटीलेंस का विषाक्त खिलना वृहद मत्स्य और समुद्री अकशेरुकी हत्याओं से जुड़ा हुआ था और सूक्ष्मदर्शीय शैवाल को विस्थापित किया है जिसे डायटम कहा जाता है जोकि समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार का निर्माण करती है।



समुद्री जीवों को खतरा

- समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रक्रिया मौसम परिवर्तन के संसूचन की प्रक्रिया है।
- एन. सिंटीलेंस का विषाक्त खिलना वृहद मत्स्य और समुद्री अकशेरुकी हत्याओं से जुड़ा हुआ था।
- यद्यपि यह प्रजाति विष नहीं उत्पन्न करती है, लेकिन इसे अमोनिया के विषाक्त स्तरों को इकठ्ठा करते हुआ पाया गया था, जिसे बाद में इसने चारों ओर के जल में उत्सर्जित कर दिया, जिसने फूलों में मृत्यु के कारक के रूप में कार्य किया।
- इन्होंने सूक्ष्मदर्शीय शैवाल जिसे डायटम कहते हैं, को विस्थापित किया, जोकि समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार का निर्माण करती है।
- इसने प्लवकभोजी मछलियों को भोजन से वंचित कर दिया।

नोट:

- हाल में जैवसंदीप्ति अथवा प्रकाश का स्फुरण करने वाला ज्वार मुंबई के जुहू तट पर दिखाई पड़ा। इसका कारण पादप प्लवक थे (सूक्ष्मदर्शीय समुद्री पौधे) जो प्रोटीनों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- द हिंदू

सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे

इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग (SAI)

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय सेना ने एक मैसेजिंग एप जिसे SAI (इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग) कहते हैं, की शुरुआत की है जोकि इसके सैनिकों को सुरक्षित वॉयज, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं को उपलब्ध कराएगा।



इंटरनेट के सुरक्षित अनुप्रयोग के बारे में

- यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मैसेजिंग अनुप्रयोगों जैसे वाट्सअप, टेलीग्राम, संवाद और जिम्स की भांति ही है।
- यह एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।
- SAI स्थानीय इन हाउस सर्वरों और कोडिंग के साथ सुरक्षित विशेषताओं के मामले में अक्वल है जिन्हें जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है।
- SAI का उपयोग पूरी सेना में सेवा के अंदर सुरक्षित मैसेजिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
- यह अनुप्रयोग सूचीकृत परीक्षक और सेना साइबर समूह के CERT-in द्वारा जांचा गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II+III- शासन + सुरक्षा

स्रोत- PIB

मिशन सागर-II

खबर में क्यों है?

- हाल में भारतीय नौसैनिक जहाज (INS) ऐरावत मिशन सागर-II के रूप में 100 टन खाद्य सहायता के साथ पोर्ट सूडान में दाखिल हुआ।



मिशन सागर-II के बारे में

- यह प्रथम 'मिशन सागर' का अनुपालन करता है जो मई-जून 2020 में हुआ था, जिसके द्वारा भारत मालदीव, सेशेल्स, मैडगास्कर और कोमोरोस पहुँचा था और खाद्य सहायता और दवाईयां उपलब्ध कराई थीं।
- मिशन सागर-II के अंतर्गत, भारतीय नौसैनिक जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरीट्रिया को खाद्य सहायता प्रदान करेगा।
- मिशन सागर-II प्रधानमंत्री के स्वप्न क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और वृद्धि 'SAGAR' के आधार पर ही है और भारत द्वारा अपने समुद्रीय पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को दिये गये महत्व को उजागर करता है एवं वर्तमान संबंधों को और भी मजबूत करता है।

संबंधित सूचना

मिशन सागर (Security and Growth for All in the Region)

- यह एक शब्द है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान गढ़ा था जिसका मुख्य जोर नीली अर्थव्यवस्था पर था।
- यह एक समुद्री पहल है जोकि हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है जिससे भारत में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
- इसका लक्ष्य विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण को हासिल करना, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के लिए सम्मान और सभी देशों के लिए कानून; एक दूसरे के हितों के लिए संवेदनशीलता; समुद्री मामलों का शांतिपूर्ण हल; और समुद्री सहयोग में वृद्धि करना है।
- यह इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुसार ही है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 24वां संस्करण

खबर में क्यों है?

- मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 24वां संस्करण नवंबर 2020 में दो चरणों में होना निर्धारित है।
- मालाबार 20 अभ्यास के चरण 1 में भारतीय नौसेना (IN), संयुक्त राज्य नौसेना (USN), जापान समुद्री स्व रक्षा बल (JMSDF) और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) की भागीदारी होगी। यह बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के पास होगी।
- मालाबार 20 का चरण 2 मध्य नवंबर 2020 में अरब सागर में आयोजित किया जाना निर्धारित है।



संबंधित सूचना

मालाबार नौसेना अभ्यास के बारे में

- यह त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसे भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाना है।
- समुद्री अभ्यासों की मालाबार श्रृंखला की शुरुआत 1992 में द्विपक्षीय IN-USN अभ्यास के रूप में हुई थी।
- यह बाद में स्थाई रूप से त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तारित हो गई जब जापान 2015 में इसमें शामिल हुआ।
- भारत और जापान के रक्षा बल JIMEX, SHINYUU Maitri और Dharma Guardian जैसे द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का आयोजन करते हैं।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- रक्षा

स्रोत- PIB

BRICS आतंकवाद निरोधी सहयोग

खबर में क्यों है?

- हाल में पांच देशों के समूह BRICS ने एक नई आतंकवाद निरोधी रणनीति को अपनाया है जिसे आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।



उद्देश्य

- BRICS आतंकवाद निरोधी सहयोग का उद्देश्य BRICS देशों के मध्य वर्तमान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और संपूरक करना है, साथ ही आतंकवाद के खतरे से बचने और मुकाबले करने के वैश्विक प्रयासों में अर्थपूर्ण योगदान देना है।
- BRICS देश ने फिर से पुष्टि की कि आतंकवाद सभी रूपों और परिलक्षणों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है और किसी भी तरह का आतंकवाद कार्य एक अपराध है और इसका कोई औचित्य नहीं है।
- BRICS देशों ने यह भी पहचान की कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद से बचाव और मुकाबला करने के लिए सहयोग को उन्नत करने के लिए आवश्यक कदमों को उठाए जिसमें आतंकवादियों की सीमापार गतिशीलता भी शामिल है।
- BRICS देशों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुकाबले और उसके वित्त पोषण को रोकने के लिए एकता को मजबूत करना है।

BRICS के बारे में

- BRICS विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह का संक्षिप्त नाम है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

उद्देश्य

- BRICS समूह के अंदर और व्यक्तिगत देशों के बीच में अधिक सतत, समान और आपसी रूप से लाभदायक विकास के लिए सहयोग को गहरा, विस्तृत और तेज करना चाहता है।
- BRICS इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधों का निर्माण विभिन्न देशों की आर्थिक मजबूती के आधार पर और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता को रोका जाए, के लिए प्रत्येक सदस्य के विकास और गरीबी उद्देश्यों को विचार में रखता है।
- यह एक नए और आशाजनक राजनीतिक-कूटनीतिक संस्था के रूप में उभर रहा है जिसके वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से आगे कई विविध उद्देश्य हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं सुरक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मालाबार अभ्यास 2020 का द्वितीय चरण

खबर में क्यों है?

- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने हाल में उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसेना अभ्यास का द्वितीय चरण आरंभ किया।



- यह भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक त्रिस्तरीय नौसेना अभ्यास है जो बदल-बदल कर हिंद और प्रशांत महासागरों में होता है।
- इसकी शुरुआत 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के रूप में हुई थी और 2015 में जापान के प्रवेश के साथ ही इसका त्रिस्तरीय प्रारूप में विस्तार हो गया।
- इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत-प्रशांत को समर्थन करना और एक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध रहना है।
- इसका उद्देश्य पारस्परिकता है जिसका जोर मानवतावादी सहायता, सतह युद्ध अभ्यास, एंटी-सबमरीन युद्ध, आतंकवाद निरोधी प्रचालनों, गन का प्रशिक्षण और हवाई निगरानी रखने पर है।
- मालाबार 2019 भारत-जापान- संयुक्त राज्य अमेरिका नौसैनिक सहयोग को और भी मजबूत करने का प्रयास करेगा और साझा मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित पारस्परिकता को उन्नत करेगा।

अन्य संबंधित अभ्यास

भारत और जापान के मध्य में

- भारत और जापान के रक्षा बल द्विपक्षीय अभ्यासों एक श्रृंखला का आयोजन करते हैं जैसे JIMEX, SHINYUU Maitri और Dharma Guardian।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यासों को आयोजित करते हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में द्विपक्षीय अभ्यास पिच ब्लैक और AUSINDEX हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में परिवर्तन किया

खबर में क्यों है?

- गृह मामलों के मंत्रालय (MHA) ने किसानों, छात्र और धार्मिक और अन्य समूहों के लिए नियमों में छूट दी है जो प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। वे विदेशी धन हासिल कर सकते हैं यदि 'सक्रिय राजनीति' में नहीं शामिल हैं।
- मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (FCRA), 2010 के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया है जिससे FCRA नियमों, 2011 में संशोधन किया गया है।



विदेशी अंशदान विनियमन कानून (FCRA)

- FCRA विदेशी चंदे दान को विनियमित करता है और सुनिश्चित करता है कि ये अंशदान देश की आंतरिक सुरक्षा को बुरे रूप में प्रभावित न करें।
- यह कानून जिसे 1976 में सबसे पहले बनाया गया था, को वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था, जब विदेशी दानों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कई नए उपायों को किया गया था।
- यह कानून सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों (NGOs) पर लागू होता है जो विदेशी दान को ग्रहण करना चाहते हैं।

FCRA के अंतर्गत अपने को पंजीकृत करवाने के इच्छुक संगठन:

- अपने अस्तित्व के तीन वर्ष पूरे करने होंगे और
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समाज के लाभ के लिए अपनी केंद्रीय गतिविधियों में ₹. 15 लाख की न्यूनतम राशि को खर्च करना चाहिए।
- आरंभिक रूप से पंजीकरण पांच वर्षों के लिए है और बाद में इसका नवीनीकरण सभी मानदंडों पर खरा उतरने पर किया जा सकता है।
- विधायिका, राजनीतिक पार्टियों के सदस्य, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और मीडियाकर्मी के विदेशी अंशदान लेने पर रोक है।

- 2017 में MHA ने वित्त विधेयक के मार्ग से 1976 में समाप्त किये गये FCRA संशोधित कर दिया जिससे अब राजनीतिक पार्टियां किसी विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक अथवा ऐसी विदेशी कंपनी जिसमें किसी भारतीय का शेयर 50% या उससे अधिक है, से धन ले सकती हैं।

FCRA नियमों में हाल के परिवर्तन

- नियम 3 (FCRA 2011) के अनुबंध V ने राजनीतिक समूहों को किसानों, कामगारों, छात्रों, युवाओं के संगठन जो जाति, समुदाय, धर्म, भाषा एवं किसी अन्य आधारित हैं, को पात्र माना है, लेकिन उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से सीधे नहीं जुड़ा होना चाहिए।
- ऐसे राजनीतिक समूह का उद्देश्य जो संघ के ज्ञापन में कही गई है, अथवा अन्य सामग्रियों के साक्ष्य के द्वारा इकठ्ठा की गई गतिविधियां, जिसमें शामिल है ऐसे समूहों के राजनीतिक हितों को बढ़ाने की ओर उठाए गये कदम।
- अनुबंध VI(FCRA 2011) किसी समूह को राजनीतिक मानता है यदि संगठन जो किसी भी नाम से हो सकता है सार्वजनिक कारणों के समर्थन में रास्ता रोको, जेल भरो, रेल रोको, बंद अथवा हड़ताल जैसी राजनीतिक गतिविधियों के सामान्य विधियों का प्रयोग करता है।
- संशोधित नियम यह भी कहता है कि गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी अथवा FCRA के अंतर्गत पंजीकरण के इच्छुक संगठन दानकर्ता से विशेष प्रतिबद्धता पत्र दाखिल करें जिसमें विदेशी अंशदान की राशि और जिस उद्देश्य के लिए यह दिया जा रहा है, का उल्लेख होना चाहिए।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- सुरक्षा और रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय सेना ने चीन द्वारा माइक्रोवेव हथियारों के प्रयोग की रिपोर्टों को खारिज किया

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय सेना ने ब्रिटिश दैनिक अखबार में एक आधारहीन और नकली रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसने चीनी प्रोफेसर के दावे को प्रकाशित किया था कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को पूर्वी लद्दाख से उनकी स्थितियों से हटाने के लिए 'माइक्रोवेव हथियारों' का प्रयोग किया।

क्या होते हैं माइक्रोवेव हथियार?

- ये एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार माने जाते हैं जो किसी लक्ष्य पर सोनिक, लेजर अथवा माइक्रोवेव्स के रूप में उच्च केंद्रण वाली ऊर्जा को डालते हैं।
- रिपोर्ट ने दावा किया है कि माइक्रोवेव हथियारों ने मानव लक्ष्यों की त्वचा में जल को गर्म करने के लिए उच्च आवृत्ति के वैद्युतचुंबकीय विकिरण की किरणों का प्रयोग किया जिससे उन्हें दर्द और असुविधा हुई।



- इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि क्या वे आंखों को नुकसान कर सकते हैं अथवा दीर्घावधि में कैंसरकारक प्रभाव तो नहीं पैदा कर सकते हैं।
- द डेली मेल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पहली बार 2014 में एक एयर प्रदर्शनी में 'Poly WB-1' माइक्रोवेव हथियार का प्रयोग किया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एक शुरुआती माइक्रोवेव प्रकार के हथियार का विकास किया है जिसे वह 'एक्टिव डिनायल सिस्टम' कहता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- लाइवमिंट

दूसरा संस्करण त्रिस्तरीय समुद्री अभ्यास SITMEX-20

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय नौसेना जहाज अंडमान समुद्र में 21 से 22 नवंबर 20 तक भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में त्रिस्तरीय समुद्री अभ्यास SITMEX-20 के दूसरे संस्करण में भागीदारी कर रहे हैं।



SITMEX-20 के बारे में

- SITMEX अभ्यासों की श्रृंखला का आयोजन आपसी अंतर-पारस्परिकता के उन्नयन और भारत, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (RSN) और रॉयल थाई नौसेना (RTN) के बीच में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को ग्रहण करने के लिए किया गया।
- अभ्यास के 2020 संस्करण का आतिथ्य सिंगापुर गणराज्य की नौसेना द्वारा किया जा रहा है।
- इस अभ्यास को कोविड-19 महामारी के चलते 'गैर संपर्क वाली, केवल समुद्र में' के अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तीन मित्र नौसेनाओं और समुद्री पड़ोसियों के मध्य समुद्री क्षेत्र में बढ़ती सहक्रिया को दर्शाया जा रहा है।
- अभ्यास के SIMTEX श्रृंखला का उद्देश्य आपसी आत्मविश्वास विकसित करना और समान समझ विकसित करना है। साथ ही क्षेत्र में कुल समुद्री सुरक्षा के उन्नयन की ओर प्रक्रियाओं को विकसित करना है।

नोट:

- SITMEX का पहला संस्करण, जिसका आतिथ्य भारतीय नौसेना ने किया था, का आयोजन सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में किया गया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

अभ्यास SIMBEX-20

खबर में क्यों है?

- भारतीय नौसेना अंडमान सागर में भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SIMBEX-20 के 27वें संस्करण का आयोजन करने जा रही है।

अभ्यास SIMBEX-20 के बारे में

- भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच में अभ्यासों की SIMBEX श्रृंखला का आयोजन वार्षिक रूप से 1994 से हो रहा है।



- इसका उद्देश्य आपस अंतर पारस्परिकता का उन्नयन करना और एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना है।
- अभ्यासों की SIMBEX श्रृंखला भारत और सिंगापुर के मध्य समन्वय के उच्च स्तर और विचारों के संमिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में संपूर्ण समुद्री सुरक्षा का उन्नयन करना है और एक कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनके प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है।
- SIMBEX का 2020 संस्करण भारतीय नौसेना के जहाजों की भागीदारी को देखेगा जिसमें इंडीग्रल चेतक हेलिकॉप्टर के साथ डेस्ट्रॉयर राना और स्वदेशी निर्मित कोरवेट कामोर्तो और कार्मुक शामिल होंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

ब्रह्मोस मिसाइल

खबरों में क्यों है?

- भारत ने सफलतापूर्वक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड अटैक रूप को प्रक्षेपित किया है।

BrahMos का लैंड अटैक रूप

- यह सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है।
- ब्रह्मोस का लैंड अटैक रूप की मार की क्षमता 400 किमी. की है जबकि इसके पूर्व के रूप की सीमा 290 किमी. की थी और इसकी गति 2.8 मैक (पराश्रव्य ध्वनि) की है।

ब्रह्मोस मिसाइल

- ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस के फेडरल स्टेट यूनीटरी इंटरप्राइज PO मशीनोस्ट्रोयेनिया (NPOM) के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। यह एक अंतर सरकारी समझौता है।
- ब्रह्मोस का नामकरण ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदियों के नाम पर किया गया है।
- यह दो चरणों वाला (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में द्रव रैमजेट) वायु से सतह में प्रहार करने वाली मिसाइल है जिसकी उड़ान की सीमा 300 किमी. तक है।
- लेकिन, भारत के मिसाइल तकनीक नियंत्रण शासन (MTCR) में प्रवेश से **ब्रह्मोस** की सीमा 450-600 किमी. तक बढ़ गई, जोकि 300 किमी. के MTCR कैच सीमा से कुछ ऊपर है।
- ब्रह्मोस सुखोई-30 MKI लड़ाकू जहाज में लगाया जाने वाला सबसे भारी हथियार है, जिसका वजन 2.5 टन है।
- ब्रह्मोस बहु प्लेटफार्म है अर्थात इसे भूमि, वायु और समुद्र से प्रक्षेपित किया जा सकता है और यह बहुक्षमता वाली मिसाइल है जिसकी सटीकता जबर्दस्त है जो मौसम स्थितियों के बावजूद दिन व रात दोनों में कार्य करती है।
- यह 'दागो और भूल जाओ' के सिद्धांत पर कार्य करती है अर्थात प्रक्षेपण के बाद इसको दिशा-निर्देश देने की जरूरत नहीं होती है।
- ब्रह्मोस में कार्यरत सभी मिसाइलों में से सबसे तेज में से एक है जिसकी गति मैक 2.8 की है, जोकि ध्वनि की गति से तीन गुना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

पर्यावरण

हैनान गिबबन्स

खबर में क्यों है?

- हाल में, रोप ब्रिज का सहारा लेकर हैनान गिबबन्स के संरक्षण पर चर्चा की गई।
- जुलाई 2014 में, जब सुपर टाईफून रम्मासुन हैनान द्वीप से टकराया था, भूस्खलन की वजह से 30 मी. चौड़े वन अंतराल पैदा हो गए थे।
- इसने गिबबन्स के आवास को तितर बितर कर दिया जिससे उन्हें जोखिमपूर्वक पैसेज के पार जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- अचानक लगने वाली चोटों अथवा मृत्यु को रोकने के लिए, हांगकांग से एक टीम ने 2015 में क्षतिग्रस्त रास्ते के आरपार एक कैनोपी रोपवे पुल का निर्माण कर दिया।



Female Hainan gibbons are bright yellow with black patches while males are completely black. (Courtesy of the Kadoorie Farm and Botanic Garden)

हैनान गिबबन्स के बारे में

- हैनान गिबबन्स दुनिया के सबसे गंभीर संकटग्रस्त प्राइमेट हैं।
- वे चीन के हैनान द्वीप के मूल निवासी हैं और पूरे ग्रह में ये केवल 30 ही बचे हैं।
- विशालकाय बंदरों की तरह ही गिबबन्स (गोरिल्ला, ओरंगउटान, चिम्पांजी और बोनोबोस) का मानव की तरह से ही कद काठी है और उनकी पूंछ नहीं होती है।
- गिबबन्स की विभिन्न प्रजातियां को चार पीढ़ी में विभाजित कर सकते हैं अर्थात् हूलॉकस हाइलोबेट्स, नोमास्कस और सिम्फेलेंगस।
- गिबबन्स वृक्षों से संबंध रखने वाले हैं और तेज गति और चपलता के साथ शाखाओं से शाखाओं में घूमते हैं जिसके लिए वे अपने हाथों को झुलाते हैं।

वितरण

- गिबबन्स अभी भी दक्षिणपूर्व एशिया के वर्षावनों और मानसून वनों में वितरित हैं, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा खतरे में हैं क्योंकि वन आवास नष्ट हो रहे हैं।

भोजन

- गिबबन्स उष्टकटिबंधीय क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाने वाले फलों को खाकर जीते हैं और विशेष रूप से अंजीर के प्रेमी होते हैं।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- पर्यावरण

स्रोत- दि हिंदू +स्मिथसोनियन मैगजीन

UNESCO ने पन्ना को "जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क" में शामिल किया

खबर में क्यों है?

- UNESCO के मानव और जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम ने हाल में पन्ना जैवमंडल रिजर्व को UNESCO के जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया।



पन्ना जैवमंडल रिजर्व के बारे में

- यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
- यह भारत से 12वां जैवमंडल रिजर्व है जिसे 'जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क' में शामिल किया जा रहा है, और पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद मध्य प्रदेश से यह तीसरा है।
- यह एक महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र है और पन्ना बाघ रिजर्व यहीं पर है, साथ ही खजुराहो समूह के स्मारकों का विश्व विरासत स्थल भी यह है।

MAB कार्यक्रम के बारे में

- यह एक अंतरसरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे UNESCO ने 1971 में शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंध के उन्नयन का एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को संयुक्त करता है जिसका मंतव्य मानव जीवनयापन में सुधार लाना और प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को सुरक्षित रखना है, जिससे आर्थिक विकास के नवाचार वाले दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन दिया जा सके जोकि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और पर्यावरणीय रूप से सततीय हैं।
- कार्यक्रम के अंतर्गत, UNESCO ने जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क (WNBR) को स्थापित किया है।
- जैवमंडल रिजर्व का नामांकन राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किया जाता है।
- यदि इसका चुनाव UNESCO द्वारा किया जाता है तो उन्हें WNBR में शामिल किया जाता है।
- जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क पूरी दुनिया में 124 देशों के 701 स्थल शामिल हैं, जिसमें 21 अंतरसीमा स्थल भी शामिल हैं।

भारत और MAB

- भारत के कुल 12 जैवमंडल रिजर्व हैं जिन्हें मानव एवं जैवमंडल (MAB) रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रूप में मान्यता दी गई है। वे हैं:
 - नीलगिरि (सबसे पहला शामिल होने वाला)
 - मन्नार की खाड़ी
 - सुंदरबन
 - नंदा देवी नॉरकेक

- पंचमढी
- सिमलीपाल
- अचानकमार-अमरकंटक
- ग्रेट निकोबार
- अगस्त्यमाला
- खांगचैदजोंगा (2018)
- पन्ना (2020)

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

मेघालय का यूरेनियम विरोधी अभियान

खबर में क्यों है?

- हाल में, स्पेलिटी लिंगदोह लैंगरिन, जो मेघालय में दशकों लंबे यूरेनियम खनन विरोधी आंदोलन का चेहरा थे, कि दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के डिमियासियात क्षेत्र में मृत्यु हो गई।



मेघालय के यूरेनियम विरोधी अभियान के बारे में

- 1980 के दशक की शुरुआत में, खोज और शोध के लिए परमाणु खनिज महानिदेशालय (AMD) जो कि एक सरकारी निकाय है, जो देश में यूरेनियम संसाधनों की पहचान करके और मूल्यांकन करता है, ने मेघालय के कई यूरेनियम धनी गांवों में खुदाई आरंभ कर दी।
- देश के सबसे बड़े और धनी यूरेनियम के भंडार मेघालय के डिमियासियात और वाहकिन में हैं।
- डिमियासियात यूरेनियम भंडार जिसे “केलेंग-पाइनडेंगसोहियांग-माताह” क्षेत्र कहा जाता है, की खोज 1984 में की गई थी, इसमें लगभग 9.22 मिलियन टन उच्च श्रेणी के यूरेनियम अयस्क भंडार हैं।
- मेघालय के प्रभावशाली छात्र संगठन, खासी स्टूडेंट यूनियन (KSU), इस विरोध में सबसे आगे था, जिसके लिए उन्होंने पर्यावरणीय और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया।
- केलेंग-पाइनडेंगसोहियांग-माताह में आखिरी खुदाई गतिविधि 2018 के ग्रीष्मकाल में हुई लेकिन इसे KSU द्वारा रोक दिया गया।

भारत में यूरेनियम के बारे में

- भारत में वर्तमान में 22 संयंत्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 6780 मेगावाट की है (मेगावाट विद्युत)।
- इनमें से, आठ संयंत्र को देशी ईंधन द्वारा संचालित किया जाता है जबकि बाकी 14 IAEA की सुरक्षा में हैं और उन्हें आयातित यूरेनियम प्रयोग करने की छूट है।

- सेपेरेशन योजना के अंतर्गत जिसे केंद्र ने मार्च 2006 में घोषित किया था जिसे भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जुलाई 2005 में हुए नाभिकीय समझौते के बाद लागू किया गया, के अनुसार भारत को चरणबद्ध तरीके से 14 संयंत्रों को IAEA निगरानी के अंतर्गत लाना था।
- इनमें से 13 संयंत्रों में शामिल हैं
 - रावतभाटा, राजस्थान में RAPS2 से 6
 - काकड़ापार, गुजरात में KAPS1 से 2
 - नरोरा, उत्तर प्रदेश में NAPS1 से 2
 - तारापुर, महाराष्ट्र में TAPS1 से 2
 - तमिलनाडु में कुडानकुलम 1 और 2
- ये अभी से IAEA की निगरानी में हैं और आयातित ईंधन पर चलने के लिए पात्र हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III-पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मौसम परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015

खबर में क्यों है?

- संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से 2015 के मौसम परिवर्तन पर पेरिस समझौते से बाहर आ गया है जो एक वैश्विक समझौता है जिसके द्वारा वैश्विक उष्णता के प्रलयकारी दुष्परिणामों से दुनिया को बचाने के लिए सामूहिक कार्यवाही की जानी है।



पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में इस समझौते से बाहर होने के निर्णय की घोषणा की थी।
- इसने संयुक्त राज्य को पहला देश बना दिया जो समझौते से हटा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कार्बन उत्सर्जन का योगदान

- संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल कार्बन उत्सर्जन में 14% का योगदान है।
- यह वर्तमान में चीन (26%) के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
- यूरोपीय संघ के देश सामूहिक रूप से कुल उत्सर्जन का 9% करते हैं जिसके बाद 7% के साथ भारत का स्थान है।

नोट:

- हाल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की कि 2060 तक चीन कार्बन निवल शून्य हो जाएगा, और उन्होंने जाहिर तौर पर उच्चतम उत्सर्जनों तक पहुँचने की समयसीमा को बढ़ा दिया है।

- जापान और दक्षिण कोरिया ने भी मौसम कार्यवाही महत्वकांक्षा के बारे में अपनी घोषणा करते हुए 'निवल शून्य लक्ष्यों' तक पहुँचने की बात कही है, जो यूरोपीय संघ की समान योजना के अनुसार ही है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III-पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय मानसून मिशन

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री ने "मानसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग (HPC) सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभों के आकलन" पर अनुप्रयोग आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद (NCAER) की रिपोर्ट जारी की।



रिपोर्ट के मुख्य पहलू

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) और उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग (HPC) सुविधाओं के गठन पर कुल रु. 1000 करोड़ का निवेश किया है।

रिपोर्ट का उद्देश्य

- NMM और HPC में किये गए निवेशों के आर्थिक लाभों के आकलन के लिए जोकि वर्षा वाले क्षेत्रों, पशुओं के स्वामियों और मछुआरों में किसानों की आय वृद्धि के द्वारा है। इसके लिए क्रमशः मौसम और महासागर की स्थिति की भविष्यवाणी को अपनाया जाएगा।
- रिपोर्ट ने लैंगिक दृष्टिकोण के साथ आर्थिक लाभों की जांच की।
- कुल 173 जिले (भारत के कुल 732 जिलों में से) जोकि 29 राज्यों में से 16 में स्थित हैं, पर अध्ययन के लिए विचार किया गया जो उपयुक्त रूप से कृषि-मौसमीय क्षेत्रों, वर्षा वाले क्षेत्रों, मुख्य फसलों का कवरेज और देश में चरम मौसम घटनाओं का प्रतिनिधित्व करें।
- 76% पशुधन के मालिक शेड/शेल्टर के संशोधन; मौसमीय रोगों के टीकाकरण के लिए; और चारा प्रबंधन पर निर्णय लेने के लिए मौसम सूचना का प्रयोग कर रहे हैं।
- 1.07 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे (BPL) कृषीय परिवारों (किसानों और पशुधन स्वामियों को मिलाकर) को कुल वार्षिक आर्थिक लाभ रु. 13,331 करोड़ है और अगले पांच वर्षों में वृद्धिशील लाभ का आकलन किसान समुदाय के लिए लगभग रु. 48,056 करोड़ का है।

- 53 लाख गरीबी रेखा के नीचे मछुआरा परिवारों द्वारा हासिल की गई वार्षिक आय का आकलन रु. 663 करोड़ का है और मछुआरों को मिलने वाले लाभ का वर्तमान मूल्य रु. 2,391 करोड़ है जो पांच वर्षों के दरमियान है।

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) के बारे में

- इसे 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य विभिन्न समय पैमानों पर मानसून की बारिश के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट गत्यात्मक भविष्यवाणी प्रणाली का विकास करना है।
- इस मिशन के क्रियान्वयन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पूणे को दी गई है।

उद्देश्य

निम्न के लिए महासागर वायुमंडलीय मॉडल का निर्माण करना-

- मौसमी समय मापन (16 दिन से एक मौसम तक) से बड़े हुए परास पर मानसून वर्षा की सुधरी हुई भविष्यवाणी और
- लघु से मध्यम परास समय मापन (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा और चरम मौसम घटनाओं की सुधरी हुई भविष्यवाणियां।

नोट:

- संयुक्त राज्य अमेरिका की मौसम भविष्यवाणी प्रणाली (CFS) को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मूलभूत मॉडलिंग प्रणाली माना गया है, क्योंकि यह वर्तमान में उपलब्ध मॉडलों में सर्वश्रेष्ठ है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

यमुना में बढ़ते हुए अमोनिया स्तरों ने दिल्ली जल आपूर्ति को प्रभावित किया

खबर में क्यों है?

- जल आपूर्ति दिल्ली के कुछ हिस्सों में प्रभावित हुई जब यमुना नदी में अमोनिया स्तरों में वृद्धि हुई जिसकी वजह से दो जल ट्रीटमेंट संयंत्रों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।



अमोनिया (NH₃) के बारे में

- अमोनिया एक रंगविहीन गैस है और यह उर्वरकों, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाई और अन्य उत्पादों के उत्पादन में औद्योगिक रसायन के रूप में प्रयुक्त होती है।

स्रोतों

- अमोनिया कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के टूटने से पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और यह औद्योगिक अपशिष्टों अथवा सीवेज के प्रदूषकों के द्वारा भूमि और सतह के जल स्रोतों में भी जगह बना लेती है।

ग्राह सांद्रता सीमा

- पीने के जल में अमोनिया की अधिकतम ग्राह सीमा, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, 0.5 पीपीएम है।
- DJB की वर्तमान में क्षमता 0.9 पीपीएम को साफ करने की है।

प्रभाव

- यदि जल में अमोनिया की सांद्रता 1 पीपीएम से ऊपर है तो यह मछलियों के लिए विषाक्त होती है।
- मानवों में, जल का दीर्घकालिक अंतर्ग्रहण जिसमें अमोनिया स्तर 1 पीपीएम अथवा ऊपर है, आंतरिक अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है।

उपचार

- अमोनिया से प्रदूषित जल को ताजाजल के साथ मिश्रित करना।

क्लोरीनेशन

- क्लोरीनेशन क्लोरीन अथवा क्लोरीन यौगिक जैसे जल में सोडियम हाइपोक्लोराइट को मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं।
- यह विधि कुछ बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को नल के पानी में मारने के लिए प्रयोग की जाती थी। लेकिन, क्लोरीन काफी विषाक्त होती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक + पर्यावरण

स्रोत- PIB

प्रोजेक्ट लॉयन

खबर में क्यों है?

- भारतीय वन्यजीव संस्थान ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लॉयन के अंतर्गत कुनो-पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के अतिरिक्त छह नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की है।

PROJECT LION			
Head	Year I	Year II	Year III
Translocation to Barda	54.21	24.21	9.21
Monitoring of Lion	2.24	1.66	0.58
MSTRIPES Patrolling	1.48	0.32	0.12
Disease Profiling	1.22	1.15	1.15
Other exenses	0.35	0.34	0.34

* Rs in crores

SALIENT FEATURES

- Rs 99 crore project approved for lion conservation
- NTCA, Gujarat forest department and WII to implement it
- Barda to be developed as second home for lions within Gujarat
- 40-odd lions will be radio collared
- Maldharis from Barda to be relocated and will receive compensation of Rs 15 lakh each
- Vaccination of feral dogs and cattle
- Samples from feral dogs and cattle to be regularly collected to test for CDV, rabies and other diseases
- Samples from other wild animals will also be collected to monitor for diseases



भविष्य में संभावित शेर पुनर्वास के लिए छह नए स्थलों की पहचान में शामिल हैं:

- माधव राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश
- सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान
- मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान
- गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश
- कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान
- जेस्सोर-बलराम अंबाजी डब्ल्यूएलएस और लगा हुआ परिदृश्य, गुजरात

शेर पुनर्वास के कारण

- शेर पुनर्वास की बात 1995 से चल रही है, जब कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य को वैकल्पिक स्थल के रूप में पहचाना गया था।
- प्रजातियों के लिए पुनर्वास स्थल को खोजने के पीछे का कारण है क्योंकि गिर में जनसंख्या में निम्न अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, जिससे इसके महामारियों से लुप्त होने का खतरा हो सकता है।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य गुजरात के अंदर और अन्य प्रदेशों में मुक्त शेर जनसंख्या का निर्माण करना है जिससे इस समस्या का सामना किया जा सके।
- पिछले वर्ष, गिर वन से 20 से ज्यादा शेर वायरल संक्रमण जिसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस (CDV) कहते हैं, से मर गये थे।

प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में

- इस कार्यक्रम को एशियाटिक शेरों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम बची हुई वन्य जनसंख्या गुजरात के एशियाटिक लॉयन परिदृश्य में है।
- इसका उद्देश्य आवास विकास पर ध्यान देना, शेर प्रबंधन में तकनीकों को लगाना, शेरों में रोगों के मामलों को निपटाना, और यह मानव वन्यजीवन संघर्ष को भी सुलझायेगा।

एशियाई शेर के बारे में

- वे गुजरात के सौराष्ट्र जिले में गिर राष्ट्रीय पार्क और उसके आसपास के वातावरण में ही स्थित हैं।

संरक्षण दर्जा

- उन्हें IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है।
- वन्यजीवन (संरक्षण) कानून, 1972; अनुसूची-I
- शहरों में वे अनुबंध में अधिसूचित हैं।

नोट:

- पिछले वर्ष एक समर्पित "एशियाटिक शेर संरक्षण परियोजना" को केंद्रीय पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने शुरू किया था।
- MoEFCC ने 2018 से लेकर 2021 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिए परियोजना को स्वीकृति दी है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III-पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

मिंक जनसंख्या की हत्या

खबर में क्यों है?

- हाल में डेनमार्क, जहां अब तक कुल 55,000 कोविड-19 के मामले हो चुके हैं, ने 200 मानव मामलों को SARS-CoV-2 विभेदकों से संक्रमित पाया जो कि पैदा किये गए मिंक से जुड़े हैं।



मिंक जनसंख्या की हत्या के पीछे का कारण

- डेनिश सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जब से (स्टेटेंस सीरम इंस्टीट्यूट) मिंक में कोरोनावायरस के उत्परिवर्तित रूप की खोज की है, सरकार ने इस जानवर की पूरे देश में 17 मिलियन से अधिक जनसंख्या को मारने का निर्णय लिया है।
- ऐसा माना जाता है कि संक्रमित मानवों से संपर्क में आने के बाद मिंक संक्रमित हुए।
- मिंक न केवल SARS-CoV-2 के लिए भंडार के रूप में कार्य कर सकते हैं, बल्कि इसे मानवों में फैलाने में भी सक्षम हैं।

मिंक के बारे में

- वे गहरे रंग के, अर्ध जलचर, मांसाहारी स्तनपायी होता हैं जिनकी पीढ़ी नियोजन और मस्टेला होती है। यह मस्टेलीडेई परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें नेवला, ऊदबिलाव और गंधबिलाव शामिल हैं।
- दो प्रकार की प्रजातियों को मिंक के रूप में माना जाता है
 - a. अमेरिकी मिंक
 - b. यूरोपियाई मिंक

संरक्षण दर्जा

- यूरोपियाई मिंक को IUCN ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में अधिसूचित कर रखा है जिसकी वजह उनकी घटती हुई संख्या है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

जैवविविधता विरासत स्थल

खबर में क्यों है?

- कर्नाटक जैवविविधता बोर्ड ने राज्य में चार और क्षेत्रों को जैवविविधता स्थल घोषित करने का फैसला लिया है।

ये क्षेत्र हैं

- a. कोलार में अंतरागंगे बेट्टा;
- b. चिकबालापुर में आदि नारायण स्वामी बेट्टा
- c. बंगलुरु, नेलामंगला में महिमा रंगा बेट्टा

दक्षिण कन्नड़ में कुमारधारा नदी बेसिन पर उरुम्बी क्षेत्र जैवविविधता विरासत स्थल के बारे में

- जैवविविधता विरासत स्थल को अनूठा और कमजोर पारिस्थितिकीय तंत्र माना जाता है जोकि समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र, तटीय और अंतर्देशीयजलीय, अथवा भूमि क्षेत्र हो सकते हैं जो जैवविविधता में धनी हैं।



जैवविविधता विरासत स्थलों के घटक

- जंगली साथ ही पालतू प्रजातियों की प्रचुरता अथवा अंतः विशेष श्रेणियां,
- उच्च स्थानिकता
- विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति
- मूल तत्व प्रजातियां
- विकासवाद के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियां
- घरेलू/पैदा की गई प्रजातियों के जंगली पूर्वज अथवा उनकी किस्में
- जैवीय घटकों का पूर्व का महत्व जिसका जीवाश्मीय परत द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और जिसका सांस्कृतिक महत्व है
- नैतिक और सौन्दर्यात्मक मूल्य और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उनका मानव से संबंध हो या ना हो

कौन जैवविविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित करता है?

- जैविक विविधता कानून, 2002 के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत, राज्य सरकार स्थानीय निकायों के साथ बातचीत करके जैवविविधता विरासत स्थलों (BHS) के रूप में जैवविविधता महत्व के क्षेत्रों को अधिसूचित करती है।

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के बारे में

- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना केंद्र सरकार ने 2003 में भारत के जैविक विविधता कानून (2002) को क्रियान्वित करने के लिए की थी।
- यह एक वैधानिक निकाय है।

कार्य

- यह भारत सरकार के लिए सुविधा देने वाला, विनिमयन करने वाले और परामर्शदात्री कार्य करता है जो संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत प्रयोग और जैविक संसाधनों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान रूप से साझीदारी के मामलों पर राय देता है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता निरंतर रूप से 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।
- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, (SAFAR) ने लोगों को सलाह दी है कि वे सभी बाहरी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से बचें।
- इसने लोगों को किसी भी गतिविधि के स्तर को रोकने के लिए कहा है यदि वे किसी भी असामान्य खांसी, सीने में परेशानी, घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई या थकान का अनुभव करते हैं।



वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, (SAFAR)

- यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और भारत के मौसम विभाग (IMD) द्वारा चलाया जाता है।

यह प्रणाली भारत की पहला वायु गुणवत्ता शुरुआती चेतावनी प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा होगी जो दिल्ली में क्रियान्वित है और SAFAR के मौजूदा हवा गुणवत्ता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के नेटवर्क को मजबूत बनाएगा।

उद्देश्य

- 72 घंटे की अग्रिम मौसम पूर्वानुमान के साथ कलर कोडिंग के आधार पर 24x7 घंटे वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदान करना।
- नागरिकों को पहले से तैयार होने के लिए, स्वास्थ्य सलाह जारी करना।

मापदंड की निगरानी:

- प्रदूषक: PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, CO, NO_x (NO, NO₂), SO₂, BC, मीथेन (CH₄), गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन (NMHC), ब्लैक कार्बन, VOC's, बैंजीन और मरकरी।
- यह प्रणाली बैंजीन, टॉल्वीन और ज़ाइलीन की उपस्थिति पर भी निगरानी रखेगी

मौसम संबंधी मापदंड

- पराबैंगनी विकिरण, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, हवा की दिशा, सौर विकिरण।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

बैंगनी मेंढक

खबरों में क्यों है?

- बैंगनी मेंढक, पश्चिमी घाट के मेंढकों की स्थानीय प्रजाति को जल्द ही केरल के आधिकारिक उभयचर के रूप में घोषित किया जाएगा।



बैंगनी मेंढक के बारे में

- यह पश्चिमी घाट के मेंढकों की स्थानीय दुर्लभतम प्रजाति है इसे महाबली मेंढक के रूप में जाना जाता है।
- इसे अनामलाई बाघ अभ्यारण्य, पेरियार बाघ अभ्यारण्य और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान सहित संरक्षित क्षेत्रों के भीतर देखा गया है।
- इसे पिगनोज फ्रॉग के रूप में भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम नासिकबैट्राचुस सहाइन्सिस है।
- यह अपना अधिकांश जीवन भूमिगत व्यतीत करता है और केवल कुछ दिनों के लिए मानसून के समय प्रजनन के लिए बाहर आता है।

संरक्षण का स्तर

- इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में रखा गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत - द ट्रिब्यून इंडिया

ऑपरेशन थंडर-2020

खबर में क्यों?

- हाल में, भारतीय सीमा शुल्क ने ऑपरेशन थंडर-2020 के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात को जाने वाले लाल चंदन के एक 18 टन के माल को पकड़ा।

ऑपरेशन थंडर 2020

- यह थंडर ऑपरेशनों की श्रृंखला की चौथी श्रृंखला है जिसे 2017 से वार्षिक रूप से किया जा रहा है।
- आपरेशन थंडर 2020 एक महीने लंबा ऑपरेशन है जिसे इंटरपोल और विश्व उत्पाद संगठन (WCO) द्वारा समन्वित किया जाता है जो 103 देशों की प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करती हैं।
- ऑपरेशन को पर्यावरणीय अपराध के विरुद्ध चलाया गया है।
- इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में संरक्षित वन्यजीव और वानिकी वस्तुओं और उत्पादों को जब्त किया गया जिससे पूरे विश्व में गिरफ्तारियां और जांचें हुईं।

प्राथमिकता प्रजातियां

- ऑपरेशन 2020 में भाग लेने वाले देशों ने मुख्य रूप से जंगली जीवजात एवं वनस्पतिजात की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संधि के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों पर जोर दिया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-पर्यावरण

स्रोत- PIB

रोहानिक्स-एलस

खबर में क्यों है?

- हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, जिसमें भारत, इंडोनेशिया और चीन के शोधार्थी भी शामिल हैं, पुरानी दुनिया के पेड़ पर रहने वाले मेढक रहाकोफोरिडेई के नए वंश की खोज की गई है। यह अंडमान द्वीप से पेड़ पर रहने वाली मेढक प्रजातियों (स्ट्राइप्ड बबल-नेस्ट फ्रॉग) की पहली रिपोर्ट है।



रोहानिक्स-एलस के बारे में

- नए वंश 'रोहानिक्सएलस' का नामकरण श्रीलंका के वर्गीकरण वैज्ञानिक रोहन पेथियागोडा के नाम पर किया गया है।
- रोहानिक्सएलस रहाकोफोरिडेई परिवार का 20वां मान्यता प्राप्त वंश है और एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाले 422 ज्ञात पुराने पेड़ वाले मेढक की प्रजातियों में से 8 प्रजाति है।

विशेषताएं

- छोटा और पतला शरीर (2-3 सेमी. लंबा)
- शरीर के दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत रंग वाली लंबवत रेखाओं के युग्म
- ऊपरे शरीर में फैले हुए सूक्ष्म भूरे धब्बे
- वृक्ष के बबल घोंसलों में हल्के हरे रंग के अंडे देता है, और
- कई अनूठे व्यवहार वाली विशेषताएं जिसमें मातृत्व अंडे की उपस्थिति शामिल है

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

लोनर झील, सुर सरोवर रामसर स्थल घोषित

खबर में क्यों है?

- महाराष्ट्र में लोनर झील और सुर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, आगरा में है, को रामसर स्थलों की मान्यता प्राप्त सूची में जोड़ दिया गया है।
- भारत में अब 41 नमभूमियां हैं, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक हैं।



लोनर झील के बारे में

- यह झील लोनर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है।
- यह दक्कन पठार के ज्वालामुखी बेसाल्ट शैल पर स्थित है जो 35,000 से 50,000 वर्ष पूर्व उल्का पिंड के धमाके से बनी थी।
- इसका निर्माण पृथ्वी के साथ एक क्षुद्रग्रह के प्लेइस्टोसिन युग में टकराने से हुआ था।

प्लेइस्टोसिन युग

- अंडे के आकार का गड्ढा, जिसकी परिधि ऊपर से लगभग 5 मील थी, दोनों ही खारी और क्षारीय है, जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे अवायवी, साइनोबैक्टीरिया और पादप प्लवक शामिल हैं।
- इसे 1823 में एक ब्रिटिश अधिकारी सीजेई एलेक्जेंडर द्वारा एक अनूठे भौगोलिक स्थल के रूप में पहचाना गया था और 1979 में इसे राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया।

नोट:

- लोनर झील नासिक जिले में नांदुर माधमेश्वर पक्षी विहार के बाद महाराष्ट्र में दूसरा रामसर स्थल है।
- हाल में रामसर झील का जल का रंग महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में नमक में रहने वाले 'हेलोआर्चिया' सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति की वजह से गुलाबी हो गया।
- हेलोआर्चिया एक बैक्टीरिया कल्चर है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे जल में निवास करता है।

सुर सरोवर के बारे में

- इसे कीथम झील भी कहा जाता है।
- कीथम झील कीथम रेलवे स्टेशन पर रेलवे पथ से जुड़ी है और इसे उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 27 मार्च 1991 को राष्ट्रीय पक्षी विहार घोषित कर दिया गया था।
- इस झील का जल आगरा नहर से प्राप्त किया जाता है।
- इस नहर की शुरुआत दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला बैराज से होती है।

संबंधित सूचना

- हाल में, काबरताल नमभूमि (बिहार) और असन संरक्षण रिजर्व (उत्तराखंड) को रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है, जिससे वे 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की नमभूमियां' बन गई हैं।

रामसर स्थल के बारे में

- नमभूमियों पर समझौता एक अंतरसरकारी संधि है जिसे ईरानी शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 में अपनाया गया था। यह शहर कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है।

- वे नमभूमि जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की हैं, को रामसर स्थल घोषित किया जाता है।
- 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 'विश्व नमभूमि दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- समझौते का अभियान है "पूरे विश्व में सतत विकास हासिल करने की ओर योगदान के रूप में स्थानीय एवं राष्ट्रीय कार्यो और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा सभी नमभूमियो का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करना"।

सचिवालय

- रामसर समझौते का सचिवालय ग्लैड, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

समझौते के निकाय

- समझौता करने वाली पार्टियों की सरकारी एजेंसी अर्थात राष्ट्रों को देशों के 'प्रशासनिक प्राधिकरण' के रूप में जाना जाता है।
- वे रामसर परियोजनाओं के राष्ट्रीय क्रियान्वयन के समन्वय के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु की नियुक्ति करते हैं और प्रतिदिन के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रत्येक तीन वर्षों में, पार्टियों, पार्टियों के सम्मेलन (CoP) में मिलती हैं जिससे समझौते को प्रशासित किया जा सके।
- पार्टियों को जरूरी समर्थन देने के लिए पांच अंतरराष्ट्रीय सांगठनिक साझीदार (IoPs) होते हैं:
 - a. पक्षीजीवन इंटरनेशनल
 - b. प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN)
 - c. अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI)
 - d. नमभूमि इंटरनेशनल
 - e. प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष (WWF)

रामसर समझौते में शामिल होने के लाभ

- नमभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और कार्यो के विकास को प्रोत्साहन।
- यह किसी देश के लिए यह अवसर उपलब्ध कराता है जिससे उसकी बात नमभूमियों के विवेकपूर्ण प्रयोग और संरक्षण पर मुख्य मंच पर सुनी जा सके।
- नमभूमियों के लिए प्रचार और सम्मान को बढ़ाता है।
- नमभूमियों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है और नमभूमि की राष्ट्रीय एवं स्थल संबंधित समस्याओं, संरक्षण एवं प्रबंधन पर विशेषज्ञों की सलाह तक पहुँच बनाता है।
- समझौते के छोटे अनुदान कोष के द्वारा वित्तीय मदद तक पहुँच बनाता है।
- समझौते की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुप्रयोग पर सूचना और सलाह तक पहुँच बनाता है। इसमें नमभूमियों में विवेकपूर्ण संकल्पना के प्रयोग और प्रबंधक नियोजन के अनुप्रयोग पर दिशा-निर्देश शामिल हैं।

समझौते के अंतर्गत कर्तव्य

- अंतरराष्ट्रीय महत्व के नमभूमियों की सूची में शामिल होने के लिए स्थलों की संस्तुति।
- नमभूमियों के विवेकपूर्ण प्रयोग को सुनिश्चित करना।
- रिजर्वों की स्थापना करना और नमभूमि शोध, प्रबंधन और वार्डनिंग में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना।

मॉन्ट्रियू रिकार्ड के बारे में

- मॉन्ट्रियू रिकार्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों की सूची पर नमभूमि का रजिस्टर है जहां पारिस्थिकीय चरित्र में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है अथवा तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानव हस्तक्षेपों की वजह से इसके होने की संभावना है।
- इसे रामसर सूची के हिस्से के रूप में रखा जाता है।
- वर्तमान में, भारत के दो नमभूमि मॉन्ट्रियू रिकार्ड में हैं: केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य (राजस्थान) और लोकतक (मणिपुर)।
- चिलिका झील (ओडीशा) को भी रिकार्ड में डाला गया था लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था।

नोट:

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) समझौते के लिए डिपॉजिटरी 1 के रूप में कार्य करता है, लेकिन रामसर समझौता पर्यावरणीय समझौतों के लिए संयुक्त राष्ट्र और UNESCO प्रणाली का हिस्सा नहीं है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

गिद्ध कार्य योजना 2020-25

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्री ने हाल में एक गिद्ध कार्य योजना की शुरुआत की है जिससे देश में गिद्धों का संरक्षण किया जा सके।

गिद्ध संरक्षण 2020-25 के लिए कार्य योजना के बारे में

- इस कार्य योजना को पांच राज्यों में 5 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय वन्यजीवन बोर्ड (NBWL) ने स्वीकृति दी है।



- MoEFCC ने गिद्ध संरक्षण 2006 के लिए कार्य योजना को जारी किया था जिसमें समान वर्ष में DCGI ने डाइक्लोफेनिक के पशुचिकित्सा प्रयोग पर रोक लगा दी है और 2011 तक गिद्धों के जनसंख्या में गिरावट को रोकना था।

गिद्ध संरक्षण 2020-25 के लिए कार्य योजना की मुख्य बातें

- पांच राज्य हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जिनमें से प्रत्येक को गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र प्राप्त होगा।
- इस योजना ने यह सुझाव भी दिया है कि नये पशुचिकित्सा गैर-स्टेरोयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाईयों (NSAIDS) का परीक्षण भी गिद्धों में किया जाए उन्हें व्यावसायिक रूप छोड़ने के पूर्व।
- NSAIDS अक्सर पशुओं को विषाक्त कर देता जिनके शवों को ये पक्षी खाते हैं।

- नई योजना ने गिद्धों की जनसंख्या विशेष रूप से तीन जिप्स प्रजातियों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए रणनीतियों और कार्यवाहियों को जारी किया है:
 - a. ओरिएंटल व्हाइट बैकड गिद्ध (जिप्स बंगालेन्सिस)
 - b. स्लेंडर बिल्ड गिद्ध (जिप्स टेनूरोसट्रिस)
 - c. लांग बिल्ड गिद्ध (जिप्स इंडिकस)
- इन तीन गिद्ध प्रजातियों को IUCN ने 2000 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा था, जोकि संकटग्रस्तता की सबसे ऊंची श्रेणी है।
- इस कार्य को दोनों ही तरह से- एकस सिटू और इन-सिटू संरक्षण के द्वारा किया जाएगा।
- विषाक्त दवाई को हटाने के लिए: एक प्रणाली जो पशुचिकित्सा प्रयोग से किसी औषधि को स्वतः हटा देती है यदि यह गिद्ध के लिए विषाक्त पाई जाती है, जिसे भारत के औषधि महानियंत्रक की सहायता से किया जाता है।
- बचाव केंद्र: पंजोर (हरियाणा), भोपाल (मध्य प्रदेश), गुवाहाटी (असम) और हैदराबाद (तेलंगाना) में चार बचाव केंद्रों की स्थापना।
- वर्तमान में गिद्धों के उपचार के लिए कोई समर्पित बचाव केंद्र नहीं है।
- संरक्षण प्रजनन केंद्र: इनकी भी योजना पूरे देश में बनाई जा रही है गिद्ध संरक्षण केंद्रों के साथ में। इसके लिए इन केंद्रों में सैंपलों और सूचना को जंगलों से इकठ्ठा करके उनका विश्लेषण और भंडारण किया जाएगा। ये केंद्र उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित होंगे।
- गिद्ध के लिए सुरक्षा क्षेत्र: लाल सिर वाले गिद्धों और इजिप्शियन गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन और कम से कम गिद्ध के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में स्थापना के लिए जिससे उस राज्य में बची हुई जनसंख्या का संरक्षण किया जा सके।
- गिद्ध जनगणना के लिए: संपूर्ण देश में गिद्धों की समन्वित गिनती जिसमें वन विभाग, बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, शोध संस्थान, गैर लाभकारी और समाज के सदस्य शामिल होंगे।
- इससे देश में गिद्ध जनसंख्या के आकार का अत्यंत सटीक आकलन प्राप्त हो जाएगा।
- गिद्धों पर खतरे पर डाटाबेस: गिद्ध संरक्षण पर उभर रहे खतरे पर डाटाबेस जिसमें टकराना और बिजली लगना, अनजाने में दिया गया विष शामिल हैं।

संबंधित सूचना

भारत में गिद्धों के बारे में

Declining population

India has nine species of vultures, six of which are found in Assam



Vultures of the genus 'Gyps'

- Oriental white-backed (Assam, critically endangered)
- Long-billed (critically endangered)
- Slender-billed (Assam, critically endangered)
- Himalayan griffon (Assam, winter visitor from Himalayas)

- Eurasian griffon (Assam, winter visitor from Himalayas)

Single representative species

- Egyptian
- Bearded
- Cinereous (Assam)
- King (Assam, critically endangered)

दुनिया में गिद्धों की 23 प्रजातियों में से भारत में नौ पाई जाती हैं। इनमें शामिल हैं:

प्रजातियां	IUCN दर्जा
व्हाइट रम्पड गिद्ध	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
स्लेंडर बिल्ड गिद्ध	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
लांग बिल्ड गिद्ध	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
रेड हेडेड गिद्ध	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
इजिप्शियन गिद्ध	संकटग्रस्त
हिमालियन ग्रिफन	लगभग संकटग्रस्त
सिनेरिसय गिद्ध	लगभग संकटग्रस्त
बियर्डेड गिद्ध	लगभग संकटग्रस्त
ग्रिफन गिद्ध (जिप्स फ्लवस)	सबसे कम चिंता

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

ट्रिस्टान डि कुन्हा

खबर में क्यों है?

- यूनाईटेड किंगडम का विदेश में क्षेत्र ट्रिस्टान डि कुन्हा को अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूर्णतया संरक्षित समुद्री रिजर्व घोषित कर दिया गया है। यह दुनिया की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती है।
- इस घोषणा के साथ ही इस क्षेत्र का 90 प्रतिशत जल हानिकारक गतिविधियों जैसे बॉटम ट्राइलिंग मत्स्यन, बालू खनन और गहरा समुद्र खनन के लिए वर्जित स्थान हो जाएगा।



ट्रिस्टान डि कुन्हा क्या है?

- ट्रिस्टान डि कुन्हा जिसे बोलचाल की भाषा में ट्रिस्टान कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों का एक दूरस्थ समूह है।


- यह दुनिया में सबसे दूरस्थ आवासीय द्वीपसमूह है।
- इस द्वीपसमूह में गॉग और इनएक्सीसिबल द्वीप जैसे विश्व विरासत स्थल भी मौजूद हैं, जो कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पक्षी द्वीपों में से एक हैं।

द्वीप समूह के लिए इस घोषणा का क्या अर्थ है?

- यूनाईटेड किंगडम के ब्लू बेल्ट कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, यह अटलांटिक में सबसे बड़ा नो-टेक क्षेत्र बन जाएगा और इस ग्रह पर चौथा सबसे बड़ा।
- इसका अर्थ है मत्स्यन, खनन और इस तरह की कोई भी गतिविधि की यहां इजाजत नहीं होगी।



- समुद्री संरक्षण क्षेत्र (MPZ) सेवेनगिल शार्कों, येलो नोस्ट एल्बार्ट्रास और रॉकहॉपर पेंगुईनों के भविष्य को सुरक्षित रखेगा।
- MPZ में शामिल हैं- जैवविविधता संरक्षण अथवा प्रजाति संरक्षण के लिए कुछ प्राकृतिक क्षेत्रों का प्रबंधन और इन्हें क्षेत्रों को विभाजित करके निर्मित किया जाता है जिसमें उस क्षेत्र में अनुमति वाले और गैर अनुमति वाले क्षेत्र होते हैं।



विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III-पर्यावरण व भूगोल
 स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारत की पहली हरित ऊर्जा संमिलन परियोजना

खबर में क्यों है?

- हाल में इनर्जी एफिसिएंट सर्विसेज लिमिटेड (EESL), गोवा जो ऊर्जा एवं नव्य एवं पुनर्नवीकृत ऊर्जा विभाग (DNRE), के मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक संयुक्त साझेदारी है, ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जिससे राज्य में भारत की पहली संमिलन परियोजना को क्रियान्वित किया जा सके।



हरित ऊर्जा संमिलन परियोजना के बारे में

- इस पहल के अंतर्गत, EESL विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा।
- EESL इनके सहित सौर ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा
 - सरकारी भूमियों पर भूमि पर 100 मेगावाट की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना जिसका प्रयोग कृषीय पंपिंग में किया जाएगा,
 - BEE स्टार रेटेड ऊर्जा सामर्थ्य वाले पंपों से लगभग 6300 कृषीय पंपों का विस्थापन करना और
 - ग्रामीण घरेलू परिवारों को लगभग 16 लाख एलईडी बल्बों का वितरण करना।

महत्व

- यह परियोजनाएं पुनर्नवीकृत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ा देगी विशेष रूप से राज्य में कृषीय और ग्रामीण ऊर्जा उपभोग के लिए।
- यह परियोजना किसानों को दिन के समय में स्वच्छ बिजली और ऊर्जा सामर्थ्य वाले पंप सेट उपलब्ध कराएगी जो न केवल ऊर्जा उपभोग को कम करेंगे बल्कि कृषि और ग्रामीण फीडर नेटवर्कों को ऊर्जा संप्रेषण के साथ जुड़े हुए T&D हानियों को भी कम करेगा।
- यह बैटरी से प्रचालित बिजली गतिशीलता और इसकी अवसंरचना और डिजाइन बिजनेस मॉडलों को सक्षम करने का कार्य करेगी जिससे भारत में बिजली वाहनों उद्यहण बढ़ जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अवसंरचना व पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

डीमंड वन

खबर में क्यों है?

- कर्नाटक वन मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है कि जल्दी ही राज्य सरकार राज्य में 9.94 लाख हेक्टेयर डीमंड वन (लगभग 67%) में से 6.64 लाख हेक्टेयर को गैरवर्गीकृत कर देगी और इसे राजस्व प्राधिकरणों को सौंप देगी।

क्या होते हैं डीम्ड वन?

- डीम्ड वनों की संकल्पना 1980 के वन संरक्षण कानून सहित किसी भी कानून में स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने टी एन गोदावर्मन थिरुमलपाद (1966) के मामले में कानून के अंतर्गत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया था।



- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसमें 'डीम्ड वनों' की पहचान 'ऐसी भूमि के रूप में की थी जिसमें स्वामित्व को नजरअंदाज करते हुए वनों की विशेषताएं हों'।
- शब्द 'वन' को उसके शब्दकोष के अर्थ के अनुसार ही समझने की जरूरत है।
- यह विवरण सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों को अपने में शामिल करता है, चाहे वे आरक्षित, संरक्षित अथवा वन संरक्षण कानून के अनुच्छेद 2(1) के उद्देश्य के लिए हों, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 12 दिसंबर, 1996 के आदेश में कहा था।
- अनुच्छेद 2 में आने वाली शब्दावली 'वन भूमि' में न केवल शब्दकोष के मायने में समझे जाने वाले वन को शामिल किया जाता है, बल्कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जोकि स्वामित्व को नजरअंदाज करते हुए सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में है।
- वनों के संरक्षण और उसके साथ जुड़े हुए मामले के लिए वन संरक्षण कानून 1980 में बनाए गए प्रावधान स्पष्टता से सभी वनों पर लागू होने चाहिए जिसपर स्वामित्व अथवा वर्गीकरण का कोई असर नहीं है।

कर्नाटक सरकार क्यों 6.64 लाख हेक्टेयर डीम्ड वनों को जारी करना चाहती है?

- 2014 में सरकार ने वनों के श्रेणीकरण के पुनरावलोकन का फैसला लिया।
- तब सरकार ने कहा कि कुछ वैधानिक वनों को गलती से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा डीम्ड वनों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।
- सरकार ने यह भी कहा कि जहां वनों के शब्दकोष परिभाषा का प्रयोग डीम्ड वनों के रूप में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए किया गया था, एक सुपरिभाषित वैज्ञानिक, सत्यापित करने वाले मानदंड का प्रयोग नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप डीम्ड वनों के रूप में क्षेत्रों का व्यक्तिनिष्ठ वर्गीकरण हो गया।
- व्यक्तिनिष्ठ वर्गीकरण की वजह से वन विभाग और अन्य विभागों जैसे राजस्व, सिंचाई, सार्वजनिक कार्य और ऊर्जा के बीच में संघर्ष हो गया, सरकार का तर्क था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

नई हरित औद्योगिक क्रांति के लिए 2030 से UK डीजल, पेट्रोल कारों पर रोक लगाएगा

खबर में क्यों है?

- यूनाईटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल में देश के लिए नई हरित औद्योगिक क्रांति के लिए योजनाओं का अनावरण किया है, जिसमें 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर रोक शामिल है।
- 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों एवं वैन की बिक्री पर प्रतिबंध, जिसके बाद 2035 में हाइब्रिड कारें आएंगी, 2040 की पूर्व की समयसीमा को पहले ला रही है।



महत्व

- यह रणनीति बिजली के वाहनों को बेहतर रूप से समर्थन देने के लिए UK की राष्ट्रीय अवसंरचना को रूपांतरित करने पर जोर देगी।
- इस कदम से UK जी7 देशों में पहला देश बनने की अग्रसर होगा जहां सड़क परिवहन का डिकार्बनीकरण होगा।

संबंधित सूचना

- यूनाईटेड किंगडम विश्व की प्रथम प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने 2050 तक वैश्विक उष्णता में अपने योगदान को समाप्त करने के लिए कानून को पारित किया है।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए UK को 2050 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों को निवल शून्य करना होगा, जबकि पहले उसने 1990 के स्तर से कम से कम 80% कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

नोट: UK दिसंबर 12 को मौसम महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का सह-आतिथ्य करने जा रहा है जबकि 2021 में UN COP26 मौसम शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।

- सितंबर 2020 में, चीन ने 2030 के पहले उच्चतम सीमा तक उत्सर्जन के पहुँचने का उद्देश्य निर्धारित किया और कार्बन तटस्थता का लक्ष्य 2060 तक निर्धारित किया।
- चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक है, वह वैश्विक उत्सर्जनों के लगभग 28% के लिए जिम्मेदार है।

कार्बन तटस्थता के बारे में

- इसका आशय निवल शून्य कार्बन उत्सर्जनों को हासिल करना है जिसका अर्थ है छोड़ी गई कार्बन की मात्रा के मापन की समान मात्रा को बराबर करके अथवा पर्याप्त कार्बन क्रेडिटों की खरीद करना जिससे अंतर को पाटा जा सके।

संबंधित सूचना

पेरिस समझौते के बारे में

- इसे पार्टियों का सम्मेलन 21 अथवा COP 21 भी कहा जाता है जोकि एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे मौसम परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए 2015 में अपनाया गया था।
- इसने क्योटो प्रोटोकाल को विस्थापित किया जो मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए पूर्व में किया गया समझौता था।

उद्देश्य

- एक प्रयास में वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जनों को कम करना जिससे इस शताब्दी में वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिकीकरण पूर्व स्तरों के ऊपर से 2⁰C तक नीचे रखा जा सके। जबकि इस तरह के प्रयास किये जाए जिससे 2100 तक यह वृद्धि 1.5⁰C तक सीमित रहे। इसमें शामिल है:
- मौसम प्रभावों जैसे चरम मौसम की वजह से प्रभावित देशों को होने वाली वाली वित्तीय हानियों को सुलझाना।
- विकासशील देशों को मौसम परिवर्तन से तदात्म्य बैठाने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए धन की मदद देना।
- समझौते का यह भाग विकसित देशों पर बिना कानूनी बाध्यता के लागू किया गया है।
- सम्मेलन के आरंभ होने के पूर्व, 180 से ज्यादा देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जनों की कटौती के वादे को सौंपा (इंटेडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अथवा INDCs)

उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

- पेरिस समझौते के अनुसार सभी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) और आने वाले वर्षों में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।
- इसमें शामिल है कि सभी पार्टियां अपने उत्सर्जनों और क्रियान्वयन प्रयासों को नियमित तौर पर बतायें।
- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- भारत ने एक बार फिर से उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है जिससे समझौते के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल किया जा सके जिससे मौसम परिवर्तन से निपटा जा सके।

भारत के INDC को मूल रूप से 2030 तक हासिल करना है

- भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 33-35% तक 2030 तक कम करने का वादा किया है। यह कटौती 2005 के स्तर के सापेक्ष हासिल करनी है।
- देश 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से नवीकृत जैसे पवन और सौर ऊर्जा) से अपनी 40% संचयी बिजली ऊर्जा संस्थापित क्षमता को हासिल करेगी। इसके लिए तकनीक के हस्तांतरण और निम्न लागत अंतरराष्ट्रीय वित्त जिसमें हरित मौसम कोष शामिल है, की सहायता ली जाएगी।
- भारत ने एक अतिरिक्त कार्बन सिंक (वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड के अवशोषण का माध्यम) जो 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड के समतुल्य होगा, का भी वादा किया है। इसे अतिरिक्त वनों और वृक्ष आच्छादन के द्वारा हासिल किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

रोरीडोमाइसेज फाइलोस्टेचाइडिस

खबर में क्यों है?

- हाल में रोरीडोमाइसेज फाइलोस्टेचाइडिस- मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज मेघालय के वनों में की गई है, यह चमकीली हरे रंग की है।



रोरीडोमाइसेज फाइलोस्टेचाइडिस के बारे में

- नई प्रजाति- जिसका नाम रोरीडोमाइसेज फाइलोस्टेचाइडिस है- को पहली बार अगस्त की गीली रात में देखा गया था। इसे पहले पूर्व खासी हिल्स में मेघालय के मावलिनाँग में एक धारा के पास और बाद में पश्चिमी जैन्तिया हिल्स जिला में क्रांग शुरी के पास देखा गया।
- अब यह दुनिया में जैव संदीप्ति वाली फंफूदों की 97 ज्ञात प्रजातियों में से एक है।

महत्व

- नई प्रजाति का महत्व है क्योंकि यह भारत में पाया जाने वाला रोरीडोमाइसेज वंश का प्रथम मशरूम है।
- लेकिन, इसका अनूठापन इस बात में है कि यह अपने वंश का एकमात्र सदस्य है जिसके डंठल से प्रकाश निकलता है।



संबंधित सूचना

जैव संदीप्ति वाली फंफूद

- जैव संदीप्ति जीवों का एक गुण है जिससे वे प्रकाश का उत्पादन व स्फुरण करते हैं।
- पशु, पौधे, फंफूद और बैक्टीरिया जैव संदीप्ति को दर्शाते हैं।

- जैव संदीप्ति वाले जीव महासागर के पर्यावरण में मूलतः पाये जाते हैं, लेकिन वे भूमि के पर्यावरण में भी पाए जाते हैं।
- फंफूद के मामले में, जैव संदीप्ति एंजाइम, लूसीफेरस से आती है।

तंत्र

- हरा प्रकाश उस समय प्रस्फुटित होता है जब लूसीफेरस को एंजाइम लूसीफेरस के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहती है।
- रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान, कई अस्थिर मध्यवर्ती उत्पाद अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में निकलते हैं जो उन्हें प्रकाश के रूप में प्रकाशित करते हैं।

लाभ

- जैव संदीप्ति कीड़ों को आकर्षित करती है, जो बीजाणुओं के फैलने में सहायक होता है।
- यह जीवों के लिए ऐसा तंत्र हो सकता है जो फल खाने वाले जानवरों से अपने को सुरक्षित रखता है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक व पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

विदेशी पक्षियों और जानवरों पर आम माफी की योजना

खबर में क्यों है?

- हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि केंद्र की आम माफी योजना के अंतर्गत जून और दिसंबर के मध्य विदेशी वन्यजीव प्रजातियों के अधिग्रहण अथवा रखने की घोषणा पर किसी को दोषी नहीं सिद्ध किया जा सकता है।



विदेशी पक्षियों और जानवरों पर आम माफी योजना के बारे में

- सरकार की माफी योजना का उद्देश्य भारत में विदेशी जीवित प्रजातियों की सूची को विकसित करने का है, साथ ही उनके आयात को विनियमित करना और आयातित विदेशी जीवित प्रजातियों के भंडार को बनाए रखना है।
- इसका उद्देश्य भंडार के वैधानिक रिकॉर्ड, किसी मृत्यु की वजह से भंडार में परिवर्तन, भारत के अंदर हस्तांतरण और अन्य भंडार के अधिग्रहण की देखभाल करना भी है।
- विदेशी प्रजातियों की घोषणा किसी डर की वजह से नहीं होना चाहिए, जैसे कि जब्ती, बुलावा, बरामदगी, घरेलू परिग्रह में घोषित विदेशी प्रजातियों जैसे के संबंध में पूछताछ, ना ही सीमाशुल्क कानून, 1962 अथवा किसी अन्य कानून के तहत होनी चाहिए।

अन्य संबंधित योजना

स्वैच्छिक खुलासा योजना

- केंद्र सरकार, पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय वन्यजीव विभाग के द्वारा, ने “स्वैच्छिक खुलासा योजना” को लागू किया है जो कि व्यापक जनता के हित में है। इसके लिए छह महीनों के सीमित समय के लिए प्रतिरक्षा दी गई है जिससे सभी संबंधित लोगों से स्वैच्छिक खुलासा घोषणा को आमंत्रित व प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजना व्यापक जनता के हित में सभी विभागों द्वारा प्रोत्साहित की जाएगी।
- स्वैच्छिक खुलासा योजना का उद्देश्य भारत में विदेशी जीवित प्रजातियों के परिग्रह और आयात की प्रक्रिया को सुचारु बनाना है। इसके लिए राज्य एवं केंद्र स्तर पर पंजीकरण और डेटाबेस का निर्माण किया जाएगा।

विदेशी पक्षियों एवं जानवरों पर आम माफी योजना की जरूरत

- सरकार ने इसलिए आम माफी योजना की शुरुआत की है कि वह विदेशी प्रजातियों के परिग्रह और व्यापार को विनियमित करना चाहती है, जिसे वन्यजीव संरक्षण कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

[Re-Invest 2020](#)

खबर में क्यों है?

- प्रधानमंत्री वरुंधरा तीसरी वैश्विक पुनर्नवीकृत ऊर्जा निवेश बैठक और Expo (RE-Invest 2020) का 26 नवंबर 2020 को उद्घाटन करेंगे।
- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नव्य और पुनर्नवीकृत ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और यह 26-28 नवंबर 2020 में आयोजित की जाएगी।



- RE-Invest 2020 की थीम है ‘सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार’।
- RE-INVEST 2020 में शामिल हैं दो दिन के वरुंधरा सम्मेलन जो पुनर्नवीकृत और भविष्य के ऊर्जा विकल्पों पर होगी और विनिर्माणकर्ताओं, विकासकर्ताओं, निवेशकों और नवाचारों की एक प्रदर्शनी जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
- इसका उद्देश्य 2015 और 2018 में हुए पहले दो संस्करणों की सफलता को आगे बढ़ाना है और पुनर्नवीकृत ऊर्जा में निवेश प्रोत्साहन के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच को उपलब्ध कराना है।

संबंधित सूचना

पेरिस समझौते के बारे में

- इसे पार्टियों का सम्मेलन 21 अथवा COP 21 भी कहा जाता है जोकि एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे 2015 में अपनाया गया था जिससे मौसम परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटे जा सके।
- इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया जोकि मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए पूर्व का एक समझौता था।

उद्देश्य

- पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर इस शताब्दी में वैश्विक तापमान बढ़ोतरी को 2°C के नीचे रखना जिससे वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जनों को कम करने के प्रयासों को सफल बनाया जा सके। इसी के साथ ऐसे उपाय करना जिससे 2100 तक 1.5°C की ही बढ़ोतरी हो।
- चरम मौसम जैसे मौसम प्रभावों से कमजोर देशों द्वारा झेले जा रहे वित्तीय हानियों से निपटना।
- मौसम परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण से तदात्म्य बैठाने के लिए विकासशील देशों को धन इकट्ठा करने में मदद देना।
- समझौते का यह भाग विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं किया गया है।
- सम्मेलन के शुरू होने के पूर्व, 180 से ज्यादा देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जनों को कम करने संबंधी वायदे को सौंपा था (उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान अथवा INDCs)।

उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

- पेरिस समझौता सभी पक्षों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास को दें और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को मजबूत करें।
- इसमें शामिल है जरूरतें कि सभी पक्ष अपने उत्सर्जनों और उनके क्रियान्वयन प्रयासों पर नियमित रूप से रिपोर्ट दें।
- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- भारत ने एक बार फिर से अपने उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है जिससे मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए समझौते के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

भारत के INDC को मूल रूप से 2030 तक हासिल कर लिया जाएगा

- भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के 33-35% तक 'उत्सर्जन तीव्रता' को घटाने का वायदा किया है।
- वह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से पुनर्नवीकृत जैसे पवन और सौर ऊर्जा) से 40% संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता के आसपास हासिल कर लेगा। यह कार्य तकनीक के हस्तांतरण और निम्न लागत वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त के द्वारा हासिल होगा जिसमें हरित मौसम कोष भी शामिल है।
- भारत ने अतिरिक्त कार्बन सिंक (वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने का माध्यम) जिसकी क्षमता 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाईऑक्साइड समतुल्य है, का भी वायदा किया है जिसे वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन से हासिल किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

विलवणीकरण संयंत्र

खबर में क्यों है?

- हाल में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुंबई में एक विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना की घोषणा की, इस तरह से यह इस विचार का परीक्षण करने वाला चौथा राज्य बन गया।

विलवणीकरण संयंत्र क्या हैं?

- एक विलवणीकरण संयंत्र लवण जल को जल में परिवर्तित कर देता है जोकि पीने योग्य होता है।
- इस प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली सबसे मुफीद तकनीक विपरीत परासरण है जहां उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र में विलायकों को डालने के लिए बाहरी दबाव लगाया जाता है जिसके लिए एक झिल्ली का प्रयोग किया जाता है।
- झिल्ली में सूक्ष्मदर्शीय छेद जल अणुओं को तो निकलने की अनुमति देते हैं लेकिन लवण और अधिकांश अन्य अशुद्धियों को पीछे छोड़ देते हैं जिससे दूसरी तरफ से स्वच्छ जल निकलता है।



ये संयंत्र अधिकांशतः उन क्षेत्रों में लगाये जाते हैं जहां समुद्री जल की पहुँच होती है। भारत में यह तकनीक कितनी ज्यादा प्रयोग की जाती है?

- विलवणीकरण मुख्य रूप से मध्य पूर्व के धनी देशों तक ही सीमित है और हाल में इसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होना शुरू हुआ है।
- भारत में, तमिलनाडु इस प्रणाली के प्रयोग में अग्रणी है, जहां 2010 और 2013 में चेन्नई में दो विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना की गई है।
- दोनों संयंत्रों में से प्रत्येक चेन्नई को 100 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन आपूर्ति करता है।
- अन्य राज्य जिसने इस संयंत्र का प्रस्ताव दिया है वह है गुजरात, जिसने जामनगर जिले में जोड़िया तट पर 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन के संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है।
- द्वारिका, कच्छ, दाहेज, सोमनाथ, भावनगर और पीपावाव में भी विलवणीकरण संयंत्र लगाने के प्रस्ताव हैं जो सभी गुजरात में तटीय क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश की भी संयंत्र लगाने की योजना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III-पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

बाघ की जनसंख्या दुगुनी करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को वैश्विक पुरस्कार

खबर में क्यों है?

- पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 10 वर्षों के लक्ष्य की तुलना में मात्र 4 वर्षों में बाघों की जनसंख्या को दुगुना करने के लिए हासिल किया है।
- चार वर्षों के छोटे वक्त में 40 बाघों की वृद्धि को TX2 पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) के बारे में

- यह उत्तर प्रदेश में स्थित है जो ऊपरी गांगेय मैदान जैवभौगोलिक प्रांत में तराई चाप परिदृश्य का हिस्सा है।
- इसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
- रिजर्व का उत्तरी कोना भारत-नेपाल सीमा के साथ पड़ता है जबकि इसकी दक्षिणी सीमा शारदा और खाकरा नदियां हैं।
- पीलीभीत टाइगर रिजर्व 13 टाइगर रेंज देशों के मध्य में पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम है।



भारतीय और बाघ परिदृश्य

- भारत की बाघ परियोजना को 9 बाघ रिजर्व के साथ 1973 में शुरू किया गया था।
- 2018-19 की राष्ट्रीय बाघ स्थिति आकलन के अनुसार भारत की कुल बाघ जनसंख्या 2,967 है- यह 2014 (2,226) की जनसंख्या से 33% ज्यादा है।
- 2018 की जनगणना (प्रत्येक चार वर्ष में एक बार) ने सबसे बड़ी कैमरा ट्रैप वन्यजीवन सर्वेक्षण के लिए गिनीज रिकॉर्ड कायम किया है।
- दुनिया में 724 बाघों की सबसे बड़ी सन्निहित बाघ जनसंख्या पश्चिमी घाट (नागरहोल-बांदीपुर-वायनाड-मुदुमलाई-सथ्यमंगलम-बिलीगिरी रंगनाथस्वामी मंदिर ब्लॉक) में पाई गई है।

क्षेत्रीय परिदृश्य

- मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ 526 हैं जिसके बाद कर्नाटक (524) और उत्तराखंड (442) का स्थान है।
- उत्तरपूर्व में जनसंख्या में कमी आई है।

वे राज्य जहां बाघों की जनसंख्या घटी है

- छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडीशा राज्यों में बाघों की जनसंख्या में लगातार गिरावट आई है, जोकि चिंता का विषय है।
- देश में 50 बाघ रिजर्वों में से, तीन रिजर्व- मिजोरम के डांपा रिजर्व, बंगाल के बक्सा रिजर्व और झारखंड के पलामू रिजर्व- में कोई बाघ नहीं बचा है।
- कार्बेट बाघ रिजर्व (उत्तराखंड) में बाघों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, 2018 में लगभग 231।

TX2 कार्यक्रम के बारे में

- यह प्रकृति के विश्वव्यापी कोष (WWF) की एक पहल है जिसे 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी 13 बाघ रेंज सरकारों ने 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दुगुना करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- ये 13 बाघ रेंज देश हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम।

विश्वव्यापी कोष

- यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में धरती के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षय को रोकने के लिए की गई थी। साथ ही ऐसे भविष्य का निर्माण भी इसका उद्देश्य है जिसमें मानव प्रकृति के साथ साहचर्य के साथ रहे।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मौसम परिवर्तन ज्ञान पोर्टल

खबर में क्यों है?

- पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्री ने हाल में मौसम परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की है।

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

CLIMATE CHANGE KNOWLEDGE PORTAL

HOME | ABOUT US | KNOWLEDGE RESOURCES | DIRECTORY | CONTACT US

Knowledge Resources

- India's Climate Profile**
GHG, Emission Profile, Per Capita Emission, Impacts, Vulnerable Sectors
- National Policy Framework**
NAPOC, PMOCC, ECCC, SAPCC, National Missions
- India's NDC**
Emission Intensity, Carbon Sinks, Ambition, Fairness
- International Climate Negotiations**
UNFCCC, COP, Paris Agreement, Kyoto Protocol, Equity, CBDR-RC, Justice
- Mitigation Actions**
Installed capacity, Energy Efficiency, Clean Energy, UJWALA, Renewable, CDM...
- Adaptation Actions**
Adaptive Resilience, NAFCC, Agriculture, Watershed, Namami Gange, Organic...
- Bilateral and Multilateral Cooperation**
Adaptation Fund (AF), Green Climate Fund (GCF), MoUs, Joint Action Plan, Global...
- Knowledge Repository**
Scientific Research Papers, National and International Publications, Recent...

भारत मौसम परिवर्तन ज्ञान पोर्टल के बारे में

उद्देश्य

- पोर्टल में वे सभी प्रमुख कदम होंगे जिन्हें सरकार मौसम परिवर्तन मुद्दों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर उठाने जा रही है।

लाभ

- यह पोर्टल क्षेत्रवार अनुकूलन और शमन कार्यवाहियों को दर्ज करता है जिन्हें विभिन्न मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह सभी एक जगह प्राप्त होगा जिसमें उनके क्रियान्वयन पर अद्यतन सूचना भी शामिल है।
- यह ज्ञान पोर्टल मौसम परिवर्तन मुद्दों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में नागरिकों के मध्य ज्ञान के प्रसार में मदद देगा।

घटक

ज्ञान पोर्टल में शामिल आठ प्रमुख घटक हैं:

- a. भारत की मौसम रूपरेखा
- b. राष्ट्रीय नीति ढांचा
- c. भारत के NDC लक्ष्य
- d. अनुकूलन कार्यवाहियां

- e. शमन कार्यवाहियों
- f. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग
- g. अंतरराष्ट्रीय मौसम बातचीत
- h. रिपोर्ट एवं प्रकाशन

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण
स्रोत- द हिंदू

भूगोल सम्बन्धी मुद्दे

सुपर टाइफून गोनी फिलीपींस से टकराया

खबर में क्यों है?

- हाल में सुपर टाइफून गोनी फिलीपींस से टकराया। वह अधिकारियों ने क्षेत्र में प्रलयकारी स्थितियों की चेतावनी दी जहां इसके सबसे ज्यादा प्रभावित करने की संभावना है। यहां से लगभग 1 मिलियन लोगों को निकाल लिया गया है।

संबंधित सूचना

- गोनी- जोकि सुपर टाइफून में बदल गया जब वह फिलीपींस के निकट आ गया- यह प्राकृतिक आपदाग्रस्त द्वीपसमूह के समान क्षेत्र में टाइफून मोलावे के एक सप्ताह के बाद आया है।

टाइफून के बारे में

- टाइफून एक प्रकार के तूफान हैं।
- यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात (बादलों और आंधी तूफान के घूर्णन की प्रणाली जोकि उष्णकटिबंधीय अथवा उप-उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर जन्मते हैं) के क्षेत्रीय विशेष नाम हैं।



- ये तूफान जोकि इस पर निर्भर कि कहां पैदा हुए, को हरीकेन, टाइफून अथवा चक्रवात कहा जाता है।
 - टाइफून: चीन सागर और प्रशांत महासागर में।
 - हरीकेन: कैरेबियाई सागर में वेस्ट इंडीज द्वीपों में और अटलांटिक महासागर में।
 - टोरनेडो: पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के गिनी में।
 - विली-विलीज: उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
 - उष्णकटिबंधीय चक्रवात: हिंद महासागर क्षेत्र में।


हरीकेन को कैसे श्रेणीबद्ध किया जाता है?

- हरीकेनों को उनकी अधिकतम सतत पवनों की गति के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है।
- इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्केल को सफ़िफर-सिम्पसन हरीकेन विंड स्केल कहा जाता है, जिसे सिविल इंजीनियर हर्बर्ट सफ़िफर द्वारा 1971 में विकसित किया गया था।
- सफ़िफर-सिम्पसन स्केल हरीकेन की तीव्रता को 1 (काफी खतरनाक) से 5 (प्रलयकारी), में रेट करता है, जोकि निम्नलिखित पवन गतियों पर आधारित है:
 - श्रेणी 1: 74-95 मील प्रतिघंटा की पवन (119-153 किमी/घंटा)
 - श्रेणी 2 : 96-110 मील प्रतिघंटा की पवन (154-177 किमी/घंटा)
 - श्रेणी 3: 111-129 मील प्रतिघंटा की पवन (178-208 किमी/घंटा)
 - श्रेणी 4: 130-156 मील प्रतिघंटा की पवन (209-251 किमी/घंटा)

- श्रेणी 5: 157 मील प्रतिघंटा से अधिक की पवन (252 किमी/घंटा)
- हरीकेन जो श्रेणी 3 या उससे ऊपर पहुँचते हैं को बड़े हरीकेन माना जाता है क्योंकि वे जनधन को भारी हानि पहुँचाते हैं।
- इस तरह से टाइफून जिनकी पवन गति 150 मील प्रतिघंटे (241 किमी/घंटे) से अधिक होती है, को 'सुपर टाइफून' कहा जाता है।

हरीकेन का निर्माण

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात अथवा हरीकेन गर्म, नम वायु को ईंधन की तरह से प्रयोग करते हैं जिससे इनका निर्माण विषुवत रेखा के पास गर्म महासागरीय जल में होता है।
- जैसा कि NASA इनका विवरण देती है जब गर्म, नम हवा महासागर की सतह से ऊपर उठती है तो यह नीचे निम्न हवा दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसका दबाव ज्यादा होता है, यह इस स्थान पर दाखिल होती है, अंततः गर्म और नम होने पर यह भी ऊपर उठती है।
- गर्म और नम हवा लगातार बढ़ती रहती है, चारों ओर की हवा लगातार निम्न वायु दाब के क्षेत्र में दाखिल होती रहती है।



- जब गर्म हवा उठती है और ठंडी हो जाती है, तो वायु में जल से बादलों का निर्माण होता है और बादलों और पवनों की इस प्रणाली में लगातार वृद्धि और चक्रण होता है, जोकि महासागर की ऊष्मा और जल से ईंधन ग्रहण करता है जो इसकी सतह से वाष्पीकृत हो जाता है।

नोट: हाल में, कोरियाई प्रायद्वीप और जापान में मेसाक और हैशेन नामक दो टाइफून आए।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

चीन का जिंगटांग बंदरगाह

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलियाई कोयले से लदे हुए एक फंसे भारतीय व्यापारी जहाज को COVID-19 नियमों का हवाला देकर प्रस्थान करने से इनकार कर दिया है।
- जग आनंद नाम का जहाज इस साल जून से चीन के हेबेई प्रांत में तांगशान के पास चीनी बंदरगाह पर द्वीपसमूह पर इंतजार कर रहा है।



जिंगटांग बंदरगाह के बारे में

- जिंगटांग बंदरगाह एक कृत्रिम गहरे पानी वाला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है जो उत्तरी चीन में हेबै के तट पर तांगशान नगर पालिका में स्थित है।
- जिंगटांग बंदरगाह टियांजिन के बंदरगाह के पास बोहाई खाड़ी (बोहाई समुद्र) में स्थित है।
- यह तांगशान बंदरगाह परिसर का हिस्सा है, जिसमें जिंगतांग, कोफेडियन और फेंगनान बंदरगाह शामिल हैं।
- यह चीन का 9 वां सबसे बड़ा बंदरगाह है।
- जिंगटांग बंदरगाह को अलग माना जाता है लेकिन सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए कोफेडियन और फेंगनान के साथ-साथ तांगशान बंदरगाह के रूप में माना जाता है।
- तांगशान बंदरगाह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बंदरगाहों में से एक है और इसे चीन के दस सबसे बड़े बंदरगाहों में गिना जाता है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

हिमनद झील की प्रकोपी बाढ़ (GLOF)

खबरों में क्यों है?

- जर्मनी के खोजकर्ताओं ने रिमोट सेंसिंग आंकड़ों का प्रयोग करके ग्या बर्फीली झील के उद्भव का मानचित्रण किया है और बाढ़ के कारणों का पता लगाया है।



बर्फीली झील की प्रकोपी बाढ़ (GLOF) के बारे में

- हिमानी झील की प्रकोपी बाढ़ (GLOF) बांध के टूटने के कारण मोरेन या बर्फीले बांध की हिमानी झील से पिघले हुए जल का बहाव है।
- GLOF में अक्सर प्रमुख भू-आकृति और सामाजिक आर्थिक प्रभावों के साथ भयावह बाढ़ आती है।

GLOFs की तीन मुख्य विशेषताएं हैं:

- वे अचानक (और कभी-कभी चक्रीय) रूप से पानी का निकास करते हैं।
- यह घटना तेजी से घटती है और कई घंटों से दिनों तक चलती है।
- वे बड़े बहाव वाली नदी जल में बदलते हैं (जो अक्सर तीव्रता के एक क्रम से बढ़ते हैं)।
- हिंदू कुश हिमालय में, मोरेन-बांध हिमनदों झीलें आम हैं और मोरेन बांधों के टूटने के पीछे कई GLOF घटनाओं को वजह माना गया है।
- एक मोरेन-बांध झील का निर्माण पीछे लौटे हुए हिमनद के रूप में बनता है, और पिघला हुआ जल पूर्व हिमनद मोरेन (ग्लेशियर के सामने) और पीछे हटने वाले हिमनद के बीच की जगह को भर देता है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - भूगोल

स्रोत- द हिंदू

कछाल द्वीप

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय तट रक्षक बल (ICG) ने एक ईंधन टैंकर को सुरक्षित जल में वापस भेज दिया जोकि खतरनाक तरीके से बिजली फेल होने की वजह से निकोबार में प्राचीन कछाल द्वीप की तरफ आ रहा था।



कछाल द्वीप के बारे में

- कछाल निकोबार द्वीप, भारत में स्थित है जिसे पूर्व में तिहान्यू कहा जाता था।
- कछाल में निकोबारी आदिवासियों और तमिलवासियों का निवास है (1964 के बंदारनायके संधि के अंतर्गत रबड़ बागान कामगारों के लिए)।

- दूरस्थ स्थान और बाहरी दुनिया से संपर्क के अभाव की वजह से, बाहरी लोगों ने लंबे समय तक मासूम द्वीपवासियों का आर्थिक रूप से शोषण किया है।
- उनके आर्थिक शोषण को रोकने के लिए, भारत सरकार ने 2 अप्रैल 1957 को निकोबार द्वीप को मूल निवासी आदिवासी आरक्षित क्षेत्र (ATRA) घोषित कर दिया था।
- इस वजह से निकोबार द्वीपसमूह बाहरी लोगों के लिए वर्जित हो गया और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को भी द्वीप में जाने के लिए विशेष आदिवासी पास की जरूरत होती है।
- केवल सरकारी सेवक (बाहरी) जो कछाल द्वीप में तैनात हैं, को ही द्वीप में रुकने की इजाजत है।

ऐतिहासिक महत्व

- हाल के इतिहास के अनुसार, 1059 ई. का पुरातात्विक शिलालेख कहता है निकोबार तंजौर के तमिल चोल राजा के विदेशी राज्य का हिस्सा था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

शीत लहर

खबर में क्यों है?

- दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्र आने वाले दिनों में लगभग शीत लहर के लिए तैयार हो रहे हैं।



शीत लहर क्या है?

- शीत लहर उस समय घोषित की जाती है जब रात के समय अथवा न्यूनतम तापमान में जबर्दस्त गिरावट आती है।

शीत लहर के मानदंड

- भारतीय मौसम विभाग का मैदानों में शीत लहर का मानदंड यह है कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री अथवा कम होना चाहिए और सामान्य न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री अथवा दो लगातार दिनों तक होना चाहिए।

तापमान में गिरावट किस वजह से हो रही है?

- सबसे प्रमुख कारणों में से एक है दिल्ली के उत्तर में उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। जब इन क्षेत्रों से शीत लहर चलती है तो प्रत्येक सर्दी में उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान नीचे लुढ़क जाता है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है।
- ला नीना भी इस सामान्य से नीचे तापमान गिरने के लिए जिम्मेदार है।

नोट:

- ला नीना से आशय केंद्रीय और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में महासागर तल तापमानों में बड़े पैमाने पर शीतलन होने से है। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय चक्रण में भी परिवर्तन होता है, जिसे पवन, दवाब और वर्षा कहते हैं, यह विश्व मौसम संगठन के अनुसार है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

चीन अपने ब्रह्मपुत्र नदी के भाग में सुपर बांध का निर्माण करेगा

खबर में क्यों है?

- चीन, तिब्बत में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास यारलंग जांगबो नदी के निम्न समतल भागों पर सुपर बांध का निर्माण करेगा, ये एक ऐसा कदम है जिसका उत्तरपूर्व भारत की जल सुरक्षा पर दीर्घावधि प्रभाव पड़ सकता है।
- नये बांध की पनबिजली बनाने की क्षमता केंद्रीय चीन के श्री गोर्जेस बांध से तीन गुना हो सकती है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा संस्थापित पनबिजली क्षमता है।



महत्व

- यह परियोजना 2030 के पूर्व कार्बन उत्सर्जन के शिखर पर पहुँचने और 2060 तक कार्बन तटस्थता के चीन के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

यारलंग जांगबो नदी

- इसे यारलंग त्सांगपो अथवा यालो जांगबू भी कहा जाता है।
- यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) से निकलती है, अंतर सीमापारीय यारलंग जांगबो अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है जहाँ इसे सियांग कहा जाता है और फिर बांग्लादेश में प्रवाहित होने के पूर्व असम में जाती है जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
- यह तिब्बत की सबसे बड़ी नदी है।

संबंधित सूचना

भारत और चीन के बीच में जल आंकड़े साझा करने का समझौता है।

- 2017 में, सिक्किम सीमा के पास डोकलाम में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में 73 दिन तक चले गतिरोध के बाद चीन ने भारत के साथ आंकड़ों को साझा करना बंद कर दिया। यहाँ चीनी सैन्य बल की भारत के चिकेन नेक गलियारे में, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों को जोड़ता है, के पास एक सड़क बनाने की योजना है।
- 2018 में, एक सहमतिपत्र पर चीन के जल संसाधन मंत्रालय और भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षर किये गए थे जिसमें चीन द्वारा भारत को बाढ़ के मौसम के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी की जलविज्ञान संबंधी सूचना देने की बात कही गई थी।
- समझौता चीन को सक्षम बनाता है कि वह प्रत्येक वर्ष मई 15 से अक्टूबर 15 के दौरान बाढ़ के मौसम में जल विज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए।

- यह चीनी पक्ष को इस बात में भी सक्षम बनाता है कि वह गैर बाढ़ मौसम के दौरान जल आपस में माने गए स्तर से ज्यादा हो जाता है तो वह सूचना उपलब्ध कराएगा।
- बीजिंग उत्तर भारत में बहने वाली नदियों पर भी आंकड़े को साझा करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध+ भूगोल

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

योजनायें, रिपोर्ट एवं समितियां

बंधु

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने स्व-सहायता वेबसाइट-बंधु को IIT बांबे के छात्रों के लिए शुरू किया है।



बंधु के बारे में

- इसे IIT बांबे के काउंसलरों के साथ संयोग में डिजाइन किया गया है, साथ ही बाहरी विशेषज्ञों का भी सहारा लिया गया है।
- यह कॉलेज की जिंदगी के साथ समायोजन, अकादमिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों पर ध्यान देता है।
- बंधु में व्यवस्थित तरह की पढ़ाई है, प्रेरणास्पद एल्युमिनाई यात्रा है, विशेषज्ञों के पॉडकास्ट हैं और स्वखोज के लिए उपकरण हैं।

पृष्ठभूमि

- बंधु परियोजना की शुरुआत 1992 की कक्षा की एल्युमिनाई ने की थी, यह 2017 के रजत जयंती मिलन का हिस्सा था।
- उन्होंने IIT बांबे को समर्थन देने की शपथ ली और साथ ही छात्रों के भावनात्मक भलाई के उन्नयन में मदद का भी वादा किया।
- स्व-सहायता वेबसाइट इस दिशा में पहला कदम है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- शिक्षा

स्रोत- PIB

ग्रामीण विकास कोष

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय सरकार का फैसला कि पंजाब से ग्रामीण विकास शुल्क को रोक दिया जाए और यह पत्र देकर पंजाब सरकार से पूछना कि अपने ग्रामीण विकास कोष (RDF) के उपयोग का विवरण दें जो इसे मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI) से प्राप्त होता है, ने राज्य सरकार को काफी कुपित कर दिया है।

ग्रामीण विकास कोष के बारे में

- यह 3 प्रतिशत कर है जिसे ग्रामीण विकास कोष कानून, 1987 के तहत कृषीय उत्पादों की बिक्री या खरीद पर लगाया जाता है जिसे पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड (PRDB) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जिसका अध्यक्ष **मुख्यमंत्री** होता है।



ग्रामीण विकास बोर्ड (RDB) क्या है?

- RDB को अप्रैल 1987 में ग्रामीण विकास कानून, 1987 के तहत शामिल किया गया था और इसे बेहतर कृषि के प्रोत्साहन और कृषीय उत्पादों के नुकसान और क्षति के लिए राहत प्रदान करने का शासनादेश है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों, धर्मशालाओं, पंचायतघरों, नहरों और नालों, सरकारी स्वास्थ्य अवसंरचना, पीने के पानी, स्वच्छता और सरकारी शैक्षिक संस्थानों की सुविधा को उपलब्ध कराता है।
- यह माना जाता है कि इस कोष का प्रयोग मंडियों के अंदर और बाहर ग्रामीण अवसंरचना के सृजन और रखरखाव के लिए किया जाएगा।
- पूर्व में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि इस कोष को अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है।

केंद्रीय सरकार ने इस कोष को क्यों निलंबित कर दिया?

- केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय मंत्री के हवाले से जारी किये गए एक पत्र से यह आरोप लगाया कि कोष को दूसरे कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है और राज्य सरकार से यह विवरण देने के लिए कहा कि इस धन का कैसे उपयोग किया जा रहा है।
- इसने लागत शीट में भी इस कोष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जिसे उसने राज्य को भेजा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

थोक औषधि पार्क

खबर में क्यों है?

- हाल में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो थोक औषधि पार्क के आवंटन के लिए प्रतियोगिता कर रहा है जोकि एक केंद्र सरकार की योजना है जिसकी घोषणा इस वर्ष की शुरुआत में पूरे देश में तीन ऐसे पार्कों की स्थापना के लिए की गई थी।

थोक औषधियां अथवा APIs क्या हैं?

- थोक औषधि जिसे सक्रिय फार्मास्युटिकल्स घटक (APIs) भी कहा जाता है, किसी औषधि या दवाई का प्रमुख घटक होता है, जिससे इसका वांछित चिकित्सकीय प्रभाव अथवा औषधीय गतिविधि उत्पन्न होती है।
- उदाहरण के लिए, पैरासिटामोल एक थोक औषधि है, जोकि दर्दनिवारक है।

- इसे बंधन एजेंटों अथवा विलायकों के साथ मिश्रित किया जाता है जिससे अंतिम फार्मास्युटिकल्स उत्पाद को तैयार किया जा सके अर्थात एक पैरासिटामोल टिकिया, कैप्सूल अथवा सिरप, जिसे रोगी द्वारा खाया जाता है।

क्या प्रमुख शुरुआती पदार्थ और औषधि मध्यवर्ती हैं?

- APIs को बहु प्रतिक्रियाओं से तैयार किया जाता है जिसमें रासायनिक और विलायक शामिल होते हैं।
- प्राथमिक रसायन अथवा मूल कच्चा माल जो प्रतिक्रिया से गुजर कर API का निर्माण करता है, को प्रमुख शुरुआती पदार्थ अथवा KSM कहते हैं।
- रासायनिक यौगिक जो मध्यवर्ती अवस्थाओं में निर्मित होते हैं, इन प्रतिक्रियाओं के दौरान, को औषधि मध्यवर्ती अथवा Dis कहा जाता है।



थोक औषधि पार्कों के प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार कारक

- भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल्स उद्योगों में से एक है (आयतन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी) लेकिन यह उद्योग काफी हद तक अन्य देशों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से चीन पर, क्योंकि वहां से APIs, Dis और KSMs आयात किये जाते हैं।
- इस वर्ष, भारत में औषधि निर्माणकर्ताओं ने आयत में बाधा की वजह से काफी परेशानियों का सामना किया है।
- जनवरी में, चीन में फैक्ट्रियां बंद हो गईं जब देश में लॉकडाउन लगाया गया और बाद में अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति ऋंखला प्रभावित हो गई जब कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को आगोश में ले लिया।
- भारत और चीन के बीच में सीमा तनाव से स्थिति और भी बुरी हो गई।
- इन सभी कारकों की वजह से भारत सरकार ने सभी उद्योगों में ज्यादा आत्मनिर्भरता का आह्वान किया और जून में, फार्मास्युटिकल्स विभाग ने देश में तीन थोक औषधि पार्कों के प्रोत्साहन की योजना की घोषणा की।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- स्वास्थ्य

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ऑपरेशन मुस्कान

खबर में क्यों है?

- हाल में, कुल 485 बच्चे, जिनमें बाल श्रमिक, परित्यक्त और भागे हुए बच्चे शामिल थे, को दो दिन के ऑपरेशन मुस्कान के दौरान शहर और जिले की पुलिस ने छुड़ाया।

ऑपरेशन मुस्कान के बारे में

- यह गृह मंत्रालय (MHA) की एक पहल है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य खो गये बच्चों को छुड़ाना/पुनर्वास करना है।
- यह एक महीने का समर्पित कार्यक्रम है जहां खो गये बच्चों को खोजने और छुड़ाने और उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए राज्य पुलिस कर्मियों द्वारा कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

पृष्ठभूमि

- “ऑपरेशन मुस्कान III” की शुरुआत जुलाई 2017 में पूरे देश में की गई थी जिसका उद्देश्य खोये हुए बच्चों को छुड़ाने/पुनर्वास के लिए पूर्व के अभियानों को आगे बढ़ाना था।

“ऑपरेशन मुस्कान” के उद्देश्य हैं:

- खोये हुए बच्चों को छुड़ाना और पुनर्वास करना।
- राज्य में बाल संरक्षण गतिविधियों के साथ गतिविधियों का एकीकरण करना।
- जिला स्तर के SJPU का क्षमता निर्माण जिससे खोये हुए बच्चों के मामले से निपटा जा सके; और
- सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यकर्ताओं, CWCs, SJPUs, NGOs और जिला स्तर पर समुदाय संगठनों के साथ ज्यादा समन्वय विकसित करना। यह पूरे देश में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत चलाया जा रहा है।


विषय- सामान्य अध्ययन-प्रश्नपत्र- II- शासन

स्रोत- द हिंदू

[रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो \(SPFB\)](#)

खबर में क्यों है?

- आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया आपस में सहयोग करके एक रणनीतिक नीति इकाई जिसे “रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB)” कहा जाता है, का गठन करेंगे जिसे आयुष क्षेत्र की नियोजित और सुव्यवस्थित वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके।



रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB) के बारे में

उद्देश्य

- आयुष क्षेत्र के नियोजित एवं सुव्यवस्थित वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने की योजना है जिससे यह अपने पूरी संभावना को हासिल कर सके और वृद्धि व निवेश को प्रेरित कर सके।

SPFB द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में शामिल होंगे:

- ज्ञान का सृजन और प्रबंधन,
- रणनीतिक और नीति निर्माता समर्थन,

- **राज्य नीति बेंचमार्किंग:** राज्य नीति बेंचमार्किंग को करना भारत में आयुष क्षेत्र के संबंध में एकसमान दिशा-निर्देशों/विनिमयन को बनाया जा सके,
- **निवेश प्रोत्साहन:** अनुपालन और निवेश मामलों को प्रोत्साहन और सहमतिपत्र, और विभिन्न विभागों, संगठनों और राज्यों के मध्य समन्वय।
- **मामले हल करना:** इन्वेस्ट इंडिया कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य करके मामलों को पूरे राज्यों में और विभिन्न उप-क्षेत्रों के मध्य हल करेगा।

आयुष मंत्रालय की भूमिका

- आयुष मंत्रालय ब्यूरो को निवेश प्रस्ताव, मामलों और प्रश्नों के प्रतियुत्तर देने में सहायता देगा और दी गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया को वित्त पोषित करेगा।
- मंत्रालय ब्यूरो को विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योग संघों, मंत्रालय से संबद्ध निकायों और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करेगा।

इन्वेस्ट इंडिया के बारे में

- इसकी स्थापना 2009 में उद्योग और आंतरिक वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग के अंतर्गत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में हुआ था।
- यह भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है और भारत में निवेशकों के लिए संदर्भ के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य

स्रोत- PIB


जल जोखिम फिल्टर विश्लेषण रिपोर्ट 2020

खबर में क्यों है?

- हाल में विश्व वन्यजीव कोष (WWF) ने जल जोखिम फिल्टर विश्लेषण रिपोर्ट 2020 को जारी किया है।

जल जोखिम फिल्टर के बारे में

- यह एक ऑनलाइन उपकरण है जिसे WWF ने सह-विकसित किया है जो जोखिम वाले स्थानों की तीव्रता के मूल्यांकन में सहायता करता है। इसके लिए यह ग्राफिक रूप से विभिन्न कारकों को दर्शाता है जो जल जोखिम में अपना योगदान देते हैं।



रिपोर्ट की मुख्य बातें

- WWF जल जोखिम फिल्टर में परिदृश्यों के अनुसार, वे 100 शहर जिनमें 2050 तक सबसे ज्यादा जल जोखिम से परेशानी होने की संभावना है, में कम से कम 350 मिलियन लोग निवास करते हैं। साथ ही वे राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं भी हैं।
- वैश्विक तौर पर, उच्च जल जोखिम वाले क्षेत्रों में जनसंख्याएं 2020 के 17% से बढ़कर 2050 तक 51% हो सकती हैं।
- वैश्विक सूची में शामिल हैं बीजिंग, जकार्ता, जोहानेसबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का और रियो डि जेनेरियो जैसे शहर। इसमें चीन के लगभग आधे शहर शामिल हैं।

भारत और रिपोर्ट

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 30 शहर सूची में हैं।
- जयपुर भारतीय शहरों की सूची में सबसे ऊपर है (45वां) जिसके बाद इंदौर (75वां) और थाणे का स्थान है।
- मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भी सूची में हैं।

कारण

- यह ऐसे हो रहा है क्योंकि पूरे भारत में शहर जल की कमी से जूझ रहे हैं जिसका कारण तीव्र शहरीकरण, मौसम परिवर्तन और उपयुक्त अवसंरचना का अभाव है जोकि वर्तमान अवसंरचना पर लगातार दबाव डाल रहा है।

जल संकट से निपटने के लिए संस्तुतियां

- बहु हितधारक के साथ बातचीत और स्वामित्व जिसमें स्थानीय समुदाय भी शामिल हों, सतत जल अवसंरचना के सृजन और संरक्षण और शहरी ताजाजल प्रणालियों के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण हैं।
- शहरी नियोजन और नमभूमि संरक्षण को एकीकृत करने की जरूरत है जिससे शहरी क्षेत्रों में ताजा जल प्रणालियों में शून्य क्षति को सुनिश्चित किया जा सके।
- शहरी जल अवसंरचना में सुधार और जल उपयोग में कटौती से जल जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।
- प्रकृति आधारित हल जिसमें निम्नीकृत जल विभाजक का पुनर्स्थापन, नदियों को उनके बाढ़ मैदानों के साथ फिर से जोड़ना और शहरी नमभूमियों को पुनर्जीवित अथवा निर्मित करना शामिल हैं, काफी जरूरी हैं।

संबंधित सूचना

विश्व वन्यजीव कोष के बारे में

- यह अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी जिससे अपनी धरती के प्राकृतिक पर्यावरण को निम्नीकृत होने से रोका जाए और एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया जाए जिसमें मानव प्रकृति के साथ तालमेल के साथ रहें।
- इसका मुख्यालय ग्लैड, स्विट्जरलैंड में है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

छत्तीसगढ़ ने फोर्टीफाइड चावल के वितरण के लिए योजना शुरू की

खबर में क्यों है?

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पाइलट आधार पर राज्य के कोंडागांव जिले के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी पहलों के द्वारा फोर्टीफाइड चावल के वितरण के लिए योजना की शुरुआत की है।

WHAT IS FORTIFIED RICE?

Fortification is the practice of deliberately increasing the content of an essential micronutrient, i.e. vitamins and minerals (including trace elements) in food to improve its nutritional quality and provide a public health benefit with minimal risk to health



► The fortification factor does not last for more than 45 days , so it isn't advisable to store fortified rice for long	► According to National Family Health Survey, 78.7% children and 75% in the district are anaemic and suffer from malnutrition	► In the first phase, fortified rice will be distributed in Badangi, Bobbili, Ramabhadrapuram and Terlam mandals
--	---	--

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत चावल के फोर्टीफिकेशन और वितरण के बारे में

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा चावल के फोर्टीफिकेशन और उसके वितरण पर केंद्रीय प्रायोजित पाइलट योजना" को स्वीकृति दी है।
- योजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति दे दी गई थी और 2019-20 से तीन वर्षों के काल के लिए रु. 174.6 करोड़ का कुल बजट आवंटन आवंटित किया गया था।

वित्तीय मदद

- योजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी, पर्वतीय और द्वीपीय राज्यों के सापेक्ष 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के सापेक्ष 75:25 के अनुपात में किया जा रहा है।
- आगे, सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को यह सुझाव दिया है विशेष रूप से उन राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को जो आटे को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित कर रहे हैं, कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फोर्टीफाइड गेहूँ आटे का वितरण करें।
- पाइलट योजना 15 जिलों पर जोर देती है, प्राथमिकता से प्रति राज्य 1 जिला।
- अभी तक, 15 राज्यों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने पाइलट योजना के क्रियान्वयन पर अपनी सहमति जताई है।
- इन राज्यों में से, महाराष्ट्र और गुजरात ने फरवरी 2020 से पाइलट योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाइड चावल के वितरण को अभी से शुरू कर दिया है।

क्रियान्वयन में सुस्ती

- 15 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फोर्टीफाइड चावल के वितरण की वर्तमान पाइलट योजना अभी तक केवल पांच राज्यों में ही क्रियान्वित की गई है, यद्यपि परियोजना की आधी से ज्यादा अवधि बीत चुकी है।
- ये पांच राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ हैं।
- बाकी बचे 10 राज्यों में अब जाकर अपने जिलों की पहचान की है और जल्दी ही वितरण की शुरुआत कर देंगे, लेकिन योजना काल में 1.5 वर्ष का ही समय शेष रह गया है।

संबंधित सूचना

भारत में फोर्टीफिकेशन

- फोर्टीफिकेशन से आशय किसी जरूरी सूक्ष्मपोषक तत्व के अंश के बढ़ाने की प्रक्रिया से है जैसे कि विटामिन अथवा खनिज। यह किसी खाद्य पदार्थ में किया जाता है जिससे उसकी पोषक मूल्य में वृद्धि हो सके और कम से कम लागत में लोगों को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध हो सके।
- चावल पांचवीं खाद्य वस्तु है जिसको सरकार फोर्टीफिकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके पूर्व नमक, खाने वाले तेल, दूध और गेहूँ को भी फोर्टीफाई किया जा चुका है।
- खाद्य फोर्टीफिकेशन एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, किफायती, मापनीय और सतत वैश्विक हस्तक्षेप है जिससे सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी के मामलों से निपटा जा सकता है।
- अक्टूबर 2016 में, FSSAI ने बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (भोजन का फोर्टीफिकेशन) विनियमन, 2016 को लागू किया जिनके नाम हैं:
 - दूध और खाने वाले तेल (विटामिन A और D के साथ)
 - दुगुना फोर्टीफाइड नमक (आयोडीन और आयरन के साथ)
 - गेहूँ का आटा और चावल (आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक अम्ल के साथ)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन आयरन, विटामिनों और फोलिक अम्ल के साथ चावल के फोर्टीफिकेशन की संस्तुति करता है जोकि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति है जिससे जनसंख्याओं के आयरन स्तरों में सुधार किया जा सके।

चावल को कैसे फोर्टीफाइड किया जाता है?

- चावल को चावल में सूक्ष्मपोषक तत्व के चूर्ण को मिलाकर फोर्टीफाई किया जा सकता है जिसमें साधारण चावल के दानों पर विटामिन और खनिज मिश्रण के साथ छिड़काव किया जाता है जो एक सुरक्षात्मक स्तर बना देता है।
- चावल को निकाल कर और आकार में लाकर बिना पके दाने जैसी संरचनाओं से मिलते जुलते चावल के दानों में बदला जा सकता है, जिसे बाद में प्राकृतिक रूप से पॉलिश किये हुए चावल के साथ मिलाया जा सकता है।
- चावल के गूदे को कई सूक्ष्मपोषकों जैसे आयरन, फोलिक अम्ल और अन्य बी कॉम्प्लेक्स विटामिनो, विटामिन ए और जिंक के साथ फोर्टीफाई किया जा सकता है।

खाद्य फोर्टीफिकेशन संसाधन केंद्र (FFRC) के बारे में

- FFRC की स्थापना भारत सरकार के विभाग के रूप में की गई है जो खाद्य का विनियमन करता है अर्थात् FSSAI, टाटा न्यास के साथ सहयोग में।
- FFRC समर्पित रूप से प्रासंगिक सरकारी मंत्रालयों, खाद्य व्यावसायों, विकास साझेदारों इत्यादि जैसे हितधारकों को आवश्यक समर्थन प्रदान करता है, जिससे पूरे देश में खाद्य फोर्टीफिकेशन प्रयासों को प्रोत्साहन और समर्थन मिलता है।

नोट:

- भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में 107 देशों में 94वें स्थान पर है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- द हिंदू

एक रैंक एक पेंशन (OROP) योजना

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि पिछले वर्ष उसने एक रैंक एक पेंशन (OROP) योजना के अंतर्गत 20.6 लाख सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को रु. 42,700 करोड़ से ज्यादा दिये हैं।

The infographic features the PIB logo at the top left. The main title is 'FIVE YEARS OF ONE RANK ONE PENSION'. Below the title is an illustration of a hand holding a green money bag with a yellow '₹' symbol, and a small cartoon character with a lightbulb above its head. To the right, five numbered points are listed in colored boxes:

- 1 Implemented on 7th Nov, 2015; benefit effective from 1st July, 2014
- 2 OROP implies uniform pension to the Armed Forces Personnel retiring in the same rank with the same length of service
- 3 OROP implies bridging the gap between the rate of pension of current and past retirees
- 4 Approximately ₹42,740.28 crore disbursed to 20,60,220 Defence Forces Pensioners/Family Pensioners
- 5 OROP beneficiaries also got the benefit of fixation of pension under 7th Central Pay Commission

एक रैंक एक पेंशन योजना (OROP) के बारे में

- सरकार ने एक आदेश को जारी करके OROP योजना को नवंबर 2015 में अधिसूचित किया था और यह कहा था कि यह 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी होगी।
- OROP योजना के तहत, समान पेंशन समान अवधि की सेवा के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों को दी जाती है। इसमें उनके सेवानिवृत्त की तिथि को नजरअंदाज किया जाता है।
- OROP का क्रियान्वयन आवधिक अंतरालों पर वर्तमान और पूर्व भूतपूर्व सैनिकों की पेंशनों के बीच के अंतराल को पाटने के लिये किया गया था।
- रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य बलों के कर्मी जो जून 30, 2014 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को OROP योजना के तहत लिया गया है।
- सैन्य बल कर्मी जो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं को OROP योजना के तहत नहीं लिया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- सामाजिक सुरक्षा

स्रोत- PIB

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

खबर में क्यों है?

- श्रम और नियोजन मंत्रालय ने हाल में दावा सौंपा है कि अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ESIC के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के अंतर्गत शपथपत्र प्रपत्र की जरूरत नहीं है।

Enhancing quantum of relief
being provided to eligible workers under

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana



**Enhanced benefit and relaxation in eligibility conditions
under Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY)**

- Rate of relief enhanced from 25% to 50% of the average daily wages
- Relief amount to be credited to the bank account of the Insured person directly
- Scheme extended upto 30th June, 2021 with enhancement in relief and relaxation in eligibility conditions upto 31.12.2020
- Insured Person can apply online and thereafter submit hard copy of their claim directly to their designated ESIC Branch Office

For more information and claiming relief under the scheme,
please visit www.esic.in

Ministry of Labour & Employment
Government of India

Employees' State Insurance Corporation

For more information please visit nearest /designated ESIC Branch Office or call toll free number 1800 11 2526

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

- यह एक कल्याणकारी उपाय है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- यह बीमित व्यक्ति को नकद क्षतिपूर्ति प्रदान करता है जब वे बेरोजगार हो जाते हैं।
- यह योजना 01-07-2018 से प्रभावी हो गई थी। आरंभ में योजना को दो वर्षों के लिए पाइलट आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना को 20 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

योजना के अंतर्गत लाभ

- यह योजना चार पूर्व योगदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत कमाई के 50% तक की राहत प्रदान करती है (चार योगदान अवधि के दौरान कुल कमाई/730) जिसे बीमित व्यक्ति के पूरे जीवन में एक बार बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक दिया जाता है।

भत्ते की अवधि

- अधिकतम अवधि, जिसके लिए एक IP अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के अंतर्गत राहत लेने का पात्र होगा, पूरे जीवन में एक बार 90 दिनों के लिए होगा। इसके लिए न्यूनतम दो वर्षों का बीमयोग्य रोजगार होना चाहिए जो ऊपर निर्दिष्ट योगदान देने वाली शर्तों पर निर्भर करेगा।
- अटल बीमित कल्याण योजना के अंतर्गत राहत का दावा स्पष्ट बेरोजगारी के तीन महीनों के बाद भुगतानयोग्य होगा।
- राहत बेरोजगारी के स्पष्ट महीनों के लिए दी जाएगी।
- किसी भावी दावे की अनुमति नहीं होगी।

अर्हता

- ESI कानून 1948 के अनुच्छेद 2(9) के अंतर्गत आच्छादित कर्मचारी।
- बीमित व्यक्ति (IP) को उस अवधि जिसमें राहत मांगी गई है, बेरोजगार होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति को कम से कम दो वर्षों के लिए बीमयोग्य रोजगार में होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति ने पूर्व के चार योगदान अवधियों के प्रत्येक के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान न दिया हो।

- उसके योगदान के संदर्भ में नियोक्ता द्वारा या तो भुगतान किया गया हो या फिर उसे भुगतान करना हो।
- बेरोजगारी की आकस्मिकता किसी दुराचरण पर दंड अथवा सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की वजह से नहीं होनी चाहिए।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- शासन

स्रोत- PIB

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना

खबर में क्यों है?

- हाल में सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के दायरे का विस्तार करने की मंशा जाहिर की है जिससे खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे दस ज्यादा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। मोबाइल फोन, सहायक उपकरण, फार्मास्युटिकल्स घटक और चिकित्सा उपकरणों को पहले ही इसमें शामिल किया हुआ है।
- आयात में कटौती करने के अतिरिक्त, PLI योजना घरेलू बाजार में बढ़ती हुई मांग को पकड़ने के रास्तों को भी देख रही है।



उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक (MeitY) ने 2020 में PLI योजना को अधिसूचित किया था।
- यह मोबाइल फोन विनिर्माण और विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक घटकों, जिनमें जोड़ना, परीक्षण, चिहनांकन और पैकेजिंग (ATMP) इकाईयां शामिल हैं, में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर निवेश को लाने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को प्रदान करता है।
- यह भारत में विनिर्मित वस्तुओं और लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आच्छादित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर (आधार वर्ष के ऊपर) 4% से 6% प्रोत्साहन राशि को देगा।
- यह वित्त वर्ष 2019-20 के साथ पांच वर्षों के लिए सक्रिय होगा जिसे प्रोत्साहन राशि की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा।
- इसका क्रियान्वयन एक नोडल एजेंसी के द्वारा किया जाएगा जो एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के रूप में कार्य करेगी और सचिवालय, प्रबंधकीय और क्रियान्वयन समर्थन को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही यह समय समय पर MeitY द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को भी पूरा करेगी।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य भारत को अपने विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धता के लिए ज्यादा आज्ञाकारी बनाना है और साथ ही घरेलू बिक्री और निर्यातों के सापेक्ष गैर-भेदभावकारी और निष्पक्ष बनाना है।

योजना के लिए अर्हता

- सभी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां जो या तो भारतीय हैं अथवा जिनकी भारत में पंजीकृत इकाई हैं, वे योजना के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए पात्र हैं।
- ये कंपनियां या तो नई इकाई निर्मित कर सकती हैं या फिर अपनी वर्तमान इकाईयों के लिए प्रोत्साहित मांग सकती हैं। ऐसा भारत में एक या ज्यादा स्थानों से किया जा सकता है।
- मोबाइल फोन अथवा संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, शोध और विकास व तकनीक हस्तांतरण के लिए कंपनियों द्वारा अतिरिक्त खर्च वहन किये जाने पर वे प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होंगी।
- परियोजना के लिए भूमि और इमारतों पर कंपनियों द्वारा किये गए निवेश के लिए प्रोत्साहन पर विचार नहीं किया जाएगा।

लाभ

- यह इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परिदृश्य को काफी बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को स्थापित करेगा।
- यह इस क्षेत्र में बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और जबर्दस्त रोजगार की संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II- महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- द हिंदू

आयकर अपील न्यायाधिकरण

खबर में क्यों है?

- हाल में प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा कटक में आयकर अपील न्यायाधिकरण (ITAT) के आधुनिकतम कार्यालय एवं आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे।



आयकर अपील न्यायाधिकरण

- यह एक अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसे आयकर कानून, 1922 के अनुच्छेद 5A के अंतर्गत 1941 में गठित किया गया था।
- आरंभ में, इसकी वर्ष 1941 में तीन खंडपीठ थीं, जो दिल्ली, बांबे और कलकत्ता में थीं। इसकी अब कुल 63 खंडपीठ हो चुकी हैं, साथ ही दो सर्किट खंडपीठ भी जो भारत के तीस शहरों में फैली हुई हैं।

- इसे 'मातृ न्यायाधिकरण' के रूप में अभिहित किया जाता है क्योंकि यह देश में सबसे पुराना न्यायाधिकरण है।

कार्य

- यह आयकर कानून, 1961 नामतः प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत अपीलों का निपटारा करता है।
- ITAT द्वारा पारित किये गए आदेश अंतिम होते हैं; केवल उसी स्थिति में अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है जब निर्धारण के लिए कानून का कोई बड़ा प्रश्न खड़ा होता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- महत्वपूर्ण संस्थान

स्रोत- लाइव मिंट

केसर पर राष्ट्रीय मिशन

खबर में क्यों है?

- हाल में तकनीक अनुप्रयोग एवं पहुँच पर उत्तर पूर्व केंद्र (NECTAR) ने एक पाइलट परियोजना को समर्थन किया जो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में केसर की उपज लेने की व्यवहार्यता को खोजेगा। यह केसर समान गुणवत्ता और उच्च मात्रा की होगी।
- जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित क्षेत्र का पम्पोर क्षेत्र "कश्मीर का केसर कटोरा" कहलाता है और केसर उत्पादन में मुख्य योगदानकर्ता है।



कश्मीरी केसर के अन्वेषण के बारे में

- इसकी जम्मू एवं कश्मीर के करेवा (उच्चभूमि) में खेती की जाती है और काटा जाता है। इसकी विशेषताएं जो इसे विश्व में उपलब्ध अन्य केसर किस्मों से अलग करती हैं, वे हैं:
 - a. यह एकमात्र केसर है जो माध्य समुद्र स्तर से 1600 से 1800 मी. की ऊंचाई पर उगाई जाती है।
 - b. इसके लंबे और मोटे सिरे होते हैं, इसका प्राकृतिक गहरा लाल रंग, जबर्दस्त खुशबू, कड़वा स्वाद, रसायन विहीन प्रसंस्करण होता है।
 - c. इसमें क्रोसिन (रंगने की मजबूती), सैफ्रानाल (स्वाद) और पिक्नोक्रोसिन (कड़ुवापन) होता है।

प्रकार

- कश्मीर में तीन प्रकार के केसर उपलब्ध हैं- लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्छी केसर।

केसर पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में

- इस मिशन को 2010 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में केसर के उत्पादन को बढ़ाना है। यह चार वर्षीय मिशन था जिसे 2010-14 के मध्य क्रियान्वित किया गया। बाद में इसका विस्तार किया गया, क्योंकि 2014 में केसर का उत्पादन काफी गिर गया था।

उत्तर-पूर्व तकनीक अनुप्रयोग और पहुँच केंद्र के बारे में

- यह भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

- उत्तर-पूर्व क्षेत्र में केसर उगाने की व्यवहार्यता को खोजने के लिए पाइलट परियोजना को निर्धारित किया गया।

नोट:

- कश्मीर केसर ने मई 2020 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग हासिल किया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार के लिए NITI Aayog समिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में NITI Aayog ने शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

समिति का संगठन

- इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार कर रहे हैं।
- तीन मंत्रालयों - आवास और शहरी मामले, उच्च शिक्षा और पंचायती राज समिति के सचिव इस समिति के सदस्य हैं।



शासनादेश

- भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की बहु-विषयात्मक, पाठ्यक्रम और संबंधित मुद्दों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर तेजी से शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में समीक्षा करना है।
- देश में योग्य शहरी नियोजनकर्ताओं की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति का पता लगाना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- शिक्षा

स्रोत-PIB

ओडिशा पोषण में मछली योजना शुरू करेगी

खबर में क्यों?

- ओडिशा सरकार बच्चों, गर्भवती और बच्चे पालने वाली महिलाओं और किशोर लड़कियों के लिए संपूरक पोषणीय कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पादों को लागू करने जा रही है।
- इस संबंध में एक सहमतिपत्र राज्य सरकार और विश्व मछली, एक गैर लाभकारी संगठन के बीच में हस्ताक्षरित होने जा रहा है।
- इस संबंध में एक पायलट परियोजना मयूरभंज जिले में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा।

विश्व मत्स्य संगठन

- यह एक अंतरराष्ट्रीय गैरलाभकारी शोध संगठन है जो मत्स्यन और मत्स्यपालन की संभावना का उपयोग जीवनयापन को मजबूत करने और खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुधारने के लिए करता है।
- वर्ल्ड फिश अंतरराष्ट्रीय कृषीय शोध (CGIAR) के लिए परामर्शदात्री समूह है जो खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक शोध साझेदारी है।
- वैश्विक रूप से, 1 अरब से ज्यादा लोग मछली से ही अपनी अधिकांश पशु प्रोटीन हासिल करते हैं और 800 मिलियन लोग अपने जीवनयापन के लिए मत्स्यन और मछली पालन पर निर्भर हैं।

ओडीशा सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाएं

- ओडीशा सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि **बाजरा मिशन** और **आयरन प्लस पहल**, जिससे लोगों के मध्य पोषण को बढ़ाया जा सके, विशेष रूप से बच्चों और आदिवासी लोगों के बीच में, और राज्य को यह निश्चित करना है कि कोई भी पोषण अभियान से बाहर न छूट जाए।

ओडीशा बाजरा मिशन (OMM)

- इसे ओडीशा के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरे के प्रोत्साहन के लिए विशेष कार्यक्रम कहा जाता है जिसे **2017 में ओडीशा सरकार द्वारा** शुरू किया गया था जिससे लोगों की थालियों व खेतों में बाजरे को पुनर्जीवित किया जा सके।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य राज्य पोषण योजनाओं में बाजरे को लागू करके कुपोषण से निपटा जाए।

राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल

- 2013 में **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** ने "राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल" की शुरुआत एक समग्र रणनीति के रूप में की जिससे विभिन्न जीवचक्रों में चल रही लोहे की कमी अर्थात् रक्तअल्पता के सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटा जा सके।
- आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरकों के साथ आयु विशेषीकृत हस्तक्षेप हैं। साथ ही हीमोग्लोबिन स्तरों में सुधार के लिए डिवार्मिंग करना भी है जिससे सभी आयु वर्गों में रक्त अल्पता के मामलों को कम किया जा सके।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- स्वास्थ्य मामले/महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PM-KUSUM योजना का विस्तार

खबर में क्यों है?

- हाल में नव एवं पुनर्नवीकृत ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना की क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

पृष्ठभूमि

- PM-KUSUM योजना को 2019 में आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने स्वीकृति दी थी।



- यह योजना देश में सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य पुनर्नवीकृत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों के लिए है।
- इस योजना के तीन घटक हैं-
 - घटक-A में विकेंद्रीकृत भूमि पर लगे हुए ग्रिड से जुड़े पुनर्नवीकृत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है,
 - घटक-B में स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा से चालित कृषि पंप शामिल हैं
 - घटक-C में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण शामिल है।
- मंत्रालय ने योजना क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन/स्पष्टीकरण को जारी किया है:
- i. **घटक-A के लिए संशोधन/स्पष्टीकरण**
 - इसमें चारे वाली भूमि और कीचड़ वाली भूमि के स्वामी किसानों को शामिल करके इसकी सीमा को विस्तार दिया गया है।
 - सौर संयंत्र के आकार को कम कर दिया गया है जिससे छोटे किसान भी भाग ले सकें और समाप्ति काल को नौ महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दिया गया है।
 - छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए, सौर ऊर्जा परियोजनाओं जो कि 500 मेगावाट से छोटी हैं, को तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्यों द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।
 - इसके आगे, उत्पादन में कमी के लिए अर्थदंड को समाप्त कर दिया गया है जिससे किसानों द्वारा क्रियान्वयन में आसानी हो सके।
 - RPG को सौर ऊर्जा उत्पादन में न्यूनतम निर्दिष्ट क्षमता उपयोग कारक (CUF) से कमी पर किसी भी तरह का अर्थदंड नहीं होगा।
- ii. **घटक-B के लिए संशोधन/स्पष्टीकरण**
 - MNRE राष्ट्रीय स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के लिए 33% पात्र सेवा शुल्कों को बनाए रखेगी।
 - आदेश उल्लेख करता है कि मंत्रालय तैयारी गतिविधियों के लिए LoA के प्लेसमेंट के बाद जारी की गई मात्रा के लिए पात्र सेवा शुल्कों का 50% जारी कर सकता है।
 - यह आदेश केंद्रीकृत निविदा में भाग लेने के लिए निम्नलिखित दो में से एक या दोनों श्रेणियों की अनुमति दे सकती है:
 - सौर PV माइयूल्स अथवा सौर पंपों का विनिर्माण अथवा स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके सौर पंप नियंत्रकों का विनिर्माण।
 - सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ ऊपर उल्लेखित किसी भी विनिर्माणकर्ताओं का संयुक्त उपक्रम
- iii. **घटक-C के लिए संशोधन/स्पष्टीकरण**
 - मंत्रालय IEC गतिविधियों के लिए 33% सेवा शुल्कों का प्रयोग करेगी।
 - इस प्रावधान को तैयारी गतिविधियों के लिए क्रियान्वयन एंजेंसियों को सेवा शुल्कों के अग्रिम निर्गमन के लिए किया गया है।
 - मंत्रालय का आदेश कहता है, "MNRE तैयारी गतिविधियों के लिए LoA के प्लेसमेंट के बाद जारी की गई मात्रा के लिए पात्र सेवा शुल्कों के 50% को जारी कर सकती है।"
 - व्यक्तिगत रूप से किसान जिनके कृषि पंप ग्रिड से जुड़े हुए हैं, को उनके पंपों के सौरकरण के लिए समर्थन दिया जा रहा है।
 - किसानों को सौर पैनल दिया जाएगा और वे सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादित सौर ऊर्जा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बेच सकेंगे।

- DISCOMs उनसे अतिरिक्त बिजली को पूर्व निर्धारित दरों पर खरीदेंगे जिसका निर्णय विभिन्न राज्यों/SERC द्वारा किया जाएगा।
- किलोवाट में पंप क्षमता की दोगुना तक सौर PV क्षमता को योजना के अंतर्गत अनुमति दी गई है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- शासन

स्रोत- PIB

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

खबर में क्यों है?

- राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, एक मातृत्व लाभ योजना चार जिलों में शुरू की है जिसके अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए माँएं रु. 6,000 प्राप्त करेंगी।
- यह केंद्र की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की संपूरक होगी और इसके अंतर्गत माँएं अपने पहले बच्चे के लिए रु. 5,000 प्राप्त करती हैं।



पांच वर्षों के लिए पाइलट आधार पर चार जिलों में क्रियान्वित की जाएगी

- इस योजना को उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झुंजरपुर में पांच वर्षों के लिए पाइलट आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इन जिलों का चुनाव किया गया क्योंकि इनमें राज्य के औसत की तुलना में बच्चों और के पोषण संसूचक और मांओं के मध्य रक्त अल्पता का स्तर खराब है।
- इन चार जिलों में से प्रत्येक से दो मांओं को रु. 6,000 की प्रथम किस्त मिल चुकी है।
- सरकार का अगले पांच वर्षों के दौरान 70,000 गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली मांओं तक पहुँचने का लक्ष्य है।

पृष्ठभूमि

- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा मार्च 2020 में राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की थी।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद मांओं को होने वाले वेतन की हानि की क्षतिपूर्ति व बच्चों में अपक्षय और बौनापन साथ ही मांओं में रक्त अल्पता को रोकना है।
- लाभकर्ताओं को कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद पांच किस्तों में नकदी दी जाएगी।
- लेकिन, केंद्रीय योजना के विपरीत उन्हें राज्य योजना के लिए आधार कार्ड को नहीं देना होगा और धनराशि को सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

संबंधित सूचना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- इसे देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है।
- यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

MATTER OF HEALTH	THE INITIATIVE
<ul style="list-style-type: none"> > Under-nutrition continues to adversely affect women in India > Every third woman is under-nourished, while every second woman is anaemic > Under-nourished women often give birth to babies with a low birth weight > When poor nutrition starts in-utero, it extends throughout the life cycle > Owing to economic and social distress, many women continue to work to earn a living for their family up to the last days of their pregnancy > They resume work soon after childbirth, which prevents their bodies from fully recovering > It also impedes their ability to exclusively breastfeed during the first six months 	<p>The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana provides maternity benefits of ₹5,000 for pregnant women and lactating mothers after their first delivery</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ The benefit is provided in three instalments <ul style="list-style-type: none"> ■ It is a conditional cash transfer scheme and provides a partial wage compensation to women for wage-loss during childbirth and childcare ■ The scheme ensures safe delivery and good nutrition for women ■ The benefits are not available for employees of the Central or State governments and any public-sector undertaking

उद्देश्य

- वेतन हानि के लिए नकदी प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना जिससे महिला अपने पहले जीवित बच्चे को जनने के पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके।
- दी गई नकदी प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली मांओं (PW&LM) के मध्य स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले व्यवहार को बढ़ावा देगी।

योजना के अंतर्गत लाभ

- लाभकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में रु. 5,000 के नकद लाभ को हासिल करेंगे:
 - गर्भावस्था का जल्दी पंजीकरण
 - प्रसवपूर्व जांच
 - बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के प्रथम जीवित बच्चे के लिए टीकाकरण के पहले चक्र की समाप्ति।
- पात्र लाभकर्ता संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे। और यह प्रोत्साहन राशि जो JSY के अंतर्गत हासिल हुई है वह मातृत्व लाभ में जाएगी जिससे औसत रूप से एक महिला रु. 6000/- प्राप्त करती है।

अन्य संबंधित राज्य योजनाएं

डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी मातृत्व लाभ योजना तमिलनाडु

- डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु में गर्भवती महिलाएं पहले दो प्रसव के लिए प्रति बच्चा रु. 18,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं जिसमें पोषण किट भी शामिल है।

ओडीशा ममता योजना

- यह भी दो प्रसवों के लिए है, हालांकि इसकी धनराशि प्रति बच्चा रु. 5,000 है, जैसा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM)

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय कैबिनेट सचिव, राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ आसन्न चक्रवात की स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM) की बैठक की अध्यक्षता की।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के बारे में

- राष्ट्रीय स्तर पर, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM) मुख्य समितियां हैं जो आपदा प्रबंधन (DM) के सापेक्ष उच्चस्तरीय निर्णय लेने में शामिल हैं।
- राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM) का गठन कैबिनेट सचिवालय में किया गया है।
- यह बड़े संकट से निपटती है जिसका गंभीर अथवा राष्ट्रीय असर होता है।

संबंधित सूचना

चक्रवात 'निवार'

- बंगाल की खाड़ी इस वर्ष का अपना दूसरा चक्रवात देखेगी जिसे चक्रवात निवार कहा जा रहा है, इसके पूर्व मई 2020 में सुपर चक्रवात अम्फन आया था।
- इसके मध्य सप्ताह तक तमिलनाडु के तट से टकराने की संभावना है।
- 2018 के चक्रवात गाजा के बाद, पिछले दो वर्षों में तमिलनाडु को पार करने वाला यह दूसरा चक्रवात होगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- आपदा प्रबंधन

स्रोत- द हिंदू

खादी दस्तकारों के लिए वर्कशेड योजना (WSKA)

खबर में क्यों?

- हाल में, असम के नालबारी जिले के एक खादी दस्तकार को 'खादी दस्तकारों के लिए वर्कशेड योजना' के अंतर्गत एक मकान दिया गया।

खादी दस्तकारों के लिए वर्कशेड योजना

- यह खादी और ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2008 में शुरू किया गया था।
- इस योजना को 11वीं योजना (2008-09 से 2011-12) में क्रियान्वित किया जाना था।

योजना के अंतर्गत सहायता

- उन खादी दस्तकारों को वर्कशेडों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो **गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी** के हैं, इसे जिन खादी संस्थानों के साथ ये खादी दस्तकार जुड़े उनके द्वारा किया जाएगा।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता संस्थानों को जाएगी जो कि वर्कशेडों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे और **खादी व ग्राम उद्योग आयोग (KVIC)** गतिविधियों की देखरेख करेगी।
- खादी संस्थान वर्कशेडों के निर्माण के लिए आकलित अतिरिक्त वित्त को भी जारी कर सकते हैं जोकि दस्तकार कल्याण कोष के रूप में पड़ा हुआ है। यह कोष राज्य स्तर के दस्तकार कल्याण कोष न्यास के पास लाभकर्ता के क्रेडिट के रूप में है।

संबंधित सूचना

KVIC

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कानून, 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- KVIC पर जहां जरूरी हो ग्रामीण विकास में लगी हुई अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन, संगठन और क्रियान्वयन का दायित्व है।
- यह **राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** की एक नोडल क्रियान्वयन एजेंसी है।

नोट:

- PMEGP एक प्रमुख ऋण से जुड़ा सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे MSME मंत्रालय द्वारा 2008-09 से क्रियान्वित किया जा रहा है और यह 2019-20 तक जारी रहेगा।

KVIC के मोटे तौर पर उद्देश्य हैं:

- रोजगार देने का सामाजिक उद्देश्य।
- बिकने योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।
- गरीबों के मध्य आत्म निर्भरता पैदा करना का वृहद उद्देश्य और एक मजबूत ग्रामीण समुदाय भावना का निर्माण करना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- महत्वपूर्ण योजनाएं

स्रोत- PIB

पोषण अभियान

खबर में क्यों है?

- नेशनल न्यूट्रीशन मिशन अथवा पोषण अभियान को जोकि दुनिया का बच्चों और मांओं के लिए सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट की चेतावनी के अनुसार 2022 तक अपक्षय, बौनापन और रक्त अल्पता को कम करने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्नयन करना आवश्यक है।



NITI आयोग के द्वारा समीक्षा रिपोर्ट

- अब कई क्षेत्रों पर कार्यवाही को त्वरित करने की जरूरत है।
- जल्दी से पोषण-प्लस रणनीति की ओर तेजी से बढ़ने की जरूरत है जो न केवल अभियान के चार स्तम्भों को सतत मजबूत करे बल्कि अन्य सामाजिक निर्धारकों पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही NDM/ICDS वितरण तंत्रों की शासनात्मक चुनौतियों को सुलझाने की जरूरत है।

संबंधित सूचना

पोषण अभियान के बारे में

- इसे राष्ट्रीय पोषण अभियान (NNM) भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी।

क्रियान्वयन एजेंसी

- इसकी क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी महिला और बाल विकास मंत्रालय है।
- NITI आयोग भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत के पोषणीय चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की स्थापना पोषण अभियान के तहत की गई है।
- इस परिषद को पोषण पर राष्ट्रीय परिषद अथवा NCN भी कहा जाता है।

उद्देश्य

- समयबद्ध तरीके से बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली मांओं (PW&LM) के पोषणीय दर्जे में सुधार हासिल करना। साथ ही 2022 तक कुपोषण से मुक्त भारत को सुनिश्चित करना।

NNM के विशिष्ट लक्ष्य

राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्य को हासिल करना है:

- वार्षिक रूप से बौनेपन को 2% कम करना।
- वार्षिक रूप से अल्प पोषण को 2% कम करना।
- वार्षिक रूप से रक्त अल्पता को 3% कम करना।
- वार्षिक रूप से जन्म के समय कम वजन को 2% कम करना।
- अभियान का लक्ष्य 0-6 आयु वर्ग में बच्चों के मध्य बौनेपन को 38.4% (NFHS-4) से 2022 तक 25% करना।

भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद के बारे में

- इसे पोषण अभियान के अंतर्गत गठित किया गया है, इस परिषद को पोषण पर राष्ट्रीय परिषद (NCN) भी कहा जाता है।
- इसका मुखिया NITI आयोग का उपाध्यक्ष होता है।
- यह देश में पोषणीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए नीति निर्देशों को उपलब्ध कराती है और कार्यक्रमों की समीक्षा करती है।
- यह पोषण पर राष्ट्रीय स्तर की समन्वय और संमिलन निकाय है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

टारगेट ओलम्पिक पोडियम योजना (TOPs)

खबर में क्यों है?

- हाल में आठ ट्रेक एवं फील्ड धावकों को 26 नवंबर को आयोजित MOC की 50वीं बैठक में टारगेट ओलम्पिक पोडियम योजना के मुख्य समूह में शामिल कर लिया गया।



टारगेट ओलम्पिक पोडियम योजना

- यह युवा मामलों और खेलकूद मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ धावकों को सहायता प्रदान करने का प्रयास है।
- यह योजना इन धावकों की तैयारियों में कुछ विशेष शामिल करना चाहती है जिससे वे 2020 और 2024 के ओलम्पिक में ओलम्पिक पदक हासिल कर सकें।
- योजना के अंतर्गत, खेलकूद विभाग धावकों की पहचान करेगा जोकि 2020/2024 ओलम्पिक में संभावित पदक विजेता हैं।
- योजना का विचार भविष्य पर निगाह रखने का है और धावकों के वैकासिक समूह का वित्त पोषण करना है जोकि 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजिल्स ओलम्पिक खेलों में संभावित पदक विजेता हैं।

संबंधित सूचना

मिशन ओलम्पिक सेल (MOC)

- मिशन ओलम्पिक सेल एक समर्पित निकाय है जिसकी स्थापना TOP योजना के अंतर्गत चुने गए धावकों की सहायता करना है।
- MOC महानिदेशक, खेलकूद प्राधिकरण (DG, SAI) की अध्यक्षता के अंतर्गत है।

MOC को दिये गये कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं:

- a) TOP योजना के अंतर्गत चुने हुए धावकों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रमों को स्वीकृति देना।
- b) व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए वित्तीय भुगतान की संस्तुति करना।

- c) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार धावकों की प्रगति को समर्थन देना, निगरानी और समीक्षा करना।
- d) धावक के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर नियमित रिपोर्टिंग संरचना को निर्धारित करना।
- e) धावकों की अचानक और अप्रत्याशित जरूरतों पर निर्णय लेना।
- f) धावकों से उनकी प्रगति, जरूरतों और दृष्टिकोण पर नियमित रूप से संवाद करना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन (महत्वपूर्ण योजना)

स्रोत- PIB

कला एवं संस्कृति

अंतरराष्ट्रीय सतावधानम

खबर में क्यों है?

- अंतरराष्ट्रीय सतावधानम कार्यक्रम का तिरुपति में उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया।



संबंधित सूचना

अवधानम के बारे में

- यह एक साहित्यिक प्रदर्शन है जो भारत में प्राचीन काल से ही विख्यात है।

पृष्ठभूमि

- अवधानम की उत्पत्ति संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में हुई है और आधुनिक काल में तेलुगू और कन्नड़ में कवियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया है।
- इसमें कविताओं में आंशिक बदलाव जिसमें विशेष विषयों, छंदों, रूपों और शब्द शामिल हैं।
- अवधानी से आशय व्यक्तियों से है जो अवधानम का प्रदर्शन करते हैं; कई व्यक्तियों में प्रश्न पूछने वाले को पृच्छक (प्रश्नकर्ता) कहते हैं।
- अवधानम की घटना दिखलाती है, मनोरंजन के द्वारा, संज्ञानात्मक क्षमताओं की श्रेष्ठ कुशलता-पर्यवेक्षण, स्मृति, बुद्धिमत्ता के बहुप्रकारों में बहुकार्य- साहित्य, कविता, संगीत, गणितीय गणनाएं, पहेली को सुलझाना इत्यादि।
- पृच्छकों की संख्या 8 तक हो सकती है (अष्टवाधानम) अथवा 100 (सतवाधानम) अथवा 1000 तक (सहस्रवाधानम)।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- कला एवं संस्कृति

स्रोत- PIB

विलामाया पैटज्क्सा महिला शिकारी

खबर में क्यों है?

- कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के अनुसार विलामाया पैटज्क्सा महिला शिकारी को सबसे पूर्व शिकारी कब्र के रूप में पहचाना गया है जिसे अमेरिका में पाया गया है जो लगभग 9000 वर्ष पूर्व की है।

खोज के बारे में

- लगभग 9000 वर्ष पूर्व, शिकारी संग्रहाकों ने एक किशोर को दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में शिकार के उपकरणों के साथ दफन किया था।

- जब शोधार्थियों ने अवशेषों का विश्लेषण किया तो, जिसे 2018 में खोदा गया था, उन्होंने पाया कि यह शिकार महिला थी, जिसकी आयु 17 और 19 के मध्य थी उसकी मृत्यु के वक्त पर।
- इन जनसंख्याओं में 30% से 50% के बीच शिकारी महिलाएं थीं, शोधार्थियों ने यह निष्कर्ष अमेरिका के कब्रों के रिकॉर्डों के विश्लेषण से निकाला। ऊंचे स्थान पर उत्खनन के दौरान 2018 में पेरू के विलामाया पैटज्क्सा स्थल में पुरातत्ववेत्ताओं ने छह लोगों के साथ पांच कब्र के गड्ढों की खोज की।



महिलाओं की भागीदारी

- यह खोज दर्शाती है कि इस स्तर की भागीदारी हाल के शिकारी-संग्राहकों के बिल्कुल विपरीत है, जहां शिकार पूरी तरह से पुरुष प्रधान गतिविधि है जिसमें महिलाओं की भागीदारी काफी निम्न स्तर पर है।
- इससे शोधार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अमेरिका की शिकारी संग्राहक जनसंख्याओं के बीच में विभिन्न समय और स्थानों के साथ कैसे लैंगिक श्रम विभाजन में परिवर्तन आया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1 इतिहास (प्राचीन समाज)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

करतारपुर गुरुद्वारा

खबर में क्यों है?

- हाल में भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब का प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण एक सिख निकाय पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (PSGPC) से इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, गैर सिख निकाय के अंतर्गत एक ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का फैसला किया।



गुरुद्वारा दरबार साहिब क्या है और इसका सिख धर्म में क्या महत्व है?

- गुरुद्वारा दरबार साहिब, जिसे गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी कहा जाता है, पाकिस्तान के नारोवाल जिले में राबी नदी के पार स्थित है, जो भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से पांच किमी. की दूरी पर है।

- इतिहासकारों के अनुसार सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव 1520 से 1522 के मध्य करतारपुर में आए और अपने जीवन के अंतिम अठारह वर्ष उन्होंने यहीं बिताए।
- यही करतारपुर में उन्होंने सिख धर्म की आधारशिला रखी।
- उन्हें अंतिम विश्राम स्थल में ही गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है।
- यह 1947 तक सिखों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों में से एक था।

नोटः

- करतारपुर गलियारा को 2019 में शुरु किया गया था जिसमें दोनों पक्ष भारतीय तीर्थयात्रियों के गुरुद्वारे तक वीजा मुक्त यात्रा के लिए राजी हो गये।
- इस मार्च में गलियारे को बंद कर दिया गया था जिसका कारण कोरोनावायरस महामारी थी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1- कला एवं संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

स्टैच्यू ऑफ पीस

खबर में क्यों है?

- भारत के प्रधानमंत्री ने हाल में राजस्थान के पाली में 'स्टैच्यू ऑफ पीस' का अनावरण किया है। यह कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर किया गया।
- 151 इंच ऊंची मूर्ति को अष्टधातु 8 धातुओं से बनाया गया है, जिसमें तांबा सबसे प्रमुख घटक है।




जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज के बारे में

- श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज (187-1954) ने जैन संत के रूप में सादगी भरा जीवन जिया और भगवान महावीर के संदेश को फैलाने के लिए बिना स्वार्थ के और समर्पण के साथ कार्य किया।
- उन्होंने सामान्य जनों के कल्याण के लिए भी बिना रुके हुए कार्य किया व शिक्षा का प्रसार किया, सामाजिक बुराईयों को दूर किया, प्रेरणास्पद साहित्य की रचना की (कविता, निबंध, भक्ति गीत और स्तवन) और स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी को सक्रिय रूप से समर्थन दिया।

संबंधित सूचना

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- भारत के प्रधानमंत्री ने हाल में सरदार पटेल की मूर्ति का उद्घाटन गुजरात में किया, जिसे बोलचाल की भाषा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके भारत की एकता और अखंडता के लिए योगदान को देखते हुए कहा जाता है।



सरदार पटेल के बारे में

- सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय राजनीति में एक पूजनीय नाम है।
- एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय संघ में 500 से ज्यादा देशी रियासतों के विलय के लिए काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
- वे गांधी की विचारधारा और सिद्धांतों से गहरे से प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ काफी करीब से कार्य किया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1- कला एवं संस्कृति (मिलाजुला)

स्रोत- द हिंदू

वातायन लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल 'निशंक' को 21 नवंबर, 2020 को एक वर्चुएल समारोह में वातायन लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- यह पुरस्कार मंत्री को लेखन, कविता, और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाएगा।

वातायन लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार के बारे में

- वातायन इंटरनेशनल पुरस्कार लंदन में स्थित वातायन यूके संगठन द्वारा कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणास्पद कार्यों के लिए दिया जाता है।

मि. पोखरियाल की अन्य उपलब्धियां

- मि. पोखरियाल ने पूर्व में साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त किये हैं जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया साहित्य भारती पुरस्कार भी शामिल है।



- पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा साहित्य गौरव सम्मान
- दुबई सरकार द्वारा अच्छा शासन पुरस्कार, भारत गौरव सम्मान
- यूक्रेन में मॉरीशस द्वारा भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य के लिए।
- मि. निशंक को नेपाल द्वारा 'हिमाल गौरव सम्मान' भी प्रदान किया जा चुका है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I-कला एवं संस्कृति

स्रोत- AIR

बूकर पुरस्कार

खबर में क्यों है?

- स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने हाल में 2020 का बूकर पुरस्कार अपने पहले उपन्यास शुग्गी बेन के साथ कथा साहित्य के लिए जीता है।

शुग्गी बेन के बारे में

- शुग्गी बेन 1980 के दशक में ग्लासगो पर आधारित एक आत्मकथात्मक उपन्यास है।
- यह शुग्गी के जीवन पर है, वह एक गरीब लड़का है जो अपनी एकल मां एग्नेस की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। एग्नेस एक शराबी है जबकि शुग्गी स्वयं की लैंगिकता के साथ संघर्ष कर रहा है।



संबंधित सूचना

बूकर पुरस्कार के बारे में

- कथा साहित्य के लिए बूकर पुरस्कार, जिसे पूर्व में बूकर-मैकोनेल पुरस्कार और मैन बूकर पुरस्कार कहा जाता था, एक साहित्यिक पुरस्कार है।
- इसकी स्थापना 1969 में हुई थी।

उद्देश्य

- कथा साहित्य में सर्वश्रेष्ठ को प्रोत्साहित करना जिसके लिए अंग्रेजी में लिखे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को पुरस्कार दिया जाता है।

पात्रता

- बूकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए मौलिक उपन्यास को प्रदान किया जाता है और जिसका प्रकाशन पुरस्कार के वर्ष में यूनाईटेड किंगडम और आयरलैंड में हुआ हो। इसका लेखक की राष्ट्रीयता से कोई संबंध नहीं है।
- उपन्यास को अंग्रेजी में मौलिक कार्य होना चाहिए (अनुदित नहीं)।
- इसे यूनाईटेड किंगडम अथवा आयरलैंड के पंजीकृत प्रकाशक द्वारा प्रकाशित होना चाहिए, स्वप्रकाशित उपन्यास पुरस्कार के योग्य नहीं हैं।

शामिल संगठन

बूकर पुरस्कार फाउंडेशन

- यह एक पंजीकृत चैरेटी है जिसकी स्थापना 2002 में की गई।
- यह कथा साहित्य के लिए मैन बूकर पुरस्कार के लिए जिम्मेदार रही है और 2005 में इसके उद्घाटन के साथ मैन बूकर इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए जिम्मेदार है।

नोटः

- बूकर पुरस्कार 2019 को संयुक्त रूप से मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन इवारिस्टो को प्रदान किया गया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- कला एवं संस्कृति (मिलाजुला)

स्रोत- दि हिंदू